

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Twelfth Session

(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XXVI contains Nos.11 to 17)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General
Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Editor

Pankaj Kumar Singh

Assistant Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. XXVI, Twelfth Session, 2023/1945 (Saka)
No. 13, Monday, August 07, 2023/ Sravana 16, 1945 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWER TO QUESTION	
* Starred Question No. 241	11-12
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 242 to 260	13-131
Unstarred Question Nos. 2761 to 2990	132-713

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	715-747, 752-753
STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS	
24 th Report	748
STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	
31 st Report	749
REPORT OF STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE	
133 rd Report	750
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	
44 th Report	751
MATTERS UNDER RULE 377	754-783
(i) Need to construct underpass or flyover at Sakri Junction in Dhule district in Maharashtra Dr. Heena Vijaykumar Gavit	754-755
(ii) Need to provide railway connectivity to left-wing extremism affected areas in Gaya and Aurangabad districts, Bihar including Chatra in Jharkhand Shri Sunil Kumar Singh	756
(iii) Need to provide bicycle sheds/stands to Mumbai Dabbawalas in all railway stations of Mumbai Shri Manoj Kotak	757
(iv) Need to refund investor's money from a Sahara Group Subsidiary Dr. Sukanta Majumdar	758

- (v) Need to provide Mining Research University in Kanker, Chhattisgarh
Shri Mohan Mandavi 759
- (vi) Need to provide stoppage of newly proposed Patliputra–Siwan Intercity Express at different railway stations in Maharajganj Parliamentary Constituency
Shri Janardan Singh Sigrwal 760
- (vii) Need to revise the guidelines for installation of BSNL mobile towers to facilitate their installation in areas restricted under the existing guidelines
Shri Rahul Kaswan 761
- (viii) Need to provide stoppage of train Nos. 22823/22824 (Bhubaneswar – New Delhi), 12301/12302 (Howrah – New Delhi) at Sasaram Junction, Bihar
Shri Chhedi Paswan 762
- (ix) Regarding construction of Surat - Chennai Expressway
Dr. Sujay Vikhe Patil 763
- (x) Need to give compensation to the family of Delhi - Meerut Expressway accident victim
Shri Rajendra Agrawal 764
- (xi) Regarding Patna-Buxar National Highway Project
Shri Ram Kripal Yadav 765
- (xii) Regarding establishment of an Employees State Insurance (ESI) dispensary in Sirsa Parliamentary Constituency
Sushri Sunita Duggal 766

- (xiii) Regarding setting up of Amritsar – Delhi – Kolkata Industrial Corridor
Dr. Nishikant Dubey 767-768
- (xiv) Need to set up a medical college in ESIC Hospital, Jaipur, Rajasthan
Shri Ramcharan Bohra 769
- (xv) Need to set up a Logistics Park in Guna Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh
Shri Krishnapalsingh Yadav 770
- (xvi) Need to attach general and sleeper class coaches in UP Sampark Kranti Train (No. 12447/12448) or introduce a new Jansadharan Express
Shri R.K. Singh Patel 771
- (xvii) Regarding inclusion of Suwarna – Vanik caste in the list of Other Backward Classes
Shri Bidyut Baran Mahato 772
- (xviii) Regarding setting up of an AIIMS in Kerala
Dr. Shashi Tharoor 773
- (xix) Need to increase the procurement ceiling of copra in Tamil Nadu
Dr. Pon Gautham Sigamani 774
- (xx) Need to construct a concrete bridge between Natibpur to Ganeshpur over river Mundasari
Shrimati Aparupa Poddar 775

- (xxi) Regarding halt of trains at different railway stations of Anakapalle Parliamentary Constituency
Dr. Beesetti Venkata Satyavathi 776
- (xxii) Need to include Painganga River in Wainganga – Nalganga River Linking Project
Shri Prataprao Jadhav 777
- (xxiii) Need to formulate an institutional monitoring mechanism related to reservation in temporary appointments in all Ministries/Departments/Organisation
Dr. Alok Kumar Suman 778
- (xxiv) Regarding construction of a new railway line and creation of a separate Railway Division at Jajpur
Shrimati Sarmistha Sethi 779
- (xxv) Need to complete all pending CPWD projects for ITBP in border areas of Ladakh and Arunachal Pradesh
Kunwar Danish Ali 780
- (xxvi) Regarding inclusion of 40 castes/communities in the Central list of Other Backward Classes (OBCs) for the state of Telangana
Shri B.B. Patil 781
- (xxvii) Need to set up a Rail Coach Factory on vacant railway land in Khagaria district, Bihar
Choudhary Mehboob Ali Kaiser 782
- (xxviii) Regarding construction of overbridges in Satara Parliamentary Constituency
Shri Shriniwas Dadasaheb Patil 783

DIGITAL PERSONAL DATA PROTECTION BILL, 2023

785-820

Motion to Consider

785

Shri Ashwini Vaishnaw

785-789,

804-806

Shri P. P. Chaudhary

790-792

Shri Lavu Srikrishna Devarayalu

792-795

Dr. Shrikant Eknath Shinde

795

Shrimati Sarmistha Sethi

796-798

Shri Ritesh Pandey

798-799

Shri Jayadev Galla

799-801

Shri Syed Imtiaz Jaleel

801-802

Shri Sanjay Seth

802-804

Clauses 2 to 44 and 1

806-819

Motion to Pass

819-820

**ANUSANDHAN NATIONAL RESEARCH
FOUNDATION BILL, 2023**

823-854

Motion to Consider

829

Dr. Jitendra Singh

823-829,

846-853

Shri Jagdambika Pal

829-837

Dr. Talari Rangaiah

837-840

Shri Malook Nagar

840-841

Sardar Simranjit Singh Mann

841-842

Shri Jayant Sinha

842-846

Clauses 2 to 27 and 1

853-854

Motion to Pass	854
PHARMACY (AMENDMENT) BILL, 2023	855-874
Motion to Consider	855
Shri Mansukh Mandaviya	855-856, 863-873
Dr. Dhal Singh Bisen	856-858
Dr. Sanjeev Kumar Singari	858-863
Clauses 2 and 1	873
Motion to Pass	873-874
MEDIATION BILL, 2023	875-893
As Passed by Rajya Sabha	
Motion to Consider	875-876
Shri Arjun Ram Meghwal	875-876, 886-892
Shri Subhash Chandra Baheria	876-879
Shri N. Reddeppa	879-882
Shri Malook Nagar	882-884
Shri Virendra Singh	884-886
Clauses 2 to 65 and 1	893
Motion to Pass	893
COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY AMENDMENT) BILL, 2023	894-919
Motion to Consider	894
Shri Parshottam Rupala	894, 911-915

Shri Pratap Chandra Sarangi	894-900
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	900-904
Shri Malook Nagar,	905-906
Shri P. P. Chaudhary	907-908
Shri Rajesh Naranbhai Chudasama	908
Shri Manoj Tiwari	909-911
Clauses 2 to 17 and 1	915-919
Motion to Pass	919

*** ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	855
Member-wise Index to Unstarred Questions	856-862

*** ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	863
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	864

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, August 07, 2023/ Sravana 16, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

ORAL ANSWER TO QUESTION

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 241, श्री राजेन्द्र अग्रवाल ।

(Q. 241)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद ।

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसके अनुसार छः परिपथ, ईकोपरिपथ थीम के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं । ... (व्यवधान) ये उत्तराखंड, तेलंगाना, केरल, मिजोरम और झारखंड में हैं । ... (व्यवधान) लेकिन उत्तर प्रदेश का इसमें एक भी सर्किट नहीं है । ... (व्यवधान)

अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ये जो ईको-टूरिज्म के सर्किट हैं, इनका चयन किस आधार पर किया जाता है? ... (व्यवधान) क्या केंद्र सरकार अपने स्तर पर इनका चयन करती है या प्रदेश सरकार के द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर करती है? ... (व्यवधान) इसके अंदर उत्तर प्रदेश का कोई भी सर्किट क्यों नहीं है? ... (व्यवधान) ईको-टूरिज्म की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सी ऐसी संभावनाएं हैं, जिनको इस योजना में शामिल किया जा सकता है । ... (व्यवधान) धन्यवाद ।

श्री श्रीपाद येसो नाईक: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि ईको-टूरिज्म का उत्तर प्रदेश में एक भी प्रोजेक्ट नहीं दिया गया है । ... (व्यवधान)

सर, मैं कहना चाहता हूँ कि टूरिज्म का इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना राज्य सरकार का काम होता है । ... (व्यवधान) वहां की टूरिज्म मिनिस्ट्री का काम होता है । ... (व्यवधान) इसको फाइनेंशियली मदद करना ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप लोग सदन नहीं चलने देना चाहते हैं? क्या यह नारेबाजी का स्थान है? प्रश्न काल के अंदर आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, यह व्यवस्था अच्छी नहीं है ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं फिर से माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि यह सदन नारेबाजी के लिए नहीं है। सदन में प्रश्न काल महत्वपूर्ण समय होता है। आप चर्चा करें, संवाद करें। महत्वपूर्ण विषयों पर आप सरकार की जवाबदेही तय कर सकते हैं। क्या आप यहां नारेबाजी करने आते हैं?

...(व्यवधान)

*** WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**
(Starred Question Nos. 242 to 260
Unstarred Question Nos. 2761 to 2990)
(Page No. 13 to 713)

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

...(व्यवधान)

11.03 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair)

...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, राहुल गाँधी जी की नफरत की दुकान पर चाइनीज सामान है ।...(व्यवधान) आज मैं एक बहुत ही सीरियस मामला उठाना चाहता हूँ ।...(व्यवधान) कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में, ...(व्यवधान) इन लोगों को केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज पेपर में, ...(व्यवधान) उनके देश में क्या हो रहा है, ...(व्यवधान) उसी को ये मानते हैं ।...(व्यवधान) न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ी अच्छी न्यूज छपी है कि 38 करोड़ रुपया न्यूजक्विलक जैसी संस्था को मिला है ।...(व्यवधान)

12.01hrs

At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Sushri Mahua Moitra, Adv. A. M. Ariff and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

डॉ. निशिकांत दुबे : न्यूजक्विलक संस्था को...(व्यवधान) जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वह यह लिखा है कि भारत में ईडी ने जो रेड की है, ...(व्यवधान) आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं, ...(व्यवधान) ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है, उसका पूरा-पूरा खुलासा किया है ।...(व्यवधान) वह जो न्यूजक्विलक है, वह देशद्रोही गैंग, टुकड़े-टुकड़े गैंग, जो भारत को खंडित-खंडित करना चाहते हैं ।...(व्यवधान) वह न्यूजक्विलक, उस संस्था को हेड कर रहा है ।...(व्यवधान) पुरकायस्थ उसका मालिक है ।...(व्यवधान) उसके सारे पैसे कहाँ-कहाँ से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गये, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोनी सिंह या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं ।

...(व्यवधान)

दूसरा, मैं इस सरकार से माँग करता हूँ कि जब भी भारत में संकट आया, ...(व्यवधान) वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया ।...(व्यवधान) जिसका एफसीआरए लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया ।...(व्यवधान) वर्ष 2008 में जब ओलंपिक हुआ, इस कांग्रेस को...(व्यवधान) सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया ।...(व्यवधान) वर्ष 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय...(व्यवधान) ये चाइनीज के साथ मिलकर बातचीत कर रहे थे ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं । माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है ।

...(व्यवधान)

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नंबर 2, श्री राव इंद्रजीत सिंह ।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Competition Commission of India (Director-General) Recruitment Amendment Rules, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.518(E) in Gazette of India dated

18th July, 2023 under sub-section (3) of Section 63 of the Competition Act, 2002.

[Placed in Library, See No. LT 9879/17/23]

- (2) A copy of the Notification No. S.O.3238(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 19th July, 2023 exempting the Regional Rural Banks notified under sub-section (1) of Section 23A of the Regional Rural Bank Act, 1976, from the application of provisions of Sections 5 and 6 of the Competition Act, 2002, for a period of five years from the date of publication of the notification in the Official Gazette, issued under Section 54 of the Competition Act, 2002.

[Placed in Library, See No. LT 9880/17/23]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-
- (i) The Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.242(E) in Gazette of India dated 31st March, 2023.
 - (ii) The Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.298(E) in Gazette of India dated 17th April, 2023.

- (iii) The Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Second Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.354(E) in Gazette of India dated 10th May, 2023.
 - (iv) The Companies (Compromises Arrangements and Amalgamations) Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.367(E) in Gazette of India dated 31st May, 2023.
 - (v) The Companies (Accounts) Second Amendment Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.408(E) in Gazette of India dated 2nd June, 2023.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item Nos. (i) and (ii) of (3) above.
- [Placed in Library, See No. LT 9881/17/23]
- (5) A copy of the Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2023 (Hindi and English versions) published in G.S.R.411(E) in Gazette of India dated 2nd June, 2023, under sub-section (3) of Section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008.

[Placed in Library, See No. LT 9882/17/23]

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 3, श्री अर्जुन राम मेघवाल ।

...(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9883/17/23]

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 4, श्री अश्विनी कुमार चौबे।

...(व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 3645(अ) जो 5 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।
- (दो) का.आ. 3595(अ) जो 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पैनगंगा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 4205(अ) जो 28 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेलघाट बाघ रिजर्व पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 668(अ) जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा लोनार वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 837(अ) जो 16 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उमरेद करहांडला वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(छह) का.आ. 1175(अ) जो 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(सात) का.आ. 3996(अ) जो 9 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गौतला औतरामघाट वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ. 1565(अ) जो 15 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य (हाल ही में नया नाम यशवंतराव चव्हाण सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य) पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित

किया गया है।

- (नौ) का.आ. 1603(अ) जो 17 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा फणसाड वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।
- (दस) का.आ. 1604(अ) जो 17 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।
- (ग्यारह) का.आ. 2202(अ) जो 12 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।
- (बारह) का.आ. 1367(अ) जो 28 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कलसुबाई हरीशचन्द्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।
- (तेरह) का.आ. 1751(अ) जो 31 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा येदशी रामलिंग घाट वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।
- (चौदह) का.आ. 1752(अ) जो 31 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गंगेवाड़ी न्यू ग्रेट इंडियन सोहन पक्षी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।
- (पंद्रह) का.आ. 3029(अ) जो 13 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पेंच राष्ट्रीय पार्क और मानसिंहदेव वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(सोलह) का.आ. 4892(अ) जो 18 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 27(अ) जो 3 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अनेर डैम वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(अठारह) का.आ. 3250(अ) जो 11 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(उन्नीस) का.आ. 1221(अ) जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यवल वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(बीस) का.आ. 3249(अ) जो 11 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(इक्कीस) का.आ. 2633(अ) जो 6 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(बाईस) का.आ. 3630(अ) जो 15 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य

पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(तेईस) का.आ. 4004(अ) जो 5 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (संशोधन), महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(चौबीस) का.आ. 1196(अ) जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा काटेपूर्णा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(पच्चीस) का.आ. 918(अ) जो 25 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ताम्हिणी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(छब्बीस) का.आ. 2407(अ) जो 18 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा करंजा सोहाल ब्लैकबक वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(सत्ताईस) का.आ. 4293(अ) जो 14 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(अठ्ठाईस) का.आ. 213(अ) जो 17 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बोर टाइगर रिजर्व पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, महाराष्ट्र को अधिसूचित किया गया है।

(उनतीस) का.आ. 1311(अ) जो 26 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कैबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क

पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मणिपुर को अधिसूचित किया गया है।

(तीस) का.आ. 3307(अ) जो 26 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कैलम वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मणिपुर को अधिसूचित किया गया है।

(इकतीस) का.आ. 3309(अ) जो 26 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जैलाड वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मणिपुर को अधिसूचित किया गया है।

(बत्तीस) का.आ. 3310(अ) जो 26 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यांगूओपोकपी लोकचाओ वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मणिपुर को अधिसूचित किया गया है।

(तैंतीस) का.आ. 2146(अ) जो 6 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जिरि-माकरू वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मणिपुर को अधिसूचित किया गया है।

(चौतीस) का.आ. 4028(अ) जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बुनिंग वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मणिपुर को अधिसूचित किया गया है।

(पैंतीस) का.आ. 1816(अ) जो 7 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नोंगखायलेम आरक्षित वन पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मेघालय को अधिसूचित किया गया है।

(छत्तीस) का.आ. 2942(अ) जो 6 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नरपुह वन्यजीव अभयारण्य

पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मेघालय को अधिसूचित किया गया है।

(सैंतीस) का.आ. 1966(अ) जो 14 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पुआलरेंग वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है।

(अड़तीस) का.आ. 2165(अ) जो 25 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा थोरांगटलांग वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है।

(उनतालीस) का.आ. 2359(अ) जो 4 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा लेंगतेंग वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है।

(चालीस) का.आ. 2358(अ) जो 4 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुरलेन राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है।

(इकतालीस) का.आ. 2519(अ) जो 15 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दाम्पा टाइगर रिजर्व पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है।

(बयालीस) का.आ. 4372(अ) जो 6 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खवांगलुंग वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है।

(तैंतालीस) का.आ. 1967(अ) जो 14 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तावी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, मिजोरम को अधिसूचित किया गया है।

- (चवालीस) का.आ. 2906(अ) जो 9 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा चांदका दमपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है।
- (पैंतालीस) का.आ. 1654(अ) जो 19 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बालूखांडा-कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है।
- (छियालीस) का.आ. 1814(अ) जो 7 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा देबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है।
- (सैंतालीस) का.आ. 2539(अ) जो 9 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कुलदिहा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है।
- (अड़तालीस) का.आ. 1222(अ) जो 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है।
- (उनचास) का.आ. 3149(अ) जो 30 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बदरामा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित किया गया है।
- (पचास) का.आ. 4444(अ) जो 11 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र, ओडिशा को अधिसूचित

किया गया है।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9884/17/23]

- (3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 522(अ) जो 18 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 11 जुलाई, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 499(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9885/17/23]

- (4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 जो 24 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3984(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 6169(अ) जो 30 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ. 5481(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) दूसरा संशोधन नियम, 2022 जो 23 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.900(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (5) उपर्युक्त (4) की मद संख्या (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9886/17/23]

- (6) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 49ड. के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.2241(अ) जो 22 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 29 फरवरी, 2024 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन कृत्यों के निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए डॉ. सत्य प्रकाश यादव, अपर महानिदेशक वन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रबंधन प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9887/17/23]

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

...(व्यवधान)

14.00½hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE – Contd.**

माननीय सभापति: आइटम नंबर - 5 श्री पंकज चौधरी जी ।

...(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1562(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) 6 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या 26/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) का.आ.1735(अ) जो 13 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) 20 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या 29/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ.1967(अ) जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) 4 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या 33/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ.2182(अ) जो 15 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) 18 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या 36/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को

भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (नौ) का.आ.2368 (अ) जो 31 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) 1 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 39/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) 7 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 40/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) 8 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 41/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) 12 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 42/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.)

जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) 15 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 44/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का.आ.2663 (अ) जो 15 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) 23 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 46/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ.2833 (अ) जो 30 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) 6 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 50/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.)

जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) 13 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 52/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का.आ.3184 (अ) जो 14 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्रास-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) 20 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 54/2023-सीमाशुल्क(एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) कुरियर आयात और निर्यात (क्लयरेंस) संशोधन विनियम, 2023 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 243(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) कुरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) संशोधन विनियम, 2023 जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना सं. सा.का.नि. 244(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक), (दो), (बाईस) और (तेईस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9888/17/23]

- (3) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 537(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.690(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 540(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.691(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 543(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.692(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 547(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.673(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक

व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (पांच) सा.का.नि. 550(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.1263(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 9889/17/23]

- (4) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि. 538(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.683(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (दो) सा.का.नि. 541(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.684(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (तीन) सा.का.नि. 544(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.685(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (चार) सा.का.नि. 548(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.666(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक

व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 551(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.1266(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 9890/17/23]

(5) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 539(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.702(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 542(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.703(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 545(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.704(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 549(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.710(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक

व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (पांच) सा.का.नि. 552(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.1269(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 9891/17/23]

- (6) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.553(अ) जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-प्रतिकर उपकर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 9892/17/23]

- (7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) आयकर संशोधन (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 21 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.118(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (दो) का.आ. 1692(अ) जो 10 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 5 जून, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ.1790(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (तीन) का.आ. 2571(अ) जो 12 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 5 जून, 2023 की अधिसूचना सं.

का.आ.1790(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) ई-अपील योजना, 2023 जो 29 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2352(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2023 जो 22 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.379(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2023 जो 30 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.399(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2023 जो 31 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.403(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2023 जो 21 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.452(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2023 जो 23 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.457(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2023 जो 17 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.514(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2023 जो 18 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.519(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 9893/17/23]

- (8) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत सिक्का निर्माण (भारत की जी20 अध्यक्षता के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी करना) नियम, 2023 जो 24 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 533(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9894/17/23]

- (9) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 31 के अंतर्गत प्रारूप अधिसूचना सं. एफ.सं. 3/4/2022-ईएम-भाग(5), जिसके द्वारा निदेशित किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के, उसमें उल्लिखित, कतिपय उपबंध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थाओं पर ऐसे रूपांतरणों, जैसी भी स्थिति हो, के साथ लागू होंगे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9895/17/23]

- (10) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत 30 जून, 2023 का परिपत्र सं. एफ.सं. 370142/23/2023-टीपीएल, जिसका आशय विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की खरीद और उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) संबंधी स्रोत पर कर संकलन (टीसीएस) से संबंधित परिवर्तनों के कार्यान्वयन में कठिनाई को दूर करना है तथा जिसकी समसंख्या का एक शुद्धिपत्र 6 जुलाई, 2023 का है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9896/17/23]

- (11) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7(1) और धारा 7(3)(ख) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अंत तक बजट से संबंधित प्राप्तियों और व्यय की छमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9897/17/23]

14.01hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury came and stood on the floor near the Table.

माननीय सभापति: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

14.01½hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury went back to his seat.

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-6, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Sir, with your permission, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South Zonal Cultural Centre, Thanjavur, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South Zonal Cultural Centre, Thanjavur, for the year 2021-2022.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9898/17/23]

- (3) A copy of the National Monuments Authority Heritage Bye-laws 2023 of Centrally Protected Monument Chaurasi Tomb of Lodhi Sah Badhshah, Jalaun, Uttar Pradesh (Hindi and English versions) under sub-section (6) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.

[Placed in Library, See No. LT 9899/17/23]

...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Everything will be done after the Papers Laid on the Table.

...(Interruptions)

माननीय सभापति: आप बैठ जाओ। पेपर ले के बाद आप अपनी बात कहिएगा।

...(व्यवधान)

14.02hrs

At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shri T. N. Prathapan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-7, श्री रामेश्वर तेली जी।

...(व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): सभापति जी, मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की

उप-धारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) संशोधन नियम, 2023 जो 25 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 536(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।...(व्यवधान)

[Placed in Library, See No. LT 9900/17/23]

माननीय सभापति: मैं आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अवसर दूंगा। आप अपने स्थान पर चले जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-8, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी।

...(व्यवधान)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) (एक) स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (एसटीएआरएस) योजना (राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद), राजस्थान के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (एसटीएआरएस) योजना (राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद), राजस्थान के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9901/17/23]

- (3) (एक) स्ट्रेथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (एसटीएआरएस) (ओडिशा स्कूल-शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण) योजना, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्ट्रेथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (एसटीएआरएस) (ओडिशा स्कूल-शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण) योजना, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9902/17/23]

- (5) (एक) समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9903/17/23]

- (7) (एक) समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9904/17/23]

- (9) (एक) समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9905/17/23]

माननीय सभापति: पेपर ले के बाद आप अपनी बात कहिएगा।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-9, श्री बी.एल. वर्मा जी।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

...(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, श्री बी.एल. वर्मा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9906/17/23]

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-11, डॉ. भागवत कराड जी।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोग बैठ जाइए। मैं आपको अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-10, डॉ. सुभाष सरकार जी।

...(व्यवधान)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9907/17/23]

- (3) वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 21 के साथ पठित धारा 45 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2023, जो 19 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. सीए/498/2023/एमएसई(विनियम) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2023, जो 19 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. सीए/498/2023/एमएसई(विनियम) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9908/17/23]

- (4) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9909/17/23]

- (6) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9910/17/23]

(8) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9911/17/23]

(10) (एक) ऑरोविले फाउंडेशन, विल्लुपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑरोविले फाउंडेशन, विल्लुपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9912/17/23]

- (12) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, सम्बलपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, सम्बलपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9913/17/23]

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-12, श्री पी.पी. चौधरी जी ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोग सीट पर वापस चले जाइए । इसके बाद आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने का मौका देंगे ।

...(व्यवधान)

12.02½hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

24th Report

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to present the Twenty-fourth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on External Affairs (Seventeenth Lok Sabha) on the subject 'India's Policy Planning and Role of Think Tanks with Special Reference to ICWA and RIS'.

...(Interruptions)

माननीय सभापति: श्रीमती लॉकेट चटर्जी ।

...(व्यवधान)

12.03hrs

**STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD
AND PUBLIC DISTRIBUTION**

31st Report

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Sir, I beg to present the Thirty-first Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution (2022-2023) on the subject - 'Coarse Grains Production and Distribution' pertaining to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

...(*Interruptions*)

माननीय सभापति: श्री रघु राम कृष्ण राजू जी ।

...(व्यवधान)

12.04hrs

**STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL,
PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE**

133rd Report

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Sir, with your kind permission, I beg to lay the One Hundred Thirty-third Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on the subject 'Judicial Processes and their Reforms'.

...(Interruptions)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-14 (A), श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

...(व्यवधान)

12.04¼hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

44th Report

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE,
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN
RAM MEGHWAL): Hon. Chairman, Sir, with your permission, on behalf of Shri
Pralhad Joshi, I rise to present the 44th Report of the Business Advisory
Committee.

...(Interruptions)

14.04½hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE – Contd.****माननीय सभापति:** आइटम नम्बर-11, डॉ. भागवत कराड जी।

...(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, डॉ. भागवत कराड की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17(क) की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारीवृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2023 जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3345(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) योजना, 2023 जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3346 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

[Placed in Library, See No. LT 9914/17/23]

- (2) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियम, 2023 जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 554 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9915/17/23]

- (3) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9916/17/23]

- (4) (एक) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9917/17/23]

14.04¾ hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति: जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोग अपना स्थान लीजिए।

...(व्यवधान)

14.05 hrs

At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shri T. N. Prathapan and some other hon. Members went back to their seats.

(i) Need to construct underpass or flyover at Sakri Junction in Dhule district in Maharashtra

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Sakri is a taluka which falls in Dhule district and National Highway 53 which connects Gujarat and Odisha and traverses the States of Gujarat, Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha and West Bengal passes through Sakri. Sakri being a taluka and a market place for tribals is situated along with the National Highway and has Gram Panchayat buildings on both sides of NH53 stretch but currently there are no service roads or underpass connecting the two sides which has resulted in repeated instances of loss of lives of tribals who have tried to cross the road. NHAI has constructed a bypass for providing entry to Sakri City. The junction

* Treated as laid on the Table.

connecting the bypass road and National Highway has turned into an accident spot which has witnessed absence of a rise in accidents by speeding vehicles due to flyover/underpass. The increasing cases of accident at the Sakri junction and on the highway due to absence of underpass/flyover/service roads compromises the safety of tribal population living in this area. I request the Government to construct an underpass or flyover at Sakri Junction connecting bypass and NH-53 along with an underpass/service road that can connect the habitations and Gram Panchayat Bhawans located on both sides of the NH-53 stretch in Sakri.

**(ii) Need to provide railway connectivity to left-wing extremism
affected areas in Gaya and Aurangabad districts,
Bihar including Chatra in Jharkhand**

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): बिहार का औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र गया एवं औरंगाबाद दो जिलों में विस्तृत है तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित ये दोनों ही जिले भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है यद्यपि विगत एक दशक में केंद्र सरकार के प्रयासों से इन आकांक्षी जिलों में विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं गृह मंत्रालय के विशेष प्रयासों के तहत सड़क निर्माण और सड़क संपर्कों की सघनता से जहाँ बेहतर सड़क संपर्कों से विकास दर को गति मिली है वही उग्रवाद पर लगाम कसना भी संभव हो सका है। दक्षिणी बिहार के ये दोनों जिले गया औरंगाबाद झारखंड राज्य के चतरा, हजारीबाग आदि उग्रवाद प्रभावित जिलों से सटे हैं। वर्षों से स्थानीय लोगों की मांग है कि उग्रवाद प्रभावित इस क्षेत्र में गया, शेरघाटी, बाँके बाजार, इमामगंज, डुमरिया होते हुए झारखंड में चतरा को रेल सेवा से जोड़ा जाए। रेल सेवा का यह विस्तार बेहतर स्थानीय संपर्क के साथ उग्रवाद नियंत्रण में उपयोगी होगा।

**(iii) Need to provide bicycle sheds/stands to Mumbai
Dabbawalas in all railway stations of Mumbai**

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मैं सरकार का ध्यान मुम्बई के डब्बावालो की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। मुम्बई के डब्बावाले उन सभी लोगों के लिए बहुत मददगार होते हैं, जो पूरे भारतवर्ष से मुम्बई शहर में काम करने के उद्देश्य से पहुँचते हैं। डब्बावाले मुम्बई की ट्रैफिक, लम्बी दूरी आदि समस्याओं के बावजूद प्रतिदिन लगभग 2 लाख डब्बे घर से ऑफिस और ऑफिस से घर पहुँचाते हैं। मुम्बई डब्बेवालो के एसोसिएशन की बहुत दिनों से माँग है, कि इन डब्बावालों को मुम्बई के सभी रेलवे स्टेशनों के निकट एक सेड की व्यवस्था स्थायी रूप से कराई जाए ताकि वे अपनी साइकिल को पार्क कर सकें और अपना काम नियत समय पर पूरा कर सकें। डब्बावालो के एसोसियेशन ने मुलुण्ड स्टेशन के Kalyan end FOB West की ओर भी एक सेड देने का आग्रह किया है, ताकि वे अपनी साइकिल पार्क कर सकें। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि रेलवे अधिकारियों से मुम्बई के सभी रेलवे स्टेशनों एवं विशेष रूप से मुलुण्ड स्टेशन पर डब्बावालो के लिए एक सेड उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करे ताकि सभी डब्बावाले अपनी अपनी नियतस्थान पर साइकिल को पार्क कर सकें और साथ ही साथ इन गरीब डब्बा वालो को राहत मिले और अपना काम नियमित रूप से और समय पर कर सकें।

**(iv) Need to refund investors' money from
a Sahara Group Subsidiary**

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): सहारा समूह की सहायक कंपनी सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड के लाखों निवेशकों के हजारों करोड़ रूपए की वापसी के लिए सरकार को गंभीर प्रयास करने चाहिए। इस हेतु सहारा की तमाम चल अचल सम्पत्ति को बेचकर, निवेशकों को उनके निवेश की राशि को ब्याज सहित लौटाने की व्यवस्था करनी चाहिए। लोगों की शिकायतों के बाद गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) द्वारा सहारा क्यू शॉप की जांच की जा रही थी, उसका क्या परिणाम प्राप्त हुआ है? कितने निवेशकों का पता चला है और उनके पैसे को कहां डायवर्ट किया गया? मैं सरकार से मांग करता हूं कि सुब्रत रॉय की पैरोल को समाप्त करवा कर उसको तुरन्त जेल भेजना चाहिए और देश में जो सहारा सुप्रीमो द्वारा तमाम बेनामी संपत्ति की बिक्री से जो सहारा का साम्राज्य चल रहा है उसको ध्वस्त किया जाना चाहिए। मैं सरकार से पुनः मांग करता हूं कि एक विशेष कार्य दल बनाकर सहारा क्यू शॉप के निवेशकों के धन की अति शीघ्र वापसी के लिए व्यवस्था करे।

**(v) Need to provide Mining Research
University in Kanker, Chhattisgarh**

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): उत्तर बस्तर कांकेर जिसे 1998 में एक जिला के रूप में पहचान मिली यह मेरे संसदीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5285 वर्ग किलोमीटर है। पहाड़, वनस्पति एवं वन संपदा होने के साथ साथ यह एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारा लोकसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है एवं इस वर्ग के छात्रों को शिक्षा के लिए काफी मूल परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। हमारे लोकसभा क्षेत्र के कच्चे आरीडोंगरी, हाहालदी, मेटाबोदली, रावघाट भैंसाकन्हार, चेमल, चारगाँव महामाया एवं दल्ली- राजहरा के खदानों में उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के भंडार हैं, माननीय हमारा संसदीय क्षेत्र खनन में काफी समृद्ध है, एवं दूसरे अन्य देशों की भाँति यहाँ भी खनन के ऊपर शोध व इसके व्यापक आयामों के अध्ययन हेतु एक मूलभूत ढाँचे की आवश्यकता है अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में भी एक खनन शोध विश्वविद्यालय दिया जाए ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को अध्ययन शोध व संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा मिल सके।

**(vi) Need to provide stoppage of newly proposed Patliputra-Siwan
Intercity Express at different railway stations in
Maharajganj Parliamentary Constituency**

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): पूर्व मध्य रेलवे के पाटलिपुत्र जं. से उत्तर पूर्व रेलवे के सिवान जं. तक एक नई इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन कराने का प्रस्ताव पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर द्वारा प्रस्तावित है। इस प्रस्तावित ट्रेन का ठहराव मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा, बिहार अंतर्गत कोपा सम्हौता, दाउदपुर, एकमा, महेन्द्रनाथ हाल्ट एवं चैनवा रेलवे स्टेशनों पर नहीं है। दूसरा यह है कि उपर्युक्त प्रस्तावित ट्रेन के संचालन का समय कार्यालयीय समयानुसार निर्धारित नहीं है। इस परिस्थिति में हमारे संसदीय क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों के जनता को उक्त प्रस्तावित ट्रेन के परिचालन का लाभ सही तरीके से नहीं मिलेगा। अतः रेल मंत्री जी से आग्रह है कि जनहित और रेलहित में प्रस्तावित ट्रेन के समय में सुधार कर कार्यालयीय समय पर चलाने एवं मेरे संसदीय क्षेत्र के उपरोक्त सभी रेलवे स्टेशनों पर ठहराव के साथ संचालन जल्द से जल्द आरंभ कराने हेतु कार्रवाई की जाये।

(vii) Need to revise the guidelines for installation of BSNL mobile towers to facilitate their installation in areas restricted under the existing guidelines

श्री राहुल कस्वां (चुरु): भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में मोबाइल नेटवर्क सिस्टम को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। आज देश में 5G की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने हेतु बेहतरीन कार्य किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में मात्र 10 महीनों में ही 3 लाख से अधिक स्थानों पर भारत में 5G सुविधा शुरू कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा सरकारी टेलिकॉम कंपनियों को भी सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है, जिसके तहत बीएसएनएल के माध्यम से देश भर के गाँवों तक मोबाइल नेटवर्क पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन बीएसएनएल के द्वारा अपनाये जा रहे मापदंड के अनुसार जिस गाँव या शहरी क्षेत्र में 5 किमी के तहत किसी भी कंपनी का मोबाइल टावर स्थित है, वहां बीएसएनएल का टावर नहीं लगाया जाता है। इस कारण क्षेत्र के अधिकांश लोग मोबाइल सुविधा से वंचित रह रहे हैं। अतः मेरा माननीय संचार मंत्री जी से अनुरोध है कि बीएसएनएल के मोबाइल टावर लगाये जाने हेतु दिशानिर्देश में परिवर्तन कर सभी जगहों पर मोबाइल टावर उपलब्ध करवाए जावे ताकि सभी को बीएसएनएल के माध्यम से मोबाइल सुविधा उपलब्ध हो सकें।

**(viii) Need to provide stoppage of train Nos. 22823/22824
(Bhubaneswar - New Delhi), 12301/12302 (Howrah –
New Delhi) at Sasaram Junction, Bihar**

श्री छेदी पासवान (सासाराम): मेरे संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय सासाराम शहर एक ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के विश्व धरोहर वाला शहर है। यह बौद्ध सर्किट में स्थित एक बड़ा व्यापारिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र है। यहां पर देश की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा है, जहां पूरे वर्ष देश-विदेश के पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है। यहां स्थित शेरशाह का मकबरा भी ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के रूप में दुनिया में प्रसिद्ध है। ज्ञातव्य हो कि राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव हेतु पूर्व में अनेकों पत्राचार किए गए हैं परंतु अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः अनुरोध है कि विशेष परिस्थिति में पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय (मुगलसराय) मंडल अंतर्गत सासाराम जंक्शन पर गाड़ी नंबर 22823/22824 भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस एवं गाड़ी नंबर 12301/12302 हावड़ा - नई दिल्ली एक्सप्रेस का ठहराव पूर्व मध्य रेलवे के सासाराम जंक्शन पर सुनिश्चित करने की कृपा की जाए।

(ix) Regarding construction of Surat – Chennai Expressway

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): The 1,271 km long NHAI-approved Surat-Chennai Expressway is a six-lane, partially access-controlled motorway to connect the states of Gujarat, Maharashtra, Telangana, and Tamil Nadu. The expressway's alignment will pass through my Lok Sabha constituency of Ahmednagar and the expressway is also part of the Surat-Nashik-Ahmednagar-Solapur Economic Corridor. The project is envisioned as a combination of two partially access-controlled economic corridors and includes construction of greenfield stretches and upgrading brownfield sections and will be the second longest expressway of the country connecting Western And Southern India costing Rs 45,000 to Rs 50,000 crore. This proposed Green Field Expressway is travelling through Ahmednagar District for about 141 Km length. The project is of immense importance for my Lok Sabha constituency of Ahmednagar since it will improve connectivity and lead to economic development due to reduction in travelling time and acting as a link connecting Western and Southern India. In order to ensure timely completion and operationalization of Ahmednagar stretch, its necessary that the issues of land acquisition be completed in a time frame. I request the Government to kindly expedite the process of land acquisition in Ahmednagar so that the process of bidding is initiated at the earliest and subsequently construction is completed at the earliest.

**(x) Need to give compensation to the family of Delhi - Meerut
Expressway accident victims**

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सरकार का ध्यान दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर घटित एक हृदयविदारक दुर्घटना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। 11 जुलाई 2023 को उपरोक्त मार्ग पर गलत दिशा से आ रही एक बस से हुई टक्कर के कारण कार में सवार एक ही परिवार के छह लोगों की मृत्यु हो गयी। आधुनिक तकनीक वाले एक्सप्रेस-वे पर बस चालक ने आठ किलोमीटर तक उलटी दिशा में बस दौड़ाता रहा, परन्तु NHAI अथवा पुलिस किसी ने उसे नहीं रोका। एक्सेस कंट्रोल वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर गलत दिशा में बस कैसे चढ़ गई? इस बस के चालक का कुल 15 बार तथा गलत दिशा में बस चलाने के कारण 3 बार चालान हो चुका था। नियमों की निरंतर अवहेलना करने वाले इस बस चालक का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं हुआ। स्कूल बस के नाम से चलने वाली यह सामान्य बस क्यों सीज नहीं हो पाई? इस प्रकार के अनेक प्रश्न इस दुर्घटना के कारण खड़े हो रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त घटना की विस्तृत जांच कराकर दोषी व्यक्ति अथवा एजेंसी को दण्डित किया जाए, पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा दिलाया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी किसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो।

(xi) Regarding Patna-Buxar National Highway Project

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि पटना बक्सर प्रोजेक्ट साल 2009 को तीन खण्डों में विभक्त कर बनाने की प्रक्रिया चली। पटना बक्सर प्रोजेक्ट पटना से होते हुए बक्सर तक बनाना था लेकिन उक्त प्रोजेक्ट को बक्सर से बिहटा तक बना दिया गया था तथा आम जनों के हाथों में सुपुर्द कर दिया गया परंतु उसी प्रोजेक्ट में दानापुर से लेकर बिहटा तक सरकार एलिवेटेड रोड का निर्माण स्वीकृत है। पटना से बिहटा तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग बननी थी वह मौजा चितकोहरा से आरंभ होकर मौजा नत्थुपुरा, हसनपुरा, बेऊर, कुरकुरी पकड़ी होते हुए भूसौला दानापुर एम्स तक लगभग 10 किलोमीटर निर्माण को छोड़ दिया गया है। जबकि भारत सरकार द्वारा जमीन का भुगतान भी कर दिया गया है। प्रोजेक्ट पटना, गया, डोभी जो मौजा नत्थुपुर से होकर गया, बडोभी तक बननी है, वह भी प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने वाला है। अनुरोध है कि अगर भारत सरकार चाहे तब उसी एलाइनमेंट में (पटना, गया, डोभी) में नत्थुपुर से लेकर हसनपुर, बेऊर, कुरकुरी, फुलवारी होते हुए पटना एम्स तक जोड़ कर निर्माण कर दिया जाए जिससे उक्त प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और आमजनों को सहूलियत भी मिल जाएगी। पटना बक्सर प्रोजेक्ट में केवल मौजा नत्थुपुर, हसनपुर, बेऊर, कुरकुरी से लेकर भूसौला दानापुर एम्स तक निर्माण कर दिया जाए जो केवल 8 किलोमीटर के आसपास है तो पटना बक्सर प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। पटना अनिसाबाद बाईपास अत्यधिक जाम रहने के कारण लगभग 3 लाख लोगों की आबादी को रास्ता सुगम बनाया जा सकता है। अतः सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में जनहित को ध्यान में रखते हुए यथोचित कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे।

सादर ।

(xii) Regarding establishment of an Employees State Insurance (ESI) dispensary in Sirsa Parliamentary Constituency

SUSHRI SUNITA DUGGAL (SIRSA): I wish to address an issue of utmost significance that affects the well being of the working-class citizens in my Parliamentary Constituency. I earnestly request the establishment of an Employees' State Insurance (ESI) dispensary in our constituency, where currently there are none. This dispensary would play a vital role in providing essential healthcare services to the working class including the temporary workers, promoting their wellbeing, and ensuring their access to quality and cost effective medical facilities. It is essential to highlight that earlier attempts to establish an ESI dispensary in our area were unfortunately hindered by unforeseen events, most notably the global Covid-19 pandemic. The pandemic had far reaching consequences on various aspects of society, causing delays and disruptions in many developmental projects. While we were committed to this cause before, we must now reinvigorate our efforts and place it at the forefront of our priorities. The absence of an ESI dispensary in our Parliamentary Constituency has been a persistent concern for our constituents. Hence, I urge upon the Government for establishing an ESI dispensary in our parliamentary constituency. This step will not only provide essential healthcare services to the working class but also demonstrate our commitment to their welfare.

**(xiii) Regarding setting up of Amritsar – Delhi–
Kolkata Industrial Corridor**

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): As per the announcement, the Inter-Ministerial Group was to examine the feasibility of setting up the Amritsar-Delhi-Kolkata Industrial Corridor along with the structural and financing arrangements that would be required. The Amritsar-Delhi-Kolkata Corridor will use the Eastern dedicated freight corridor as the backbone. The Eastern DFC extends from Ludhiana in Punjab to Dankuni near Kolkata. Therefore, the Amritsar-Delhi- Kolkata Industrial Corridor will be structured around the Eastern DFC and also the highway network that exists on this route. It will also leverage the Inland Waterways System being developed along National Waterway-1, which extends from Allahabad to Haldia. It will cover Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Jharkhand and West Bengal. This is one of the most densepopulated regions in the world and houses about 40% of India's population. Interestingly, the corridor is to cover the cities of Amritsar, Jalandhar, Ludhiana, Ambala, Saharanpur, Delhi, Roorkee, Moradabad, Bareilly, Aligarh, Kanpur, Lucknow, Allahabad, Varanasi, Patna, Hazaribagh, Dhanbad, Asansol, Durgapur and Kolkata. While originally, the alignment was being considered differently, changes seem to have been suggested. These changes would result in this vital corridor bypassing the Santhal Pargana Region and that too by just 100-odd kilometres. While the corridor is proposed to link Patna, I would urge you to consider connecting Deoghar in Jharkhand, which is less than 100 kilometres to the proposed alignment. The area is in

extreme need of infrastructure and just a slight change in alignment would make a huge difference to the lives of the poor tribals of the region. The tribals of Santhal Pargana will forever thank the Government of India for this.

**(xiv) Need to set up a medical college in
ESIC Hospital, Jaipur, Rajasthan**

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): ESIC - कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है, के पूरे भारत में 9 मेडिकल कॉलेज है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। पिछले से एक दशक में जिस हिसाब से जयपुर की आबादी में वृद्धि हुई है इस तरह जयपुर में कर्मचारियों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। यहां हजारों की तादाद में कर्मचारी कार्यरत हैं। अतः मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जयपुर में स्थित ईएसआईसी हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाए तो यहां रहने वाले कार्यरत कर्मचारियों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा और साथ ही जयपुर लोकसभा क्षेत्र के आसपास के अन्य चार संसदीय क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलेगा। जयपुर में स्थापित ईएसआईसी हॉस्पिटल में फिलहाल 300 बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहां एक्सपेंशन का स्कोप भी है। यह मेडिकल कॉलेज स्थापित करने में कोई विशेष भार नहीं पड़ेगा।

**(xv) Need to set up a Logistics Park in
Guna Parliamentary Constituency**

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): सरकार ने National Logistics Policy-NLP 2022 शुरू की है, जिसका उद्देश्य 'अंतिम छोर तक त्वरित वितरण करना है, साथ ही परिवहन से संबंधित चुनौतियों को समाप्त करना है। इस नीति के तहत मंत्रालय द्वारा logistic parks के विकास के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किये जाएंगे। मैं गुना लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिसके अंतर्गत गुना जिला आता है जो एक आकांक्षी जिला भी है। मेरा लोक सभा क्षेत्र दो राज्यों उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ता है और राष्ट्रीय महामार्ग और रेलवे की अच्छी कनेक्टिविटी है जिसके कारण इसे मल्टी मोडल लोजिस्टिक्स पार्क के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत गेंहू, धनिया और टमाटर की बड़े पैमाने पर खेती होती है और भारत सरकार द्वारा इसे ODOP योजना में भी शामिल किया गया है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण गुना लोक सभा में logistic park स्थापित करने से किसानों और युवाओं को रोजगार मिलेगा और पिछड़े जिलों का विकास होगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि गुना के चौमुखी विकास के लिए यहाँ लोजिस्टिक्स पार्क की स्वीकृति दी जाए और गुना को लोजिस्टिक्स पालिसी के माध्यम से आकांक्षी जिला होने के कारण financial incentives भी दिए जाए।

**(xvi) Need to attach general and sleeper class coaches in
UP Sampark Kranti Train (No. 12447/12448) or introduce
a new Jansadharan Express**

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): ट्रेन न० 12447/12448 (यूपी संपर्क क्रांति) जो हजरत निज़ामुद्दीन (दिल्ली) से मानिकपुर जंक्शन तक जाती है, जिस पर दो हफ्ते से इस ट्रेन में जनरल एवं स्लीपर के कोचो को हटाकर ए0सी0 के कोचो को बढ़ा दिया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा चित्रकूट सहित बुंदेलखंड के गरीब मजदूर दिल्ली आने के लिए इस ट्रेन उपयोग करते हैं, किन्तु स्लीपर एवं जनरल के कोचों को हटाने से गरीब मजदूरों को काफी दिक्कत होती है। पहले इस ट्रेन में स्लीपर के 8 कोच होते थे जिसको घटाकर 2 कर दिया है तथा जनरल के कोच भी कम कर देने से गरीब मजदूर ट्रेन में चढ़ नहीं पाते हैं। ए0सी0 3 के 10 एवं ए0सी0 2 के 4 कोच बढ़ाए गए हैं जो खाली रहते हैं, तथा जनरल एवं स्लीपर के कोचों में गरीब मजदूर जानवरों की तरह भरे रहते हैं। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ, कि ट्रेन न० 12447/12448 (यूपी संपर्क क्रांति) अप डाउन जो मथुरा, आगरा, झाँसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट मानिकपुर के चलती है, उक्त ट्रेन को पूर्व की भांति जनरल एवं स्लीपर के कोच लगाए जाए अथवा क्षेत्र के गरीब मजदूरों के लिए एक नई जन साधारण ट्रेन को चलाये जाने का कष्ट करे।

**(xvii) Regarding inclusion of Suwarna – Vanik caste in
the list of Other Backward Classes**

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि सुवर्ण वनिक जाति की अधिसंख्यक आबादी जमशेदपुर, रांची, पश्चिम सिंहभूम, दुमका, धनबाद, हजारीबाग, गोड्डा सहित सभी लोकसभा क्षेत्रों में है। उक्त जाति के लोग समाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अत्यंत पिछड़े हुए हैं तथा काफी दिनों से मांग कर रहे हैं कि इन्हें केन्द्रीय ओ०बी०सी० की सूची में सम्मिलित किया जाय। यह ज्ञातव्य है कि झारखंड सरकार ने दिनांक 28/8/2020 को सुवर्ण वनिक जाति सहित झारखंड के 36 जातियों को केन्द्रीय ओ०बी०सी० की सूची में शामिल करने हेतु सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र लिखकर प्रस्ताव को भेजा है। मेरा सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध है कि झारखण्ड सरकार के द्वारा भेजे गए उक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए सुवर्ण वनिक जाति जाति को केन्द्रीय ओ०बी०सी० की सूची में सम्मिलित करने की कृपा की जाए।

(xviii) Regarding setting up of an AIIMS in Kerala

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I wish to draw the attention of the Hon'ble Minister of Health and Family Welfare towards the delay in setting up of an All-India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in Kerala, despite repeated iterations of the issue. The announcement to set up an AIIMS in Kerala was made by the Central Government in 2015. Under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, the Government plans to establish an AIIMS in every state. 22 AIIMS have been sanctioned under PMSSY but Kerala does not feature in the list. After repeated requests over the years, including several interventions I made personally, the Union Ministry of Health in April 2022 had given in-principle approval for setting up of an AIIMS in Kerala. In January 2023, the State Government had also urged the Centre to give approval for the project. Yet, there is no allocation for the proposed AIIMS in the Union Budget. The doctors in the state's Medical College Hospitals are overburdened, and tertiary healthcare is inadequate. An AIIMS with its premier medical facilities will evenly distribute the state's worrying patient load while ensuring state-of-the art treatment for patients. Given the enabling conditions in the state, I therefore, urge upon the Hon'ble Minister to expedite this process so that the patients of the state can avail of the medical facilities of our premier medical institute without delay.

**(xix) Need to increase the procurement
ceiling of Copra in Tamil Nadu**

DR. PON GAUTHAM SIGAMANI (KALLAKURICHI): I am bringing forth the plea of coconut farmers in Tamil Nadu, who have been requesting the Union Government to increase the quantity of procurement under Price Support Scheme(PSS) as market prices are low. Since huge stocks of copra are lying with the farmers, they are worried. In Tamil Nadu PSS procurement is done by National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd (NAFED) I wish to state that Tamil Nadu is 3rd in area and 2nd in production of coconut at the National level with an area of 4.46 lakh hectare, production of 53,518 lakh nuts and productivity of 11,692 nuts per hectare. So, market price of copra has declined from Rs. 11,500 per quintal to Rs. 8,100 per quintal, this has resulted in a spike in procurement of copra under PSS in 2022 and this year. Hence, I urge the Union Government to increase the quantity ceiling from current 25% to 40% for copra procurement and also increase the procurement target from 56,000 MT to 90,000 MT for Tamil Nadu. This will help to stabilize copra market price by which coconut farmers in Tamil Nadu will be benefited.

**(xx) Need to construct a concrete bridge between Natibpur to
Ganeshpur over river Mundasari**

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): In my Arambagh Parliamentary Constituency which is a flood prone area, there is need to construct a concrete bridge between Natibpur to Ganeshpur over river Mundasari. This area is prominently habited by SC/STs. This bridge is the need of the hour for the community. I urge upon the Government to intervene into this issue and immediately sanction fund for my area.

**(xxi) Regarding halt of trains at different railway stations of
Anakapalle Parliamentary Constituency**

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): I would like to state that I have received a large number of representations from all walks of people living in the vicinities of ANAKAPALLI, to have a minute/two minute trail basis stoppage of the following train as indicated below

Sl. No.	Name of the Train	where permission is sought for stoppage	Train No.	Request for consideration of one/two minute halt may be accorded/given at the Railway station
1.	runs between VISAKHAPATNAM and VANDE BHARAT (This train SECUNDERABAD)	20833 Anakapalli Railway Station	In the above context, it may be submitted that during my interaction with the people of my constituency, a lot of the people have personally requested me to provide a stoppage of the said trains at the places mentioned. A large number of commuters all walks of life do frequently visit from Elamanchi, Narsipatnam Road to various prominent places like Visakhapatnam, Vijayawada, Secunderabad/Hyderabad. Thus, I personally feel that giving atleast a minute/two minute halt at these places would be ideally helpful to the commuters of these areas.	

**(xxii) Need to include Painganga River in Wainganga –
Nalganga River Linking Project**

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): मैं सरकार का ध्यान नदी जोड़ो परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, भारत सरकार के माध्यम से नदी-जोड़ो प्रकल्प का सर्वेक्षण चल रहा है, जिसमें वैनगंगा से नलगंगा के सर्वेक्षण की भी मंजूरी दी गई है। यदि नदी-जोड़ो परियोजना में पैनगंगा को भी जोड़ दिया जाये तो अत्यधिक लाभ होगा। यह कहते हुए मुझे अत्यंत खेद है कि महाराष्ट्र राज्य में विदर्भ क्षेत्र के बुलढाणा, यवतमाल, वाशिम, अमरावती, अकोला, वर्धा इत्यादि जिले किसानों की आत्महत्या से ग्रस्त होने के नाम से पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं। यह जिले सूखे से बुरी तरह प्रभावित रहते हैं, और सारी खेती की उपज पूरी तरह बारिश पर ही निर्भर है और सिंचाई का कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं है। सूखे से फसल की बरबादी के कारण किसान बुरी तरह से आर्थिक जंजाल में फंस जाते हैं तथा उनके द्वारा की जानेवाली आत्महत्या का प्रमुख कारण भी यही है और सरकार के सर्वेक्षण में भी इसी बात की पुष्टि की गई है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि किसानों के हितार्थ वैनगंगा से नलगंगा को जोड़ने वाले इस सर्वेक्षण में अगर पैनगंगा को भी जोड़ दिया जाता है तो उससे किसानों को भी फायदा होगा।

(xxiii) Need to formulate an institutional monitoring mechanism related to reservation in temporary appointments in all Ministries/Departments/Organisations

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): The Ministry of Home Affairs have issued an order vide O.M. No.27/4/67(II)-Estt. (SCT), dated the 24th September, 1968, instructing that reservations are to be made for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all temporary appointments which are to last for 45 days or more. The Department of Personnel & Training (DOPT) vide O.M. No. 36036/3/2018/Estt. (Res.) dated May 15, 2018 again reiterated the instructions relating to reservation in temporary appointments. However, despite Government instruction, there have been complaints from stakeholders regarding violation of extant guidelines by various Ministeries / Departments / Autonomous Bodies/PSUs etc. The DOPT should make provision in the guidelines for strict action against officers for noncompliance of existing orders. I request the Hon'ble Minister of Personnel, Public Grievances and Pensions to formulate an Institutional Monitoring Mechanism for compliance of instructions related to reservation in temporary appointments by all Ministries/ Departments/ Organization.

**(xxiv) Regarding construction of a new railway line and creation of
a separate Railway Division at Jajpur**

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): There is an urgency for a new railway line from Jajpur-Keonjhar Road to Dhamra-Road to connect industrial areas in the district to the deep seaport in Bhadrak. A survey was carried out for construction of the 95.950 kilometres length of the new railway route. The survey officials had estimated that East Coast Railways would reap a profit of 33% from construction of this new rail route. However, the proposed railway line has been shelved in final RET survey. The proposed new line will pass through Jajpur town which is the abode of Goddess Biraja and Aradi. Besides, it will help in export of steel products manufactured in this region through Dhamra port. Jajpur has four railway junctions, six goods train sheds and 21 stations. It is around 100 kms. from Bhubaneswar and Paradeep and Dhamra ports. 98% of chromites in India are from Jajpur and it is where Kalinga Nagar, one of the biggest industrial zones in Asia is located. The district has a vast potential in tourism. A separate railway division in Jajpur will ensure administrative smoothness and it will add value to economic development. I request the Government for favourable consideration of above mentioned issues on priority basis.

(xxv) Need to complete all pending CPWD projects for ITBP in border areas of Ladakh and Arunachal Pradesh

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): It is imperative that immediate attention is given to the delays in completing 106 projects by the Central Public Works Department (CPWD). The CPWD has been entrusted with executing over 100 infrastructure projects for the Indo-Tibetan Border Police (ITBP), including critical ones like the construction of barracks in bordering areas of Ladakh and Arunachal Pradesh. Regrettably, the CPWD has failed to make satisfactory progress on these projects, despite multiple attempts by the ITBP and the Union Ministry of Home Affairs to address these delays. A letter addressed to Special DGS and Additional DGS underscores the gravity of these uncalled-for delays in critical projects, including infrastructural ones at Joshimath. Moreover, the number of arbitration cases involving CPWD works is also seen to be on the rise. It is of utmost importance that infrastructural projects of national importance are completed and handed over as soon as possible. I strongly urge the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Urban Development to take further action beyond creating a monitoring group to oversee project progress. It is essential to identify task dependencies and establish reliable project controls to ensure that these projects are completed without further delays.

(xxvi) Regarding inclusion of 40 castes/communities in the Central list of other Backward Classes (OBCs) for the State of Telangana

SHRI B.B. PATIL (ZAHIRABAD): I would like to bring to your kind notice that there are around 40 castes of Telangana that are pending to be included in the central OBC List for the last 20 years. I would also like to inform that the detailed relevant information in respect of the castes and communities as desired by National Commission for Backward Classes has already been sent by Telangana State Commission for Backward Classes but of no use as the matter still remains pending with the Commission, leaving nothing but injustice to the people of Veerashaiva Lingayats and the other remaining communities of State of Telangana who are waiting for their due since many years. Due to one or the other reason, the matter is being delayed. I request the Hon'ble Minister of Social Justice & Empowerment and Chairman, National Commission for Backward Classes to kindly intervene in the matter and conduct the public hearing regarding inclusion of 40 castes/communities in the Central List of Other Backward Classes (OBC's) for the State of Telangana at the earliest and forward the same to the Ministry of Social Justice and empowerment for further action.

**(xxvii) Need to set up a Rail Coach Factory on vacant railway
land in Khagaria district, Bihar**

चौधरी महबूब अली कैसर (खगड़िया): मैं भारत सरकार का ध्यान अपने खगड़िया लोकसभा की ओर ले जाना चाहता हूँ। खगड़िया जिला एक अति पिछड़ा जिला है। यह जिला भारत सरकार के नीति आयोग की अति महत्वकांक्षी जिलों की सूची में भी है। खगड़िया जिला में रेलवे की काफी जमीन उपलब्ध है, जिसका अभी कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उक्त खाली पड़ी जमीन पर रेलवे द्वारा रेल कोच बनाने की फैक्ट्री या कोई रेलवे सामग्री बनाने की फैक्ट्री खोली जाए, जिससे खाली पड़ी जमीन का भी उपयोग हो जाएगा और हमारे क्षेत्र के युवाओं को नौकरी का अवसर भी मिल सकेगा।

**(xxviii) Regarding construction of over-bridges in
Satara Parliamentary Constituency**

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल (सतारा): पिछले कई सालों से राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 4 को छह लेन में बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में खबाट की सुरंग का काम शुरू है, उसे पूरा होने में और कितना समय लगेगा? इसके साथ साथ वेळे ता.वाई में गांव वालों को रास्ता पार करने के लिए उड्डाण पुल की आवश्यकता है। उसका काम कब शुरू होगा? पारगांव खंडाला तहसील में पारगांव के पास नया उड्डाण पुल बनाने की मांग है। उस पर काम कब शुरू होगा? शिरवळ तहसील खंडाळा में कॅटल पास के बजाए उड्डाण पुल की मांग है उस पर काम कब शुरू होगा?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, 'रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोक सभा' के रूल - 353 के तहत मैं एक मुद्दा रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि इतने दिनों के बाद हमारे नेता राहुल गाँधी जी को दोबारा सदन में वापस आने की इजाजत आपकी तरफ से मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनको राहत मिल चुकी थी, इसलिए वे आज सदन में आए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप अपनी बात रखिए।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, सदन में आते ही आज की ही तारीख में उनके खिलाफ एक ओछे तरीके से, घटिया तरीके से और जिस तरीके से इल्जाम लगाए गए हैं, वे आधारहीन हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: ठीक है, हम उस पर विचार करेंगे और बाद में उस पर रूलिंग भी देंगे।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ।...(व्यवधान) Rule 353 states that no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made
...(Interruptions)

माननीय सभापति: हम आपको रूलिंग देंगे।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-16, माननीय मंत्री जी ।

14.06 hrs

DIGITAL PERSONAL DATA PROTECTION BILL, 2023

**THE MINISTER OF RAILWAYS, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND
MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI**

ASHWINI VAISHNAW): Hon. Chairperson, Sir, I beg to move:*

“That the Bill to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognises both the right of individuals to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purposes and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

14.06½hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Sushri Mahua Moitra and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

सभापति महोदय, भारत के 140 करोड़ देशवासियों के डिजिटल वैयक्तिक डेटा की सुरक्षा के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 सदन के सम्मुख प्रस्तुत है ।...(व्यवधान)

सभापति जी, आज सारे विश्व में भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की चर्चा है, इसकी प्रशंसा है और दुनिया के कई देश इस प्रोग्राम को अपने-अपने देश में लागू करना चाहते हैं ।...(व्यवधान) चाहे पेमेन्ट सिस्टम हो, आधार हो, डिजी लॉकर हो, इन सब व्यवस्थाओं को, जिससे कि एक साधारण नागरिक को भी, एक साधारण से साधारण मानवी को भी अच्छी और सुचारू तरीके से डिजिटल सर्विसेज मिले, इसकी व्यवस्था माननीय प्रधान मंत्री

* Moved with the recommendation of the President.

श्री नरेन्द्र मोदी जी ने की है ।...(व्यवधान) आज करीब-करीब 90 करोड़ भारतवासी इंटरनेट से जुड़ चुके हैं ।...(व्यवधान) 4G, 5G और भारतनेट के जरिए से हाईवे से लेकर छोटे से छोटा गांव भी जुड़ रहा है ।...(व्यवधान) ऐसे में इस डिजिटल दुनिया में नागरिकों के अधिकार, सुरक्षा और प्राइवसी के प्रोटेक्शन के लिए यह बिल लाया गया है ।...(व्यवधान)

मान्यवर सभापति जी, पिछले कई वर्षों में अनेक फोरम में, जैसे स्टैण्डिंग कमेटी में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, इन सब में इस विषय पर कई-कई घंटों तक चर्चा हुई है ।...(व्यवधान) इन चर्चाओं के बाद सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज यह बिल आपके जरिए सदन के सामने पेश किया गया है ।...(व्यवधान)

सभापति जी, इस बिल में 140 करोड़ देशवासियों के डिजिटल पर्सनल डेटा की सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है ।...(व्यवधान) यह बहुत अच्छा होता, अगर विपक्ष इस पर अच्छी चर्चा करता, लेकिन विपक्ष के किसी भी सदस्य को, किसी भी नेता को नागरिकों के अधिकारों के बारे में कोई चिंता नहीं है, इसलिए ये केवल नारे लगाने में लगे हैं, इनको चर्चा में कोई रुचि नहीं है, इनको किसी विषय में कोई सारांश लाने की जरूरत नहीं है ।...(व्यवधान)

सभापति जी, इस बिल को लाने से पहले बहुत एक्सटेन्सिव पब्लिक कंसल्टेशन हुआ है ।...(व्यवधान) कानून के ड्राफ्ट पर करीब-करीब 48 ऑर्गेनाइजेशन्स और 39 मंत्रालयों ने डिटेल्ड डिस्कशन किया है ।...(व्यवधान) करीब-करीब 24,000 कंसल्टेशन्स आए हैं ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मैं इस बिल के मेन एस्पेक्ट्स को आपके सामने रखूंगा ।...(व्यवधान) इस बिल में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिल की भाषा एकदम सरल रखी गयी है, जिससे सामान्य मानवी भी इस बिल को समझ सके ।...(व्यवधान)

मान्यवर, प्रधान मंत्री जी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है ।...(व्यवधान) इस बिल में 'He' की जगह 'She' का व्यवहार किया गया है, 'His' की जगह 'Her' का व्यवहार किया गया है ।...(व्यवधान)

सभापति जी, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के बहुत सारे एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं।...(व्यवधान)
उन सारे प्रिंसिपल्स का इस बिल में अच्छी तरह से समागम किया गया है।...(व्यवधान)

सबसे पहला प्रिंसिपल है - 'Principle of Legality' यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नागरिक का डेटा अगर कोई संस्था, प्लेटफॉर्म या एप्प से लिया जाता है, तो वह कानून के आधार पर ही लिया जाए।...(व्यवधान)

दूसरा प्रिंसिपल है - 'Principle of Purpose Limitation' यानी जिस उद्देश्य के लिए लिया जाए, उसी उद्देश्य के लिए उसका व्यवहार हो।...(व्यवधान)

तीसरा प्रिंसिपल है - 'Principle of Data Minimisation', अगर किसी उद्देश्य के लिए जितना डेटा चाहिए, उतना ही डेटा लिया जाए, उससे ज्यादा डेटा क्यों लिया जाए।...(व्यवधान)

चौथा प्रिंसिपल है - 'Principle of Accuracy', अगर किसी व्यक्ति का कोई पर्सनल डेटा चेंज होता है तो प्लेटफॉर्म भी उस चेंज को रेफ्लेक्ट करे, उसे एक्चुरेट लाए। नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है।...(व्यवधान)

सर, 5वां प्रिंसिपल स्टोरेज लिमिटेशन का है।...(व्यवधान) जितने समय के लिए डाटा को रखना चाहिए, उस समय से बाहर न रखा जाए, उसके लिए स्टोरेज लिमिटेशन का प्रिंसिपल इसमें रखा गया है। फिर रीज़नेबल सेफगार्ड्स का प्रिंसिपल है।...(व्यवधान) कोई भी डाटा, बहुत ही वैल्युएबल डाटा है, उस डाटा को किस तरह से सेफगार्ड किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उसका ऑब्लिंगेशन संस्थाओं पर रखा गया है।...(व्यवधान) 7वां है – प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटैबिलिटी, जो भी आपसे डाटा ले, किसी नागरिक से डाटा ले, वह जवाबदेह हो, अकाउंटैबल हो, यह व्यवस्था इस बिल में की गई है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, भारत विविधताओं का देश है।...(व्यवधान) बहुत सुंदर-सुंदर भाषाएं देश में बोली जाती हैं।...(व्यवधान) इसीलिए इस बिल में प्रावधान किया गया है कि संविधान के 8वें शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं, उन पूरी की पूरी 22 भाषाओं में नोटिस दिया जाएगा।

...(व्यवधान) उड़िया में भी, भोजपुरी में भी, मैथिली में भी, गुजराती में भी, तमिल में भी, मलयालम में भी, हरेक भाषा में, 22 भाषाओं में नोटिस होगा, 22 भाषाओं में कंसेंट होगा। ...(व्यवधान)

सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन इस बिल में रहा है कि जो बड़े शहरों में रहते हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन इस बिल में ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे कि दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति भी वही सुविधाएं पाए जो कि बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को होती है। ...(व्यवधान) इसीलिए इस बिल का पूरा इम्प्लिमेंटेशन डिजिटल-बाय-डिज़ाइन रखा गया है ताकि गांव में रहने वाला एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी एकदम आसानी से न्याय पा सके और सारी सुविधाएं उसे भी मिलें। ...(व्यवधान)

सभापति जी, कुछ लीगल इनोवेशन भी किए गए हैं। वॉलेंटरी इनोवेशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट, वॉलेंटरी अण्डरटेकिंग और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन किए गए हैं।...(व्यवधान) अगर किसी संस्था से कोई भूल हो जाए तो भूल होने में कोर्ट के चक्कर लगें, इसकी बजाय संस्था डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास आए कि यह गलती हो गई, यह सुधार किया और यह पेनल्टी है। यह बहुत ही अच्छी और फंडामेंटल व्यवस्था इस बिल में की गई है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, जब बिल का इंट्रोडक्शन हो रहा था, तब विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने कुछ विषय उठाए थे, उसके बारे में मैं क्लैरिटी देना चाहूंगा। ...(व्यवधान) सबसे पहला विषय उठाया था कि सरकार को बहुत सारी छूट दी गई है। ...(व्यवधान) सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने यह बात रखना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर कोई नैचुरल डिज़ास्टर होता है, अर्थक्वेक या साइक्लोन है, क्या उस वक्त डाटा फॉर्म, कंसेंट नोटिस, आदि उसका ध्यान रखना चाहिए या फिर सबसे पहले नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए या पुलिस अगर किसी जगह पर किसी क्रिमिनल को, ऑफेंडर को पकड़ने जा रही है तो उस वक्त लेखा-लेखी फॉर्म होगा या फिर कार्रवाई होगी? सभापति जी, जो यूरोप का जीडीपीआर है, उसमें 16 एग्जम्पशंस दिए गए हैं और अपने इस बिल में मात्र 4 एग्जम्पशंस दिए गए हैं। ...(व्यवधान)

इसलिए किसी भी तरीके से अपना बिल विश्व के सारे मानकों पर बहुत अच्छी तरह से खरा उतरता है। ... (व्यवधान)

सभापति जी, एक आरोप यह लगाया गया कि आरटीआई को डायल्यूट कर रहे हैं। ... (व्यवधान) सर, जब पुट्टास्वामी जजमेंट आया, यह है पुट्टास्वामी का जजमेंट, जो कि बहुत भारी भरकम जजमेंट है। ... (व्यवधान) इस जजमेंट में जो 3 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उन तीनों को इस बिल में इनक्लूड किया गया है। ... (व्यवधान) पुट्टास्वामी केस पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उस पर बिल एकदम खरा उतरता है। ... (व्यवधान) इसलिए आरटीआई और पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के इस बिल के बीच में जो हार्मोनाइज़ करना था, वह हार्मोनाइज़ेशन किया गया है। ... (व्यवधान)

सभापति जी, आज भारत की आईटी इंडस्ट्री में करीब 55 लाख लोग काम करते हैं। ... (व्यवधान) उनमें से 18 लाख हमारी बहनें काम करती हैं। ... (व्यवधान) देश में युवा, नौजवान एक नई प्रगति की तरफ जाना चाहते हैं। ... (व्यवधान) इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ... (व्यवधान) लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। ... (व्यवधान) इस तरह की नकारात्मक राजनीति लोगों को स्वीकार्य नहीं है। ... (व्यवधान) आज 140 करोड़ देशवासियों के अधिकार के लिए यह बिल लाया गया है, जिसमें रोड़े अटकाने वाले ये लोग हैं। ... (व्यवधान) हो सकता है कि अगली बार उनको यह मौका भी जनता न दे। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करता हूँ कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि डिजिटल वैयक्तिक डाटा का, ऐसी रीति में प्रक्रमण करने, जो व्यष्टिकों के उनके वैयक्तिक डाटा का संरक्षण करने के अधिकार और विधिपूर्ण प्रयोजनों के लिए ऐसे वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण, दोनों की आवश्यकता को मान्यता प्रदान

करता है और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि यह महत्वपूर्ण बिल है, डेटा प्रोटेक्शन का बिल है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, आप अपने-अपने स्थान पर जाकर इस बिल की चर्चा में शामिल हों।

श्री पी.पी. चौधरी जी।

...(व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ।...(व्यवधान)

महोदय, यह जो बिल है, आज आप पूरे देश और विश्व में देखिए कि जिस हिसाब से सोशल मीडिया का यूज है।...(व्यवधान) जिस हिसाब से अर्थव्यवस्था पर सोशल इंटरएक्शन है और जिस हिसाब से सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उस हिसाब से डेटा का प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी हो जाता है।...(व्यवधान) मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक इसकी अप्लिकैबिलिटी और उपयोग है, यह बिल वहां अप्लाई होगा, जहां पर डेटा प्रोसेसिंग हो, जहां पर पर्सनल डेटा प्रोसेस हो।...(व्यवधान) यदि वह इंडिया में है तो चाहे वह कलेक्टेड ऑनलाइन हो और चाहे कलेक्टेड ऑफलाइन हो, अगर वह बाद में ऑनलाइन डिजिटाइज हो जाता है तो यह अप्लाई होगा।...(व्यवधान) जहां तक आउटसाइड इंडिया की बात है, अगर यह किसी तरह से गुड्स एंड सर्विसेज की ऑफर इंडिया में की जाती है, तो भी अप्लाई होगा।...(व्यवधान) अगर हम प्रोसेसिंग को देखें तो इसकी परिभाषा बहुत ही विस्तार में दी गई है।...(व्यवधान) अगर हम पर्सनल डेटा की बात करें तो जिस हिसाब से

पर्सनल डेटा को डिफाइन किया गया है, उसमें यह साफ लिखा गया है कि उसका फोन नंबर और नाम भी रहेगा । अगर उससे व्यक्ति आइडेंटिफाई होता है तो वह पर्सनल डेटा माना जाएगा ।...(व्यवधान) उसका जो ऑटोमेटेड ऑपरेशन है, वह प्रोसेसिंग में माना जाएगा ।...(व्यवधान) अगर उसका किसी तरह से कलेक्शन व स्टोरेज किया जाता है, उसका यूज होता है और उसकी शेयरिंग होती है तो ये सारे के सारे प्रोसेसिंग में आते हैं ।...(व्यवधान) इसके लिए भी एक फंडामेंटल राइट है । पुट्रास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्राइवेसी है, वह एक फंडामेंटल राइट है ।...(व्यवधान)

महोदय, मुझे इस बात का दुख होता है कि जो विपक्ष है, ...(व्यवधान) यह इतना महत्वपूर्ण बिल है, जहां हमारे 114 करोड़ देशवासी सोशल मीडिया से इंटरकनेक्ट हैं, यह उनकी प्राइवेसी का हक है ।...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है । हमारे विपक्ष के साथी शोरगुल करके चर्चा को डिस्टर्ब कर रहे हैं ।...(व्यवधान) ये लोग आम जनता के हकों के विरोध में काम कर रहे हैं ।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, जहां तक कंसेन्ट की बात है, इसका को फाउंडेशन बेसिस है, वह बहुत ही जरूरी है ।...(व्यवधान) उसके प्रोसेस के लिए और कंसेन्ट देने के बाद भी ऐसा डेटा प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि वह लॉफुल पर्पज के लिए ही हो सकता है ।...(व्यवधान) ऐसा नहीं कि किसी ने कंसेन्ट दे दिया और बिना लॉफुल पर्पज के डेटा प्रोसेस हो जाए, इसलिए यह अनलॉफुल पर्पज के लिए नहीं हो सकता ।...(व्यवधान) उसके लिए जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि भारत के संविधान में जो आठवां शेड्यूल है, उसके तहत नोटिस के लिए देना पड़ेगा और डिटेल में बताना पड़ेगा कि आप किस लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ।...(व्यवधान) उसके प्रोसेसिंग का जो पर्पज है, वह क्या है? अगर आपने कंसेन्ट दे दी तो ऐसा नहीं है कि वह कंसेन्ट हमेशा के लिए हो जाए ।...(व्यवधान) ऐसा नहीं है कि वह वन टाइम कंसेन्ट है और उसको विड्रॉ नहीं कर सकते ।...(व्यवधान) उसमें कंसेन्ट को विड्रॉ करने का भी प्रावधान है और यह पर्मिसेबल

है ।...(व्यवधान) ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई स्टिपुलेट टाइम है और उस समय आप विड्रॉ कर सकते हैं । कंसेन्ट को किसी भी समय विड्रॉ कर सकते हैं ।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, आज हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, सोशल इंटरएक्शन है ।...(व्यवधान) जिस हिसाब से आज सर्विसेज दी जा रही हैं, आप देखिए कि इसके लिए आधार का यूज हो रहा है । प्रधानमंत्री मोदी जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो व्यवस्था दी है, उसमें भी डेटा प्रोसेस होता है । वह एक सर्विस है ।...(व्यवधान) जहां पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वहां कंसेन्ट की जरूरत नहीं है ।...(व्यवधान) अगर मेडिकल इमरजेंसी हुई और कोई अन्कॉन्शस है तो उसमें कंसेन्ट की जरूरत नहीं है । इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है ।...(व्यवधान) अगर कोई काम उसके बेनिफिट के लिए है, सर्विस दी जा रही है और कोई बेनिफिट एक्सटेंड किया जा रहा है तो उसमें कंसेन्ट की जरूरत नहीं है ।...(व्यवधान) अगर कोई स्पेसिफाइड पर्पज है, उसने वॉलन्टेरी डेटा दिया है, जैसे किसी मेडिकल शॉप को दिया तो उसका डेटा प्रोसेस करके नाम तथा मोबाइल नंबर आ जाएगा ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : काइंडली कंकलूड ।

...(व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी: सर, मैं कंकलूड कर रहा हूं । ...(व्यवधान) यह बहुत इंपोर्टेंट है ।...(व्यवधान) इनको बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ।...(व्यवधान) ये सारे लोग तो खड़े होकर देश का अहित कर रहे हैं ।...(व्यवधान) आप देखिए, चाहे इंप्लायमेंट को लें...(व्यवधान) सारा का सारा डेटा प्रोसेस होता है ।...(व्यवधान) इसमें कंसेन्ट का एग्जम्पशन भी है ।...(व्यवधान) इतना फाइन बैलेंस क्या है? ...(व्यवधान) कंसेन्ट की कहां जरूरत होगी और कंसेन्ट के एग्जम्पशन की कहां जरूरत होगी? ...(व्यवधान) यह सब कुछ इसमें है ।...(व्यवधान) आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you Sir. After Aadhaar has been linked to welfare policies, after Aadhaar has been linked to voter ID cards, after digitising death and birth certificates, after India

becoming the leader in digital transactions, we come to the conclusion that data is a new oil and majority of data is produced in India. And once we come to this conclusion, definitely, we need this Bill...(Interruptions)

But I need a few clarifications from the hon. Minister...(Interruptions)
There is some sort of ambiguity in a few clauses...(Interruptions) So, kindly give me two or three minutes...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude in two minutes.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Coming to Chapter I, Clause 2, there is no correct definition with regard to harm, storage etc....(Interruptions)
Unless we define harm, we cannot define the consequences of harm...(Interruptions) Unless we define the consequences, we cannot give the compensation...(Interruptions) So, I request the Minister to clarify on that...(Interruptions)

Under Chapter I, Clause 2, subsection (f), a child is defined as 'an individual who has not completed the age of 18...(Interruptions) But we are giving permission to work to a person who is above 14 ...(Interruptions) If we give that permission to him, why can we not give this permission to him?...(Interruptions) We are actually allowing persons to go and watch a movie with UG, PG certificates...(Interruptions) I need a clarification on this ...(Interruptions)

Chapter II, Clause 2 mentions about the consent from data fiduciaries for children of below 18...(Interruptions) There must be verifiable parental consent ...(Interruptions) You and everyone in this House knows that 40 per cent of the

population of this country do not know how to move a file from one folder to the other folder...(Interruptions) In that situation, how do you expect that this is going to happen?...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude in one minute.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Right to data portability or to be forgotten is not outlined in the Bill...(Interruptions) Take for example, someone participated in some political protest 20 years back and his photos had been in media...(Interruptions) Now, if his photos are still in the media, it hampers his growth...(Interruptions) So, I need a clarification on this...(Interruptions)

This Bill also allows the States to process personal data without the individual's concern for purposes like providing benefits, services, licences etc....(Interruptions) This will actually make the data to be used by the State Governments so that they can profile the voters as per their need...(Interruptions) It does not also define the methodology, compliance of data that has been erased...(Interruptions) It does not require data fiduciaries to maintain record of data breaches...(Interruptions) It does not specify a transition period for the Bill's enactment...(Interruptions) It does not talk about data breach through hardware application...(Interruptions).

The amendment to the RTI Act prohibits the disclosure of personal information...(Interruptions) As a result, cases like that of Shrimati Pratibha Patil, former President and her utilisation of resources, which were previously revealed through RTI, would no longer be possible under the new amendment...(Interruptions)

With regard to the appointment of Data Protection Board, this is a good step. But the whole body is being selected through executive branch...(Interruptions) This would actually put the whole onus on the...(Interruptions)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज एक रेवोल्यूशनरी कानून इस सदन में पास होने वाला है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude in two minutes

...(Interruptions)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : सर, अभी तो स्टार्ट किया है। हमारी सबसे बड़ी चिंता डेटा की सुरक्षा थी।...(व्यवधान) आज हमारे देश में कोई भी डेडीकेटेड डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं था।...(व्यवधान) आज इस बिल के माध्यम से सबकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की गारंटी सरकार के माध्यम से ली जाएगी।...(व्यवधान) आप सभी जानते हैं कि कंपनीज़ द्वारा हमारा डेटा इस्तेमाल किया जाता है।...(व्यवधान) हमें रोज स्पैम कॉल्स के माध्यम से हमेशा कॉल्स आती हैं और मैसेजेज़ आते हैं।...(व्यवधान) मुझे लगता है कि नये कानून के कारण एक अच्छी प्रणाली बनाई जाएगी, जिसमें डेटा कलेक्शन से लेकर उसकी प्रोसेसिंग तक का पूरा ख्याल इस कानून के माध्यम से रखा जाएगा।...(व्यवधान) हम विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन, आज तक हमारे पास इसका कोई कानून नहीं था।...(व्यवधान) बाकी देशों में, यूरोपियन यूनियन में यह कानून वर्ष 2018 में बना।...(व्यवधान)

जर्मनी में डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है। उसी के साथ फ्रांस में डिजिटल रिपब्लिक एक्ट है। मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि आज हम डाटा को न्यू ऑयल कहते हैं। हमारे जन्म के रिकार्ड्स से लेकर डेली एक्टिविटीज तक, जैसे हमारी स्मार्ट वॉच है, ऑनलाइन

शॉपिंग हो या डाटा शेयरिंग हो । ... (व्यवधान) मुझे लगता है कि वहां पर डाटा शेयरिंग हो रहा है । चाहे किसी को बैंक में खाता खुलवाना हो या नया सिम कार्ड खरीदना हो, हमारा देश वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और डाटा बेस्ड टेक्नोलॉजी बन रहा है । ... (व्यवधान) इसलिए यह विधेयक आज की जरूरत को पूरा करता है । ... (व्यवधान) मैं दो सजेशनस यहां देना चाहूंगा । सबसे पहला मुद्दा है कि इस बिल में डाटा प्रिंसिपल के लिए राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी या राइट टू. बि. फॉरगॉटन प्रावधान नहीं है, जिससे कई केसेज में इश्यू आ सकता है । ... (व्यवधान) यह प्रावधान 2019 के बिल में था । मैं मंत्री जी से निवेदन करके जानना चाहता हूं कि इसको हटाने की क्या वजह थी? प्लीज इसे क्लैरिफाई कीजिए । इसी के साथ मेरा दूसरा सजेशन एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर को लेकर है । आपने डाटा लोकलाइजेशन नार्म्स को रिलैक्स कर दिया है । ... (व्यवधान) तब 2019 के बिल में डाटा लोकलाइजेशन का प्रावधान था । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट डाटा सेंटर पर हो सकता है? भारत सरकार के पास पॉवर है जिससे वह कंट्री को नोटिफाई कर सकता है । ... (व्यवधान) जॉब क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट के लिए लोकलाइजेशन एक अच्छा ऐवन्यू था ।

मैं मंत्री जी से इस पर थोड़ा क्लैरिटी चाहूंगा कि इस प्रावधान को क्यों हटाया गया? मेरी पार्टी शिव सेना इस बिल का समर्थन करती है । धन्यवाद । ... (व्यवधान)

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Thank you Sir. This Bill is the outcome of several years of consultation among the stakeholders. Data protection legislation is very much needed. It is believed that once enacted, the Bill enables individuals to govern their own personal digital data and will drive enterprises who are Data Fiduciaries to process the personal data of individuals lawfully. However, concerns have been raised over certain provisions of the Digital Personal Data Protection Bill, that they can have an adverse impact on freedom of press.

Further, Section 17(4) allows the Government and its instrumentalities to retain personal data for an unlimited period of time. Certain provisions of the Bill also shift the balance in favour of non-disclosure of information, including information sought by journalists in public interest, thereby reducing accountability.

The proposed amendment to Section 8(1) of RTI Act therefore seeks to exempt all personal information. It does away with the exceptions carved out within the Section based on which personal information could have been disclosed. The proposed blanket exemption is problematic since it does not limit the exemption from disclosure to only sensitive personal information.

Given that the Government is the biggest data repository, the law should not give wide discretionary powers to the Executive. The DPDP Bill, 2023, empowers the Government to draft rules and notifications on a vast range of issues. The Union Government can exempt any Government or even private sector entity from the application of provisions of the law by merely issuing a notification, potentially resulting in immense violations of citizens' privacy. Though the Bill talks about 'privacy by design' and 'transparency', it fails to implement them in a binding manner. The objective should be to protect the privacy of the people and make sure that they have ultimate control over their data.

Another big issue is violation of the spirit of federation. While the provisions with respect to constitution and operation of Data Protection Board have been significantly expanded in the Bill, it disempowers State

Governments in controlling its own data. How can a single Data Protection Board will have jurisdiction and control over data belonging to State Governments? My suggestion is on the lines of RTI, let there be the State Data Protection Boards also. I request the Government to consider these suggestions.

Thank you.

माननीय सभापति: श्री रितेश पाण्डेय जी ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री रितेश पाण्डेय जी, आप दो मिनट में कन्क्लूड कीजिए ।

...(व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सभापति महोदय, मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूँ ।

...(व्यवधान) आपका धन्यवाद और बहन मायावती जी का आभार । ... (व्यवधान) मैं अपनी बात को चम्पारण में पैदा हुए जार्ज ऑर्वेल जी के शब्दों से शुरू करूंगा कि वास्तविकता में शक्ति तब प्राप्त होती है जब शासक वर्ग जीवन की भौतिक अभिवार्ताओं को नियंत्रित करता है, उन्हें जनता को देती है, रोकता है, जैसे कि वे एक विशेषाधिकार हों । ... (व्यवधान) हुजूर, इस बिल में वह विशेषाधिकार सरकार अपने पास रख रही है । कहीं न कहीं हमें यह देखने को मिलता है कि इस बिल के जरिए सरकार ने डाटा को लेकर सभी शक्तियां अपने आप में सीमित कर ली है । ... (व्यवधान)

सरकार पूरे देश का सबसे ज्यादा डेटा का भंडारण करती है इस वजह से भारत सरकार सबसे बड़ी फिड्यूशरी है । यदि हम देखें तो धारा 37 में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के हिसाब से और सरकार की मंशा के अनुरूप कोई भी कंटेंट कभी भी ब्लॉक किया जा सकता है! इसे शक की निगाह से देखने की जरूरत है । मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि 'एज़ मे बी प्रेस्क़ाइब्ड' का हिंदी में अनुवाद है 'जैसे कि डेटा बोर्ड द्वारा, अथारिटी द्वारा और भारत सरकार

द्वारा निर्धारित किया जाएगा।'...(व्यवधान) मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म करूंगा। इसमें 'निर्धारित' करने का प्रावधान 20 पन्ने के बिल में 26 बार आया है। इसका मतलब है कि सारे के सारे कानून बाद में बनाए जाएंगे और उनको पूरी तरह से सरकार बंद दरवाजों के पीछे से बनाएगी।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: धन्यवाद।

...(व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय: महोदय, मैं लॉस्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।...(व्यवधान) आप मुझे बहुत कम समय दे रहे हैं इसलिए मैं कन्क्लूजन रिमार्क यहां रखना चाहता हूं।...(व्यवधान) डेटा बोर्ड बनाने की अथॉरिटी में पुट्रुस्वामी जजमेंट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश या उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सरकार चुनेगी, ये लोग सरकार के अधीनस्थ होंगे। जब कभी सरकार ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: धन्यवाद।

...(व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : महोदय, मुझे अपनी बात कम्पलीट करने दीजिए। मैं बीएसपी की तरफ से बोल रहा हूं, हमारी पार्टी के दस मैम्बर हैं।...(व्यवधान) मुझे एक मिनट में कम्पलीट करने दीजिए।...(व्यवधान) जहां बोर्ड के अध्यक्ष और सभी सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होंगे, इससे बोर्ड की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिह्न लगता है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री जयदेव गल्ला जी।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me the opportunity to speak on this Bill. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Jayadevji, kindly conclude within two minutes.

...(*Interruptions*)

SHRI JAYADEV GALLA: Sure, Sir. Please start my time now onwards.

...(Interruptions)

Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on this Bill which has come up after a long journey and undergone five different iterations. One point agreed upon by everybody is that we need a legislation on data protection. ...(Interruptions) Therefore, this Bill is a welcome step.

...(Interruptions) However, I wish to point out a couple of things.

...(Interruptions) Sir, I come to the Data Protection Board. ...(Interruptions) I

feel, it is overtly tilted towards the Central Government from Clause 18 to Clause 26. ...(Interruptions) For example, the Bill provides for the following

points – (i) the Government of India will establish the Board; (ii) it will decide where its headquarters should be; (iii) it will decide its Chairperson and Members; (iv) loosely-tied qualifications to become Chairperson, giving elbowroom to the Government of India to appoint one at its own wisdom; (v) the Chairperson and Members can be re-appointed but the tenure is not mentioned; (vi) the Government will prescribe how the Board has to function and follow procedures, including how to conduct meetings. ...(Interruptions)

Sir, you are appointing the Board for just two years and allowing for renewal.

...(Interruptions) My question is this. Is it not too short a term, and with the scope of re-appointment, will it not affect the independent functioning of the Board? ...(Interruptions) Additionally, the Supreme Court observed in 2019

that short-term appointments, along with provision for re-appointment increase the influence and control of the Executive. ...(Interruptions) Sir my final

point is related to the amendment to Section 8(1)(j) of the RTI Act. ...*(Interruptions)* I strongly feel that the proposed amendment makes Government functionaries and the Executive remain opaque in their functioning, and there is a possibility of corruption which this Government wants to curb at every point and at any cost. ...*(Interruptions)* So, my only request to the hon. Minister is to re-visit this amendment with a broader frame of mind. ...*(Interruptions)*

Sir, in conclusion, at a macro-level, it is a good Bill with a good beginning. It is an honest attempt made by the Ministry headed by two highly knowledgeable and experienced figures in the field of ICT. ...*(Interruptions)* So, I support this Bill with some caveats that I have mentioned. ...*(Interruptions)* I hope, the hon. Minister will sincerely address them. Thank you. ...*(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri Syed Imtiaz Jaleel. Kindly conclude within two minutes.

...*(Interruptions)*

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): Hon. Chairperson Sir, I stand here to strongly oppose the Digital Personal Data Protection Bill, 2023. ...*(Interruptions)* Why I am saying this is because it raises serious questions, and one of them is the excessive centralisation of powers. ...*(Interruptions)* It says that the Union Government can exempt any Government or any private sector entity from the application of the provisions of the law by merely issuing a notification, potentially resulting in immense violation of citizens' privacy

(Section 17 (2) and Section 17 (3)). ...*(Interruptions)* On the other hand, no such exemption can be given to the individuals who are opposed to you, to the Media that is opposed to you, and to the Opposition Parties that are opposing your programmes and policies. ...*(Interruptions)*

Another point is that the Bill does not bring about the surveillance reform that is urgently needed. Instead, it creates a good framework for the surveillance of citizens. Mr. Minister, your Government in Maharashtra had already done ...^{*} through the police department. It was done in Maharashtra by the BJP Government. We need to seek clarification on this. ...*(Interruptions)*

This Bill also raises serious concern over the widening of censorship. Clause 37(1)(b) of the Bill allows the Union Government to censor content, which means if somebody is writing good about you, you will not censor; if somebody is writing against you, then that content is censored. ...*(Interruptions)*. The reason will be 'in the interest of the general public'. I strongly oppose this Bill, and I hope the Government reconsiders it.

श्री संजय सेठ (राँची): धन्यवाद सभापति महोदय । आज मैं डेटा प्रोटेक्शन विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । ...*(व्यवधान)* यह सबसे बड़ा सुधारीकरण है और इस सुधारीकरण में जो यह अवरोध विपक्षी दल पैदा कर रहे हैं, उनको यह मालूम होना चाहिए कि वर्ष 2024 में ये एक चौथाई ही रह जाएंगे, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र को शर्मसार किया है । ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल सर्विस में दुनिया में सबसे बड़ा काम किया है । ...*(व्यवधान)* 90 करोड़ लोग इस डिजिटल दुनिया में सेवा ले रहे हैं और 140 करोड़ की आबादी में गांव, टोला, मोहल्ले के लोग, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, पकौड़े

^{*} Expunged as ordered by the Chair

बेचने वाला हो, हर कोई मोबाइल यूज करके सुरक्षा के माध्यम से डेटा इस्तेमाल करता है ।
 ...(व्यवधान) हम कह सकते हैं कि 'मोदी है, तो मुमकिन है।' हर व्यक्ति की चिंता करने वाला मोदी है और हर व्यक्ति के प्रति चिंतन का परिणाम यह विधेयक है । ...(व्यवधान) जैसे-जैसे समस्या बढ़ी, वैसे-वैसे मोदी जी का समाधान शुरू हुआ । देश में कोई भी समस्या आती है, मोदी जी उसका समाधान ढूंढकर लाते हैं । ...(व्यवधान) डेटा संरक्षण विधेयक उसी समाधान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है । ...(व्यवधान) सभापति जी, हम किसी शॉपिंग मॉल में जाकर शॉपिंग करते हैं, तो डेटा हमसे ले लिया जाता है, लेकिन अब इस विधेयक के माध्यम से जब कानून बन जाएगा, तब किस उद्देश्य से डेटा ले रहे हैं, कब तक इस डेटा का उपयोग करेंगे, इसको बताना होगा ।
 ...(व्यवधान) सबसे बड़ी बात हम यह कह सकते हैं कि कब तक इस डेटा को अपने पास रखेंगे, डेटा को कब समाप्त करेंगे, यह बताना होगा । ...(व्यवधान) डिजिटल होते भारत में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस सरकार के द्वारा यह अमृत देशवासियों को दिया गया है ।
 ...(व्यवधान) नरेंद्र मोदी सरकार और माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र में आम जनता की चिंता करते हुए यह बिल लेकर आए, इस हेतु मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ । ...(व्यवधान) महोदय, सबसे बड़ी बात भाषा की होती है ।

माननीय सभापति: कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

...(व्यवधान)

श्री संजय सेठ : सर, झारखंड के लोग तमिलनाडु में काम करते हैं । ...(व्यवधान) अगर वे डेटा देते हैं, तो उनको उसी भाषा में जवाब देना होगा, समझाना होगा और इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसी डेटा को लेने के उद्देश्य से समझाना होगा । ...(व्यवधान) डेटा इधर-उधर करना कानूनन जुर्म है । मैं इस हेतु माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ ।
 ...(व्यवधान) एक और बात मैं कहना चाहता हूँ । हम सब जब किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो बच्चों को साथ ले जाते हैं । बच्चों का डेटा भी उसमें आ जाता है । बच्चा 3 साल का होता है, तो प्ले स्कूल वालों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि आप किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? हमारे प्ले

स्कूल में आएंगे। ... (व्यवधान) मैं कह सकता हूँ कि ब्रेन मैपिंग संस्था, जो मैसेज करती है, इसके द्वारा उसमें सबसे बड़ी रोक हो जाएगी। ... (व्यवधान) इस विधेयक के आने के बाद बच्चों का व्यक्तिगत डेटा लेने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। आज इस सदन में अपना पक्ष रखने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि इतनी डिस्टर्बेंस होते हुए भी माननीय सांसदों ने इतने अच्छे सुझाव दिए और इतने अच्छे विषय रखे। ... (व्यवधान) मैं बहुत संक्षेप में सभी विषयों को कवर करूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति जी, एक विषय आया कि हार्म की डेफिनिशन क्या है? ... (व्यवधान) सेक्शन- 2(b) में लॉस की डेफिनिशन दी हुई है। ... (व्यवधान) उस लॉस से कम्पेन्सेशन की पूर्ति लॉ ऑफ टॉर्ट्स के द्वारा हो सकती है। ... (व्यवधान)

दूसरा विषय बच्चों की उम्र के बारे में आया। इसमें बहुत क्लीयर प्रॉविजन्स रखे गए हैं कि ग्रेडेड वे में उम्र के हिसाब से किन एप्स को बच्चे यूज कर सकते हैं और किन एप्स को नहीं यूज करना चाहिए, इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था इसमें की गयी है। ... (व्यवधान)

इसमें तीसरा विषय आया है माता-पिता की कंसेंट लेना और उनकी परमिशन लेना। ... (व्यवधान) आज हमारे पास बहुत सारे डिजिटल माध्यम आ चुके हैं, जैसे डिजी लॉकर, उनके जरिए भी माता-पिता की परमिशन ली जा सकती है। ... (व्यवधान)

चौथा विषय 'right to be forgotten' आया है। यह सेक्शन-12 में 'right of erasure' के नाम से है। Right to be forgotten और right to be erased करीब-करीब समान हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, साथ में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की इंडिपेंडेंस का भी विषय आया है तो इंडिपेंडेंस आती है कानून से। उसमें इंडिपेंडेंस यह आती है कि जो मेम्बर्स हैं, उनकी टर्म्स

एंड कंडिशनस को कोई चेंज न कर पाए। इन सब चीजों की व्यवस्था इस बिल में बहुत क्लियरली की गई है। बिल का सेक्शन-28 क्लियरली कहता है कि "The Board will be an independent body." कुछ माननीय सदस्य रूलस के बारे में विषय लेकर आए हैं कि कितना प्रेस्क्रिप्शन, prescription as may be prescribed रखा हुआ है? ...(व्यवधान) मैं माननीय रितेश जी को कहना चाहूंगा कि रूल मेकिंग पावर एक्सॉल्यूट पावर नहीं होता है। अगर संसद ने कानून की कोई बाउंड्री की है तो रूल उसी कानून की बाउंड्री के अंदर ही बनेंगे और रूल को पार्लियामेंट में भी पेश करना पड़ता है। ...(व्यवधान) यह एक्सॉल्यूट पावर नहीं है। यह व्यवस्था 70 सालों से बहुत अच्छे से टाइम टेस्टेड व्यवस्था है।

माननीय सभापति महोदय, डेटा लोकलाइजेशन के बारे में भी बात की गई है। सेक्शन-16 में बहुत क्लियर प्रोविजन्स हैं कि जो सेक्टर अपने सेक्टरल रिकवॉयरमेंट के हिसाब से रेगुलेशन बनाना चाहे, उसमें सेक्टरल रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं। ...(व्यवधान) यह बिल एक होरिजेंटल व्यवस्था है, यानी विभिन्न सेक्टर के ऊपर इसका प्रभाव लागू होता है। हर सेक्टर की अपनी रिकवॉयरमेंट होती है। फाइनेंशियल सर्विसेज की अपनी रिकवॉयरमेंट है। उन सब रिकवॉयरमेंट्स को अपने-अपने सेक्टर के हिसाब से रेगुलेशन लाने का अधिकार रहेगा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, आरटीआई के बारे में मैंने ओपनिंग स्पीच में बोला था। इसके साथ-साथ कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, जिसमें कहा गया कि बोर्ड में कोई जुडिशियल बॉडी नहीं है। बोर्ड के ऊपर अपीलेंट बॉडी टीडीसैट है। ...(व्यवधान) टीडीसैट का चेयरमैन एक जुडिशियल मेम्बर होता है और टीडीसैट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। ...(व्यवधान) हरेक चीज के लिए एक क्लियरली डिफाइन व्यवस्था है। उस व्यवस्था में एक जुडिशियल पद्धति के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी ग्रीवेंस का रिड्रेसल कर सकता है और अपनी समस्या का समाधान कर सकता है।...(व्यवधान) कुछ माननीय सदस्यों ने केवल रेटरिक के माध्यम से बातें कही हैं। अगर उनके पास कोई और भी विषय रहेगा तो वे हमारे पास कभी भी आ सकते हैं और कभी भी इस पर डिस्कशन कर सकते हैं।...(व्यवधान) I rise to move an amendment to the Digital

Personal Data Protection Bill, 2023. The amendment is, on page 14, line 30 –
“for section 36, kindly, substitute section 37.”

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि डिजिटल वैयक्तिक डाटा का, ऐसी रीति में प्रक्रमण करने, जो व्यष्टिकों के उनके वैयक्तिक डाटा का संरक्षण करने के अधिकार और विधिपूर्ण प्रयोजनों के लिए ऐसे वैयक्तिक डाटा के प्रक्रमण, दोनों की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करता है और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

...(व्यवधान)

Clause 2

Definitions

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय, संशोधन संख्या 2 से 8.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन, संशोधन संख्या 17.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: एडवोकेट ए.एम. आरिफ, संशोधन संख्या 31 से 35.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, संशोधन संख्या 39 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 3, line 19, --

after "data"

insert "without obtaining consent in writing with signature".

(39)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

Clause 3

Application of Act

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय, संशोधन संख्या 9.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन, संशोधन संख्या 18.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आपको बाद में मौका मिलेगा।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

Clause 4

Grounds for processing personal data

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन – संशोधन संख्या 19.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 40 और 41 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes, Sir, I beg to move:

Page 4, line 17,-

after “consent”

insert “in writing with signature”. (40)

Page 4, line 18,-

after “legitimate uses”

insert “only with prior notice to the Data

Principal and with written consent duly

signed by the Data Principal”. (41)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 40 और 41 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

Clause 5

Notice

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन – संशोधन संख्या 20.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 42 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Yes, Sir, I beg to move:

Page 5, line 1,-

after “data”

insert “only for the purpose for which consent has
been given”. (42)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 42 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

Clause 6**Consent**

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 43 से 45 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes, Sir, I beg to move:

Page 5, line 23,-

for "invalid"
substitute "null and void". (43)

Page 5, line 33,-

omit ", where applicable," (44)

Page 5, line 49,-

for "a reasonable time"
substitute "five hours". (45)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 43 से 45 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

Clause 7**Certain legitimate uses**

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन – संशोधन संख्या 21.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री बैन्नी बेहनन – संशोधन संख्या 22.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 46 से 56 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Yes, Sir, I beg to move:

Page 6, line 32,-

omit “and any of its instrumentalities” (46)

Page 6, line 36,-

omit “or any of its instrumentalities” (47)

Page 6, line 40,-

omit “or any of its instrumentalities” (48)

Page 7, line 1,-

omit “or any of its instrumentalities” (49)

Page 7, line 3,-

after “State”

insert “with prior permission of the three Member Committee consisting of a Retired Judge of Supreme Court acting as the Chairman and two retired High Court Judges as the Members.”. (50)

Page 7, line 5,-

omit “or any of its instrumentalities” (51)

Page 7, line 7,-

after "force"

insert "with prior permission of the three Member Committee consisting of a Retired Judge of Supreme Court acting as the Chairman and two retired High Court Judges as the Members."

(52)

Page 7, line 12,-

omit "or any other individual" (53)

Page 7, line 15,-

after "health"

insert "with prior permission of the three Member Committee consisting of a Retired Judge of Supreme Court acting as the Chairman and two retired High Court Judges as the Members." (54)

Page 7, line 17,-

omit "or any break down of public order" (55)

Page 7, line 24,-

after "employee"

insert “with prior permission of the three
Member Committee consisting of a
Retired Judge of Supreme Court
acting as the Chairman and two
retired High Court Judges as the
Members.”. (56)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 46 से 56 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

Clause 9

Processing of personal data of children

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन – संशोधन संख्या 23.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री बैन्नी बेहनन – संशोधन संख्या 24.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

**Clause 10 Additional obligation of
significant Data Fiduciary**

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन – संशोधन संख्या 25.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

**Clause 12 Right to correction and
erasure of personal data**

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 10 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am not moving my amendment.

...(Interruptions)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

Clause 13 Right of grievance redressal

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय - संशोधन संख्या-11,

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 13 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 16**Processing of personal data outside India**

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय - संशोधन संख्या - 12

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 18**Establishment of Board**

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय - संशोधन संख्या - 13

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 18 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

**Clause 19 Composition and qualification
for appointment of Chairperson
and Members**

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय - संशोधन संख्या – 14

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन - संशोधन संख्या - 26

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री बैन्नी बेहनन - संशोधन संख्या - 27

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 19 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

**Clause 20 Salary, allowances payable to
and term of office**

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय - संशोधन संख्या – 15

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: एडवोकेट ए.एम. आरिफ - संशोधन संख्या - 36

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

**Clause 21 Disqualification for appointment
and continuation as chairperson
and Members of Board**

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन - संशोधन संख्या - 28 और 29

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 21 विधेयक का अंग बनें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 27

**Powers and functions
of Board**

Amendment made:

Page 14, line 30,-

for “section 36”

substitute “section 37”. (1)

(Shri Ashwini Vaishnaw)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 27, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बनें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 से 32 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 33

Penalties

माननीय सभापति: एडवोकेट डीन कुरियाकोस - संशोधन संख्या - 16

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 33 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 34 से 43 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 44

Amendment to certain Acts

माननीय सभापति: श्री बैन्नी बेहनन - संशोधन संख्या – 30

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 44 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 44 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

Clause 1 Short title and commencement

माननीय सभापति: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 37 और 38 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 1, line 7,-

omit “in the Official Gazette”. (37)

Page 1, *omit* lines 8 and 9. (38)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 1 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 37 और 38 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 1 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को, यथा संशोधित, पारित किया जाए।

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Hon. Chairman, Sir, I rise to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।”

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री भर्तृहरि महताब जी।

...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Sir.

It is said: “New dawn for data protection”. In Oriya, a line is there: “*Nahin mamun tharu kana mamun bhala*”. It means: “Rather than having no uncle, it is better to have a one-eyed uncle”. ...(Interruptions)

I have two queries to ask. This Bill is not about data protection but about data processed. The question that I would like to ask is why do we not build an independent regulator. What provision is being made for independent regulator? The regulator that you have is not independent. How are you going to build an independent regulator? ...*(Interruptions)*

The second point is there is need for clarity and checks on cross-border data transfer restrictions. That has not been discussed today. Neither the Bill is very clear about it. I would like to understand about it from the Minister. ...*(Interruptions)*

श्री अश्वनी वैष्णव: सभापति महोदय, ये सारे विषय पहले लिए जा चुके हैं।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति: श्री अधीर रंजन चौधरी जी, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है। अगर आप बात करना चाहते हैं तो अपने मैम्बर्स से कहिए कि वे अपने-अपने स्थान पर वापस चले जाएं। सबसे पहले वे अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैं आपसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम हमें अपनी बात को रखने दिया जाए और वह भी शांति से रखने दिया जाए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप नियम बताइए?

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आपकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए, यह मेरी दरखास्त है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप नियम बताइए।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: The Point of Order is under Rule 353.

It is clearly stated that no allegation of a defamatory or incriminatory in nature shall be made by a Member against any person unless the Member has given adequate advance notice to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply. मेरा सवाल यह है कि हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी सदन में बैठे थे।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: हमने आपकी बात सुनी है।

...(व्यवधान)

15.00 hrs

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, राहुल गांधी जी के खिलाफ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: हमने आपकी बात सुनी।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मुझे बोलने नहीं देते, हम क्या करें,...(व्यवधान) राहुल गांधी जी के खिलाफ बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ओछे तरीके से घटिया टिप्पणी की गई है और वह भी सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपको जवाब देता हूँ।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आज बिल पारित हो रहा है, तो वह प्रस्तुत है।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 17. अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023.

माननीय मंत्री जी ।

...(व्यवधान)

15.01 hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Prof. Sougata Ray and some other hon. Members left the House

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up Item No. 17: Dr. Jitendra Singh.

...(Interruptions)

15.01½ hrs

ANUSANDHAN NATIONAL RESEARCH FOUNDATION BILL, 2023

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I beg to move:^{*}

“That the Bill to establish the Anusandhan National Research Foundation to provide high level strategic direction for research, innovation and entrepreneurship in the fields of natural sciences

^{*} Moved with the recommendation of the President.

including mathematical sciences, engineering and technology, environmental and earth sciences, health and agriculture, and scientific and technological interfaces of humanities and social sciences, to promote, monitor and provide support as required for such research and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”...(*Interruptions*)

जिन माननीय सदस्यों ने आज हाउस में अनुपस्थित रहने का निर्णय किया है, वे इस बात पर पछताएंगे कि यह बिल 75 वर्षों के बाद, पहली बार, इस सदन में लाया जा रहा है और मुझे नहीं लगता है कि अगले 75 वर्षों में भी इस तरह का कोई बिल आएगा। It is, in a way, history in the making. The choice is left to us whether we make ourselves part of the history or deprive us of this historic opportunity in the history of India's Parliamentary proceedings.

जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले आठ-नौ वर्षों में प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक भौगोलिक भूमिका निभाने का अवसर मिला है। आज देश-विदेश में भारत का लोहा माना जा रहा है। यह मुख्यतः इस कारण संभव हुआ है कि विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रतिभा, भारत की क्षमता, भारत का सामर्थ्य पहली बार दुनिया के सामने आया है। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि हमारे यहां ह्यूमन रिसोर्स की कभी कमी नहीं थी, प्रतिभा की कमी नहीं थी, योग्यता की कमी नहीं थी, मेहनत करने का माइदा कभी कम नहीं था। हमारे युवा वैज्ञानिकों के आंखों में सपने भी थे। आपने साराभाई का वह चित्र देखा होगा कि जब वे बाइसाइकल के कैरियर पर अपना लांचर व्हीकल लेकर जाते थे। शायद, अभाव इस बात का था कि नीति निर्धारित करने वालों के स्तर पर या नेतृत्व में उस प्रकार का सहयोग या सहायता उपलब्ध नहीं था, and for the first time, the hon. Prime Minister Modi-ji has provided an enabling milieu, जिसमें हर प्रकार की क्षमता को अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार

उसे आउटलेट मिला और यह इसलिए संभव हुआ कि इन गत नौ वर्षों में प्रधान मंत्री जी ने अनेकों ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए और बहुत सारी पुरानी बंदिशों को तोड़ डाला। Many taboos of the past were broken. अंतरिक्ष को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। आज नतीजा यह है कि 150 से अधिक स्टार्टअप्स इसरो में काम कर रहे हैं। भले ही हमारी अंतरिक्ष की यात्रा उस समय आरंभ हुई थी, जब तत्कालीन सोवियत यूनियन और अमेरिका चांद की धरती पर पैर रखने, आदमी उतारने के स्वप्न देख रहे थे और हम 'चंदा मामा दूर के' गीत गा रहे थे। लेकिन, आज वह स्थिति है कि भले ही अमेरिका का एक मानव, नील आर्मस्ट्रांग, सन् 1969 में चांद की धरती पर उतर कर आया है, लेकिन अपने आगे-पीछे अपने आजू-बाजू पानी अथवा जल की उपस्थिति न देख सका। यह हमारा चंद्रयान था, जो जल का चित्र लाया और आज अमेरिका के नासा जैसे संस्थान अपने शोध के लिए, अपने भविष्य की योजनाओं के लिए हमारे द्वारा लाए गए निष्कर्षों की प्रतीक्षा करते हैं।

इसी प्रकार क्वांटम मिशन को अभी हाल ही में प्रधान मंत्री जी ने लॉन्च किया, जिसने हमें विश्व के उन 4-5 देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया और जहां दूसरे देश हैं, वहीं हम हैं। पहले यह हुआ करता था कि कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती, वह 10-15 वर्ष विदेश में लागू रहती, जब वह लोकप्रिय हो जाती तब हम उसे लाते। मैं आपके सामने एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण टेलीविजन का रखना चाहूंगा। अमेरिका में 1950 के दशक में भी टेलीविजन चलता था और वहां पर 1960 का राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, जिसमें एक बड़े ही नाटकीय ढंग से, ड्रामैटिक तरीके से रिचर्ड निक्सन को जॉन कैनेडी ने हराया था और वहां का टीवी डिबेट एक टर्निंग पॉइंट था। जबकि हमें तब यह कोई इल्म ही नहीं था, गुमान नहीं था कि टीवी होता क्या है? हमारे यहां टीवी 1970 के दशक में आया और वह भी एक सप्ताह में आधा घंटा चित्रहार आता था। लेकिन, आज मोदी जी के नेतृत्व में हम यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि with all the confidence at our command that we are moving at the same pace, rather in many ways ahead of

other countries. The other countries are looking up to us. इस प्रकार की भौगोलिक भूमिका को सुचारु रूप से निभाने के लिए हमें कुछ उसी तरह के प्रावधान भी करने पड़ेंगे।

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अथवा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान— कुछ एक देशों ने इस प्रकार के प्रतिष्ठान कायम किए हैं। आज हम उन देशों के साथ जुड़कर और उनसे एक कदम आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जब 03 जनवरी, 2019 में हमारी इंडियन साइंस कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ था, तब प्रधान मंत्री जी की ओर से ही यह सुझाव आया था कि क्या इस प्रकार का कोई अनुसंधान प्रतिष्ठान भारत में भी कायम किया जा सकता है। सच पूछिये तो 'जय अनुसंधान' का आह्वान भी उन्होंने ही किया था। उसके उपरांत वर्ष 2019 में राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ, उसमें भी इसका उल्लेख आया था। फिर उसके बाद एक और मील का पत्थर एनईपी, 2020 – नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, जो शायद बहुत साल पहले होनी चाहिए थी, न मालूम क्यों इतने साल उस पर किसी ने विचार नहीं किया? हमारी एजुकेशन पॉलिसी पुराने तकाजे, पुराने मापदण्डों पर आधारित थी, जो हमारे छात्रों, युवाओं को भौगोलिक स्पर्धा के लिए तैयार करने में असमर्थ थी। हालांकि, उसका नाम तक ह्यूमन रिसोर्स था। वह कोताही भी दुरुस्त हुई। आज उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, because human resource has a different connotation in the corporate world and even in other worlds. वहां से लेकर आज तक उसमें एक्सीडेंटरी का प्रावधान है। आप अपने विषय चुन सकते हैं, आप विषय बदल सकते हैं, आप अपनी प्रतिभा, स्किल और एप्टिट्यूड के अनुकूल अपना रास्ता तय कर सकते हैं। उसी को जोड़ते हुए, उस प्रतिभा को, उस क्षमता को पूरा अवसर मिले, यह और ज्यादा अनिवार्य हो जाता है कि इस प्रकार की नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाए। अब प्रमुख तौर पर अगर कहा जाए कि इसकी इतनी आवश्यकता क्यों थी या इसे शीघ्र लाने की इतनी क्या मजबूरी थी, तो शायद संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है, उसमें कुछ एक मिसिंग लिंक थे। उदाहरण के तौर पर हमारी फंडिंग में, हमारे अधिकतर अनुसंधान के केन्द्र और विभाग विश्वविद्यालयों में हैं। लेकिन, यह साइंस इंस्टीट्यूट्स, आईआईटीज़ और दूसरे संस्थानों में

भी फैले हुए हैं। हमारे जो फंडिंग के स्रोत थे, जैसे हमारे यहां एक साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, वह स्पर्धा के आधार पर ग्रांट देता था। स्पर्धा के आधार पर आईआईटीज़ जैसे संस्थान लगभग 65 प्रतिशत ग्रांट के हकदार हो जाते एवं मात्र और मात्र 11 प्रतिशत राज्यों के विश्वविद्यालयों को उपलब्ध रहती। बिल के इंट्रोडक्शन के समय किसी ने यह कहा था कि यह बिल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, बल्कि मैं यह कहूंगा कि हम राज्यों का सशक्तिकरण कर रहे हैं। उनके विश्वविद्यालयों में जो साधन वे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, इसके माध्यम से वह किए जाएंगे। इसलिए यह कल्पना आई कि एक हाई लेवल थिंक टैंक बनाया जाए, जो कोऑर्डिनेशन करे for the long-term and the short-term research. जो सीडिंग करे, फैसीलिटेट करे कि जहां अच्छा अनुसंधान हो रहा है और जो वैज्ञानिक ढंग से स्वयं भी शोध करें कि किस प्रकार के विषयों पर हमें नवाचार करना है, शोध करना है। किस तरह की कोलैबोरेशन हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहे ताकि हमारी भौगोलिक भूमिका दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाए। इसके साथ ही साथ, ट्रांसलेशनल रिसर्च भी हो। ऐसा अनुसंधान, जो मात्र प्रयोगशालाओं तक ही सीमित रहे और वह समाज के किसी कार्य न आए, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए उसका ट्रांसलेशन करके, उसको अनुवादित करके समाज के हित में लाया जाए, चाहे वह विकास के कार्य हों, चाहे वह अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य हो, चाहे समाज सुधार के कार्य हों। इसलिए पब्लिक प्राइवेट को-ऑर्डिनेशन होना चाहिए। आज समय आ गया है कि धीरे-धीरे पब्लिक और प्राइवेट के बीच की दूरी को समाप्त किया जाए क्योंकि यदि हमें सामूहिक तौर पर विकास करना है, तो इन बंदिशों और बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। यह संस्था इस बात का भी ध्यान रखेगी कि किस प्रकार से इंडस्ट्रीज़ को भी जोड़ा जा सके, so that we have a healthy synergy of research, academia, industry, start-ups, and entrepreneurship. इसके साथ-साथ, जो फण्डिंग होगी, जैसा कि मैंने अभी कुछ क्षण पहले कहा कि उसकी कोई ज्यादा व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी। कई बार उसके उतने आउटकम नहीं रहते हैं, जिसकी अपेक्षा थी। इस संस्था के पास एक्सपेंडिचर को एनालाइज़ करने का भी प्रावधान रहेगा कि कितना देना है, कितना नहीं देना है।

इसके साथ-साथ, उसका समय-समय पर सर्वे भी होगा। अभी मैं लम्बी बात नहीं करता हूँ। इसके बाद जब मैं उत्तर दूँगा, तब अगर कुछ आवश्यक रहा, तो बताऊँगा, लेकिन मुख्य तौर इसके प्राशासनिक प्रावधान में दो संस्थाएं रहेंगी- एक गवर्निंग बॉडी, जिसके एक्स-ऑफिसियो अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री होंगे। उसके सदस्यों में शिक्षा मंत्री, विज्ञान मंत्री और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर होंगे। इसी प्रकार से, उनके पास यह भी प्रावधान रहेगा कि वे कुछ मेम्बर्स को नॉमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इसमें इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा भूमिका देने का प्रयास है। लगभग पाँच सदस्य उद्योग जगत से हो सकते हैं। यहाँ तक कि ह्यूमैनिटीज यानी सोशल साइंसेज से भी सदस्य लिये जा सकते हैं ताकि विज्ञान की खोज में कहीं सोशल एंगल न लुप्त हो जाए। इस गवर्निंग बॉडी के नीचे कामकाज चलाने के लिए एक्जिक्युटिव काउंसिल रहेगी, जिसके चेयरमैन प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रहेंगे। सारे संबंधित सचिव उसके मेम्बर होंगे और इसके पास भी यह अधिकार होगा कि ये बाहर से भी जिन-जिन विशेषज्ञों को उचित समझें, नियुक्त कर सकें। इसका बजट लगभग 50 हजार करोड़ रुपए रखा गया है, जो 5 वर्षों के लिए है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत बड़ा निर्णय है। विज्ञान को लेकर आज तक 70 वर्षों में किसी भी सरकार ने इस प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी थी। इस 50 हजार करोड़ रुपए में से सरकार की ओर से, आरंभिक समय के लिए 10 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च को समाप्त करके इसी में शामिल किया जाएगा, तो उसका बजट 4 हजार करोड़ रुपए इसी में आ जाएगा और 36 हजार करोड़ रुपए अन्य साधनों से प्राप्त किये जाएंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। A huge, huge step towards involving private sector. यह 36 हजार करोड़ रुपए प्राइवेट इंडस्ट्रीज से भी आ सकते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट से भी आ सकते हैं और देश-विदेश से जो सहयोग करना चाहें, उनसे भी आ सकते हैं ताकि उनको अपनी इन्वॉल्वमेंट भी महसूस हो, इससे मुनाफा भी कमाएं और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए देश की सामूहिक अर्थव्यवस्था में भी विज्ञान और नवाचार के माध्यम से योगदान किया जा सके।

मुझे लगता है कि इस बिल पर कोई बहुत ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है, केवल इसे समझने की आवश्यकता थी। अगर विपक्ष के माननीय सदस्य यहाँ रहते, तो शायद और अच्छा होता, हम भी उनसे कुछ सुझाव लेते। इसी प्रार्थना के साथ, मैं निवेदन करूँगा कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि प्राकृतिक विज्ञान जिसमें गणितीय विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि और मानवीय और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस शामिल हैं, के क्षेत्र में अनुसंधान, नवपरिवर्तन और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय नीतिगत निदेश प्रदान करने, ऐसे अनुसंधान के लिए यथा अपेक्षित निगरानी प्रोन्नत और सहायता प्रदान करने और उससे संबंधित मामलों या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान स्थापित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत, अनुसंधान नैशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, 2023 के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में इस तरह का कोई विधेयक नहीं आया और न ही अगले 75 वर्षों तक आने की कोई संभावना है। यकीनन, मैं माननीय मंत्री जी की इस बात का समर्थन करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि पहली बार भारत में पूरी दुनिया की रिसर्च के साथ और उनसे आगे बढ़ने के लिए इस तरह का बिल लेकर आए हैं, जिसमें 50 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जिससे हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च का काम हो। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, यह स्वाभाविक है कि उन्होंने कहा कि इस बिल पर बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। जब 75 वर्षों के बाद ऐसा बिल आया है, तो मुझे लगता है कि इस पर विस्तार से बोलने की जरूरत है कि आखिर यह बिल किस-किस क्षेत्र में क्या-क्या काम करेगा?

माननीय मंत्री जी ने इस बिल पर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल माननीय प्रधान मंत्री जी की संकल्पना को पूर्ण करता है। खास तौर से, जब दुनिया के किसी भी मुल्क में वे जाते थे, तो देखते थे कि रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जिसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट – आरएंडडी कहते हैं, हर देश के लोग आरएंडडी में लगे हुए हैं, चाहे यूएसए हो, यूरोपियन यूनियन हो या चाइना हो। आखिर उनकी भी ताकत बढ़ी है। हमारे देश में क्यों नहीं हम आरएंडडी पर जोर देते थे?

अभी तक शायद कोई भी सरकार इस बात की कल्पना तक नहीं करती थी। जब कोई बात आती थी, चाहे किसी वैक्सीन के लिए बात हो, किसी एंटीबायोटिक की बात हो, किसी मेडिसिन की बात हो या किसी भी क्षेत्र की बात हो। मान लीजिए, आने वाले दिनों में अगर ग्रीन एनर्जी की भी बात हो, तो हम भारत के लोग अभी तक केवल इस पर निर्भर रहते थे कि अमेरिका में रिसर्च होगा, जापान में रिसर्च होगा, चाइना में रिसर्च होगा या यूरोपियन यूनियन में रिसर्च होगा और उस रिसर्च को भारत भी आने वाले कुछ वर्षों के बाद अपनाएगा। मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं कि कैसे हम टीवी के युग से लेकर आज के युग में पहुंचे हैं। हम सोचते थे कि हम फिर उसको एडॉप्ट करेंगे।

माननीय सभापति जी, मुझे लगता है कि कोविड की वैश्विक चुनौती ने या दुनिया में जिस तरीके से एक आवश्यकता महसूस हुई और प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अभी तक हम रिसर्च, टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट के लिए दुनिया के दूसरे प्रगतिशील मुल्कों पर निर्भर रहते थे कि हम उनसे टेक्नोलॉजी लेकर 'मेक इन इंडिया' का कार्य करेंगे।

मुझे लगता है कि इस बोर्ड के स्थापित होने के बाद दुनिया हम पर निर्भर होगी कि भारत से टेक्नोलॉजी मिलेगी और इससे निश्चित तौर पर दुनिया के लोग आगे आएंगे। इसीलिए, अभी तक

स्ट्रक्चर था, कहीं अलग-अलग संस्थाओं में अलग-अलग ढंग से रिसर्च हो रहा था। इस बिल ने यह काम एक कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से किया है।

माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि आखिर इस बिल का उद्देश्य क्या है? इस बिल का उद्देश्य मैं बताना चाहूंगा। 'अनुसंधान नैशनल रिसर्च फाउंडेशन' – यह एक टर्मिनोलॉजी है कि हम अनुसंधान, मतलब, नैशनल रिसर्च फाउंडेशन – एनआरएफ का गठन करेंगे। लेकिन एनआरएफ के गठन के दौरान उसका जो स्कोप होगा, जो दायरा होगा, जो डोमेन होगा, वह कौन-कौन सा क्षेत्र होगा?

हम इसका गठन ही इसलिए कर रहे हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अभी तक एसईआरबी – साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, एक बोर्ड था, जिस बोर्ड का दायरा बहुत लिमिटेड था। फंडिंग की बात भी कही गई कि आईआईटी और आईआईएम वाले यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में प्रोसीड कर जाते थे। देश में हायर एजुकेशन के लिए 45,000 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होंगी। हर जिले में हायर एजुकेशन के जो भी ग्रेजुएशन / पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेजेस हैं, वहां टीचिंग के सिवा रिसर्च वर्क नहीं होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज होंगी, बताया गया है कि 11 परसेंट आता है, जबकि ज्यादा पैसा आईआईटी और आईआईएम को जाता था। अतः अभी तक साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का जो सिस्टम था, उसमें यूनिवर्सिटीज को पैसा नहीं मिलता था। उसमें हायर लेवल के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजों को रिसर्च का पैसा नहीं मिलता था। कब तक हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के अनुसार केवल बाबू प्रोड्यूस करते रहें और जो हमारे यहां का ब्रेन है, वह ब्रेन-ड्रेन होकर, रिसर्च के आभाव में अमेरिका चला जाए, सिलिकॉन वैली चला जाए?

मुझे लगता है कि इस बोर्ड को स्थापित करने से सबसे बड़ा काम होगा कि आज अमेरिका के सिलिकॉन वैली या दुनिया में कहीं भी रिसर्च में लगे हुए हमारे आईआईटीज के जो लड़के हैं, अब वे दुनिया में रिसर्च नहीं करेंगे, बल्कि भारत में रिसर्च का बुनियादी ढांचा ऐसा बनेगा कि भारत का यह ब्रेन इसी भारत में उपयोगिता के लिए काम करेगा।

इसीलिए, मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। वाकई मैं प्रधान मंत्री जी के उस विज़न को, जो इस बिल के माध्यम से भारत के 135 करोड़ लोगों को मिल रहा है। यह बिल आज के लिए नहीं है, यह सदन गवाह रहा है कि इस सदन में जो भी बिल हम पारित करते हैं, वह वर्तमान संदर्भों के लिए करते हैं, वर्तमान आवश्यकताओं के लिए करते हैं। कहीं किसान के हित में करते हैं, कहीं कोआपरेटिव के क्षेत्र में करते हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी सहकारिता का बिल लेकर आए। फॉरेस्ट के रिजर्वेशन की बात हो, कंजरवेशन की बात हो, वॉटर रिसोर्सेस की बात हो, हर बिल का मकसद वर्तमान होता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यह बिल केवल वर्तमान के लिए नहीं, बेहतर कल के लिए है, जिस बिल को माननीय मंत्री जी आज लेकर आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यह बिल फ्यूचर के लिए है। मैं कह सकता हूँ कि यह बिल फ्यूचर के लिए क्यों है? आखिर इस बिल में अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात है, आज पूरे स्पेस में हाइड्रोजन है, लेकिन वह हाइड्रोजन स्पेस में किसी के साथ है, उसको निकालकर एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, तो क्या यह बिना आरएंडडी के हो जाएगा? आज अगर दुनिया में पेट्रोलियम के रिजर्व की बात होती है, पूरी दुनिया में एक बहस है कि शायद अगले 50 वर्षों तक दुनिया का रिजर्व खत्म हो जाएगा। दुनिया को चिन्ता हो या न हो, मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 50 वर्षों में, आज देखिए श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल का क्या भाव है, पाकिस्तान में क्या भाव है, तो जब पेट्रोल और डीजल का रिजर्व आने वाले 50 वर्षों में खत्म हो जाएगा, यूएसए के पास स्टॉक होगा, उसका भी खत्म हो जाएगा, तो कौन सी एनर्जी से हमारी गाड़ियाँ चलेंगी। कौन सी एनर्जी से हम आने वाले दिनों में इसका विकल्प तय करेंगे? मुझे लगता है कि जब लोगों के सामने क्राइसिस आएगी तब दुनिया सोचेगी, तब वे देश सोचेंगे और भारत में 50 वर्ष के पहले प्रधानमंत्री जी ने आज सोच लिया, इसलिए इस बोर्ड की स्थापना की। Green hydrogen as a source of fuel and a new method to produce hydrogen, इस पर भी हमें रिसर्च करनी है। इसका स्कोप कितना बढ़ रहा है?

हमने फर्टिलाइजर पर बार-बार, हमारे फर्टिलाइजर मंत्री जी अभी बैठे थे, वे कहते हैं कि हमने पिछले 5 वर्षों में, India in the last five years has paid Rs.10 lakh crore towards fertilizer subsidy. अब भारत की पब्लिक के एक्सचेजर का पैसा, 10 लाख करोड़ रुपया, जो भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर लग सकता था, प्रधानमंत्री गति शक्ति, जो तमाम बुनियादी विकास के ढांचे थे, उन्होंने उन सारे अंतर-मंत्रालयों को एकसाथ जोड़ा और उन्होंने यह तय किया कि हम उसको एक गति देंगे। चाहे इनलैंड वॉटरवेज हो, चाहे रोड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, इन सारी चीजों के लिए किया। जब हम देश के किसानों के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 10 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आखिर इसका विकल्प अगर प्रधानमंत्री जी ने नहीं सोचा होता और इस पर रिसर्च नहीं हुई होती तो आज उस फर्टिलाइजर का एक जिस तरह से विकल्प नैनो यूरिया लेकर आए हैं, जो कि अपने आपमें एक क्रान्ति है। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। As part of the plan, about 8.5 million tonnes of urea would be replaced with 170 million bottles. अभी हमारे यहाँ सहकारिता का सम्मेलन हुआ। उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जेपीएस राठौर जी आए थे। हम कई बोरे यूरिया के खेत में छिड़कते हैं, जो जमीन पर भी गिरता है, वेस्ट भी होता है, लेकिन उसका पैसा किसान को देना पड़ता है। हम इस नैनो यूरिया की एक बोतल को पानी में मिलाकर एक बीघा में स्प्रे कर सकते हैं और इस तरह से उसकी एक-एक बूँद का उपयोग होगा। आज जो 10 लाख करोड़ रुपये हमने 5 साल में किसानों की खाद की सब्सिडी पर खर्च किया, आज जब हम इस नैनो यूरिया की रिसर्च से, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की हर क्षेत्र में चिन्ता रहती है, this will save around Rs.15,000 crore to Rs.20,000 crore on imports every year. आखिर यह देश के लिए बहुत बड़ी चीज है। यह एक दूर-दृष्टि से ही सोचा जा सकता है।

अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि नासा में हमारे परिणामों की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी चन्द्रयान मून के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया है और शायद हम उम्मीद करते हैं कि उसकी सेफ लैंडिंग भी होगी। निश्चित तौर से होगी। लेकिन नासा का जो बजट है, क्या इसरो के पास

उतना बजट है? वह विषय नहीं है, इसलिए मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि नासा के पास जितना बड़ा बजट है, आज इसरो के पास उसके मुकाबले बहुत कम बजट है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक नासा के उतने बड़े बजट के बावजूद भी उनसे रिसर्च में आगे हैं। इसके लिए हमें कहीं न कहीं अपने वैज्ञानिकों की इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए। इसकी तारीफ तो हमें उसी दिन करनी चाहिए। इस बात को कौन देखता है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं इसरो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसरो के वैज्ञानिकों के साथ बैठते हैं।

महोदय, जिस तरह से प्रधान मंत्री जी इसरो के वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करते हैं, यदि कोई बात भी हो जाती है, तो भी वे वैज्ञानिकों को हौसला देते हैं। कोविड की वैश्विक चुनौती में तमाम दुनिया के लोग लगे थे और कुछ अच्छी कंट्रीज को छोड़कर वैक्सीन नहीं बना पाए, लेकिन भारत कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दो वैक्सीन यदि बना पाया है और कोविड का इतने अच्छे ढंग से मुकाबला कर पाया है, तो यह निश्चित रूप से प्रधान मंत्री जी की देन है क्योंकि प्रधान मंत्री जी स्वयं उन प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों से मिलने गए तथा उनकी हौसला अफजाई की। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी सदन में आ गए हैं। मैंने फर्टिलाइजर का भी उल्लेख किया है और स्वास्थ्य का भी उल्लेख किया है। ये स्वयं भी मेहनत करते हैं, जिस तरह से नेनो यूरिया पर काम हुआ। इसरो की यदि बात करें तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं।

महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पिछले चार-छह वर्षों में हमारी सरकार ने किस-किस रिसर्च में क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की है, इसके बारे में पूरा देश जानना चाहता है। हम मानकर चलते हैं कि शोरगुल होगा, लेकिन सौभाग्यशाली हूं कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर उन्हें बुद्धि आ गई और वे चले गए। आज पूरा सदन और पूरा देश इस चर्चा को सुन रहा है। आज पूरी दुनिया में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्प किया है, India made a massive jump in its ranking in the Global Innovation Index. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम दुनिया में 81वें रैंक पर थे।

We were standing at 81st rank. वर्ष 2015 से वर्ष 2022 में हम प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में 81वें रैंक से जम्प करके 40वें रैंक में पहुंच गए हैं। कल जब इस पर डिस्कशन करेंगे, पता नहीं हमें अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए यह बात आज कह रहा हूं कि सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं। वर्ष 2018 में भी इसी तरह से जुलाई महीने में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, यहां अविश्वास तो होगा नहीं, इसलिए जब वर्ष 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो जनता ने भी देखा कि उसका जवाब सदस्यों ने अपने जनादेश से नहीं दिया, बल्कि जब वर्ष 2019 का चुनाव हुआ तो लोगों ने मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जीता कर भेजा। आज वर्ष 2023 में फिर जुलाई महीने में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। History will repeat itself again. इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। वर्ष 2019 में स्पष्ट बहुत से हमारी सरकार बनी थी और अब वर्ष 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, इसलिए वर्ष 2024 में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और यूपी में 80 में से 80 सीटें हम जीतेंगे। आज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 40वें नम्बर पर हैं। India ranks second among thirty-four lower middle-income economies. क्या छह साल की इन्हें उपलब्धियां दिखाई नहीं दे रही हैं और इसलिए वे शोर कर रहे हैं? यदि वे चर्चा कर लें तो ये रिक्मनाइज करें या न करें, दुनिया भारत को इसलिए रिक्मनाइज कर रही है, हमारे प्रधान मंत्री जी को दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने इन छह सालों में भारत को उपलब्धियों का भारत देखा है, आत्मनिर्भर भारत देखा है और दुनिया की रैंकिंग में भारत को ऊपर आते देखा है। आप देखें कि हमने आर एंड डी पर कितना ग्रास एक्सपेंडिचर खर्च किया है। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में बताएंगे, लेकिन मैं भी बताना चाहता हूं कि the gross expenditure on R&D has increased more than three times in the last ten years. जब से हमारी सरकार आई, जो हम रिसर्च पर खर्च करते थे, उसे हमने तीन गुना बढ़ाया है। जहां कोविड के समय 80 करोड़ लोगों को पांच किलो खाद्यान्न लगातार हमारी सरकार प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में दे रही है, हमने कोविशील्ड का फ्री वैक्सीनेशन दिया, वहीं दूसरी तरफ हमने रिसर्च पर भी तीन गुना खर्च बढ़ाया है, जिससे कि हम दुनिया के साथ मुकाबला कर सकें।

मान्यवर, मैं केवल प्वायंट की बात कर रहा हूँ, मैं एलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ। विमेन पार्टिसिपेशन की बात कर रहा हूँ। Womens participation in extramural Research and Development has also doubled in the last nine years. इसका मतलब हमने इस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट में महिलाओं की संख्या को भी दोगुना किया है।

आज जिस तरह से इंडिया के रैंक्स हैं, India ranks third among the most attractive investment destinations for technology transactions in the world. मान्यवर, पूरी दुनिया की दीवारों पर इबारत लिखी जा चुकी है। पहले इंडिया में कौन इन्वेस्ट करता था? क्या पहले इंडिया में एफडीआई आता था? इंडिया से लोग बाहर चले जाते थे कि हम यूरोपीय देशों में जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका में जाएंगे।...(व्यवधान)

मान्यवर, मैं एकाध उपलब्धियों के बारे में बता दूँ, मैं कहीं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल उपलब्धियों का जिक्र कर दूँ।

मैं अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं।

Now, India ranks third among the most attractive investment destinations for technology transaction in the world. India R&D expenditure in PPP terms in total is 68 billion dollars which is sixth in the world. क्या यह दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हम दुनिया में छठे नम्बर पर आ गए हैं। हम 68 बिलियन डॉलर्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट पर खर्च कर रहे हैं।

माननीय सभापति : कृपया आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल: महोदय, अभी यह कहा गया कि जब इस बिल का इंट्रोडक्शन हो रहा था तो राज्यों के लोगों ने कहा कि यह को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है। मैं कहना चाहता हूँ कि राज्यों में अभी तक रिसर्च पर क्या खर्च हो रहा है? Overall, the State expenditure on R&D relative to GSDP is 0.08 per cent. राज्यों में रिसर्च के लिए पैसे नहीं हैं, केवल 0.08 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं।

महोदय, पूरे ग्लोबल परिदृश्य में अभी आर एण्ड डी का करीब 60 प्रतिशत खर्च प्राइवेट सेक्टर में होता है और 35 प्रतिशत सरकार की तरफ से होता है। यू.एस.ए. में यह 70 प्रतिशत खर्च होता है। भारत में 65 प्रतिशत खर्च सरकार करती है और 35 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर करता है। यह सोचिए कि कितना असंतुलन है? हम दुनिया के 'एट-पार' नहीं हैं। आखिर इन सारी चीजों के बारे में कौन सोच रहा है? अगर इस राजनीति के पीछे कोई सोच रहा है तो वह भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी सोच रहे हैं और वे दुनिया को आगे ले कर जाएंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): Thank you Sir. Thank you very much for giving me an opportunity to speak on the Bill namely, the Anusandhan National Research Foundation Bill, 2023.

I support and advocate the passage of the Anusandhan National Research Foundation Bill, 2023. It is a transformative and revolutionary legislation. It will save the future of scientific research and development in our nation. This ground-breaking initiative is designed to ensure equitable funding, foster private sector participation and facilitate collaboration between academia and industry and this is all aimed at catapulting India to the forefront of global innovation and progress.

The primary objective of this Bill is to evolve colleges and universities in scientific research. It is disheartening to note that currently less than half of vast array of 40,000 higher learning institutions are actively engaged in research. This discrepancy indicates a pressing need to bridge the gap and instil a culture of scientific inquiry across the academic landscape by encouraging and supporting active researchers to take up NRF professorship

and collaborate with existing faculty. The NRF will cultivate research capabilities within the universities and foster an ecosystem of innovation that will enrich our nation's intellectual capital.

One of the most commendable features of NRF is that it has an inclusive approach to research. It does not confine only to natural sciences rather it recognises the value of research in humanities, social sciences and arts.

This forward-looking integration is essential for nurturing creativity, critical thinking, and communication skills which are qualities that are indispensable for tackling complex societal challenges. Unfortunately, research in these domains has been historically underfunded and the NRF's establishment of dedicated Directorates for social sciences, Indian languages, and knowledge systems, arts, and humanities will provide the much-needed support and impetus for research in these spheres.

In addition to promoting a holistic approach to research, NRF is committed to identifying and prioritizing areas where science and technology interventions can contribute significantly to national objectives. From clean energy and climate change mitigation to sustainable infrastructure, improved transportation, accessible and affordable health care, NRF's focus on these priority areas is commendable. By aligning research efforts with our country's larger goals, NRF ensures that scientific advancements are strategically directed to uplift our society and contribute to national development.

However, we must acknowledge the existing challenges in our research ecosystem that demand immediate attention. The status of research and

development in India is a cause of concern. Our country's spending on R&D currently stands at below 0.7 per cent of our GDP, a figure that falls short in comparison to many other under-developed nations. Even Egypt and Brazil allocate more substantial resources to R&D, and the gap between their investment and ours reflects the pressing need to bolster our research capabilities.

Moreover, the decline in gross expenditure on R&D over decades serves as a stark reminder of the urgency in revitalizing our research sector. This decline signifies a slowdown in research progress which is detrimental to our nation's growth and development. Further, eminent institutions like the IITs and IISc get a bulk of research funding but the State Universities get very little funding. This is a point of great concern. NRF's emphasis on increasing funding from both Government and private sources is a step in the right direction.

We also laud NRF's ambition and potential. It is crucial to acknowledge the challenges that lie ahead. The financial crunch faced by NRF is a matter of concern. While the inclusion of private sector in funding is an encouraging development, we must carefully consider the strategy for raising the necessary funding amounting to Rs. 50,000 crore for five years.

Functional autonomy is also a crucial aspect which needs to be addressed. Timely disbursement of funds is vital for researchers to embark on their projects without unnecessary delays.

The NRF Bill, 2023 is a momentous opportunity to revolutionise scientific research in India. By ensuring equitable funding, prioritizing national objectives, and fostering collaboration, NRF will unleash the full potential of our researchers and innovators. More so, women and people belonging to SCs, STs, OBCs and minorities should be encouraged. Equal growth has to be ensured in towns and tier 3 State Universities. Thank you, Sir.

श्री मलूक नागर (बिजनौर): चेयरमैन साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे दि अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग – राजेंद्र अग्रवाल जी और उनके साथी मेज थपथपा रहे हैं। रिसर्च चाहे किसी भी चीज़ पर हो, पिछले दिनों गन्ने पर जो रिसर्च की गई, उससे गन्ने के पौधों की हाइट बढ़ी। उससे जो सॉलिड गन्ना पैदा हुआ, जिसने पूरे देश में इतनी ज्यादा चीनी पैदा हुई कि विदेश के पैमाने पर ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के सारे लोगों में उथल-पुथल मची और व्यावहारिक तौर पर उन्होंने विरोध किया। कानूनी तौर पर वे लोग इंटरनेशनल कोर्ट में गए, जहां पर वे केस जीते और हम हारे। हमने हार में भी जीत ढूंढी है। इथेनॉल पर रिसर्च करने के बाद, हमने पूरे देश में इथेनॉल की जो पैदावार की है, उसकी पूरी तरह से कंजम्प्शन हुई है। इसकी तरफ देश ने एक अच्छी शुरुआत की है, इसलिए हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथी मेज थपथपा रहे थे। यह किसानों के लिए अच्छी बात है।

महोदय, मैं कहूंगा कि जहां देश को इतना फायदा हो रहा है और इकोनॉमी में इस चीज़ से इतनी मजबूती आई है तो हमारे किसानों को भी कुछ न कुछ सुविधा दी जाए। इससे हमारे किसानों को लगेगा कि हम भी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में योगदान दे रहे हैं। मोदी जी का सपना है कि विश्व में हमारी जो चौथी और पाँचवी आर्थिक स्थिति है, वह तीसरे नंबर की तरफ चले। यह फाइव ट्रिलियन डॉलर की तरफ चले। इसकी मैं मांग करता हूँ।

दूसरा, पूरे देश में आज की तारीख में हर चीज पर रिसर्च होनी चाहिए और इसके लिए बजट भी बढ़ना चाहिए, खासकर जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, अमरोहा और गौतमबुद्ध नगर लोक सभा क्षेत्र है, यहाँ गन्ना बहुत ज्यादा पैदा होता है। इन क्षेत्रों के किसानों की आय डबल की बजाय तीन गुना कैसे हो, इसके लिए मेरठ में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। यह काफी मजेदार बात है। हमारे सामने सरकार और बीजेपी के जो साथी बैठे हैं, वे काफी अच्छा माहौल बनाते हैं। इन्होंने कांग्रेस वाले का पता साफ कर दिया। अभी ये सारे लोग भागे हुए हैं, मैदान खाली पड़ा हुआ है। अभी आप जो चाहें, करते रहें, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। हमारे साथी जगदम्बिका पाल जी जरा ध्यान दें। जगदम्बिका पाल जी कह रहे हैं कि हमारी 80 की 80 सीटें आएंगी। हमारा साढ़े 13 परसेंट वोट लठ सा खड़ा है। अगर आपका साथ मिल गया तो 80 सीटें यहां भी और 50 सीटें बाहर भी मिलेंगी। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाण, महाराष्ट्र में कहीं पर 9 परसेंट, 7 परसेंट, 4 परसेंट, 3 परसेंट, 2.5 परसेंट हमारा वोट है। अगर आपने नजदीक नहीं लाया और हम दूसरी तरफ चले गए तो यू.पी. में ही 60 सीटें और बाहर 50 सीटें कम हो जाएंगी। पहले दिन ही बढ़िया लड़ाई हो जाएगी। कुमारी बहन मायावती कह चुकी हैं कि हम चारों प्रदेशों में अलग लड़ेंगे या चारों प्रदेशों में बाद में समझौता करेंगे। अगर 80 सीटों की बात करनी है तो आप ठीक-ठाक बात कर लीजिए।

महोदय, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुसंधान केंद्र की मांग करता हूँ। हमारे किसानों सहित दूसरी चीजों पर इतना ज्यादा रिसर्च हो कि उनकी आय दोगुनी की बजाय तीन गुनी हो जाए।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Thank you, Mr. Chairman, Sir. I want to bring to the notice of the hon. Minister that we must have a Railway Engineering University. China has built its railroads right up to Ladakh

and LAC. It is necessary to do research on railway engines, wagons, and carriages.

They should be light in weight. The railway engines operating at 14,000 feet will need special fuel. So, it is my proposal that if in South America, the railways can operate at 14,000 feet above sea level, surely, we can build our railroads up to the border with China. That is my humble request.

The Himalayas are the youngest mountains in the world. When we tunnel them, they tend to break. It is very necessary to have a new technology to tunnel these mountains and make light bridges, light carriages, and light wagons. The armed forces in the North-East, Ladakh and Kashmir should be fully equipped with provision of army wear and other things. That is my humble request. Let me thank the Government for passing an order to renovate the railway stations in Punjab. Thank you very much.

श्री जयंत सिन्हा (हजारीबाग): सभापति महोदय, आज आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर अपना पक्ष रखने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के नाते मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी विधेयक को हम लोग पारित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के साथ-साथ, मैं आईआईटी दिल्ली का भी एक ग्रेजुएट हूँ। इंजीनियर होने के नाते, जो इस क्रांतिकारी बिल को आज पारित कर रहे हैं, पूरी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कम्युनिटी की तरफ से मैं इसका स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ। आज एक ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि आज अपने चन्द्रयान रॉकेट के द्वारा लूनर आर्बिट में हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर इस रॉकेट को ले आए हैं और आज उनको इस विधेयक के द्वारा प्रोत्साहन मिलेगा। हम लोग न सिर्फ चन्द्रमा तक पहुंचेंगे, हम लोग मार्स भी पहुंचेंगे और सोलर सिस्टम को भी हम लोग पार करेंगे। यह

आज हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को प्रोत्साहन मिल रहा है। सभी माननीय सदस्यों को यह मालूम है और मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि हमारे विपक्ष के साथी यहां पर ये सब बातें सुनने के लिए नहीं हैं। ... (व्यवधान)

रितेश जी हैं, लेकिन और तो कोई नहीं है। चलिए, आप ही हैं, आप जरूर उसका सबके सामने प्रचार करिएगा। माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल और साहसिक नेतृत्व के कारण अर्थव्यवस्था में हम आज दसवें नंबर से पांचवें नंबर पर आए हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने गारंटी दी है कि अगले कार्यकाल में, जहां हम लोगों को प्रचंड बहुमत की सरकार फिर मिलने वाली है, कि हम लोग तीसरे नंबर पर आएं। हम लोग यहां ऐसे बहुत कम कानून पारित करते हैं जिसको पारित करके हमें विश्वास होने लग जाता है कि सिर्फ तीन नंबर पर नहीं, एकदम टॉप पर हमारी अर्थव्यवस्था आएगी। अगर इक्कीसवीं सदी किसी की भी सदी है, तो वह साइंस और इंजीनियरिंग की सदी है। इस बिल के द्वारा हम लोग साइंटिफिक और इंजीनियरिंग रिसर्च जो कटिंग एज पर करेंगे, उसके द्वारा हम लोग एक बहुत क्रांतिकारी कदम और बहुत ठोस कदम उठाने वाले हैं। It is well known that a lot of scientific and engineering prowess of the United States of America is due to the National Science Foundation where post-World War-II, through peer reviewed grants, they have built up capabilities in many different scientific disciplines. What the hon. Prime Minister has done through the National Research Foundation is that he enables India to establish the same kind of capabilities in many, many important scientific and engineering disciplines including artificial intelligence. Hon. Minister *saheb* talked about quantum computing. We have a quantum mission underway. We are doing very, very sophisticated research in green hydrogen as Jagadambika Pal ji has said. We are going to be taking very

major steps in semi-conductors and very importantly in space research as well through the establishment of the National Research Foundation.

There are three or four aspects to this that, I think, are very important for hon. Members to realise. Number one is that this will be staffed with best experts and the best scientists in the world whether they may be from India or around the world through an independent expert body that will establish directorates for these disciplines and ensure that we spread the funds widely across our country to do appropriate targeted research. Here, I want to add one point, which is a very important point for the hon. Members to consider. It is not only to the IITs – of course, I am a proud graduate and the IITs are doing cutting edge scientific and engineering work in many disciplines – but also to other universities and research institutions across India, these peer reviewed competitive grants will be provided so that we build capacity, capability, and world-class expertise across India.

I dare say, I proudly say that in my own Hazaribag where we have the largest University in Jharkhand, the Vinoba Bhave University, we are doing exemplary research in mining, geology and tribal studies and I will very much hope because we are including humanities also where we can do scientific and sociological research through these kinds of grants or experts, that even the Vinoba Bhave University will benefit greatly. All the universities and institutes in your constituencies will also benefit greatly from the kind of grant-making and the kind of expertise that we will be building through the National Research Foundation.

It is indeed a historic Bill and I am really, really sad, as the hon. Minister said, that our Members of the Opposition are not here to be able to appreciate it and understand how important and how game-changing this is for India and India's economy and scientific and engineering community. Our start-up ecosystem will benefit. Where does the innovation come from? That power is our start-ups, if we have to build world beating companies like Google, Apple, and Meta. They have come out of Stanford University. They have come out of the University of California, Berkeley. They have come out of MIT. They have come out of Caltech. They have come out of Harvard University. Unless we provide that type of support and encouragement to our research institutes and to our universities, we will not beat these world-leading companies. We will not create our own world-leading industries and that will hurt our job creation and our competitiveness in the long run.

So, this Bill is vitally important for our human development, for our universities, and for the growth of new industries in India as well.

The second point I want to emphasise on is this. I must commend the hon. Minister and all the experts who have worked on this. The design of the National Research Foundation, which is going to bring experts from around the world, which is going to be independent, which is going to have these different directorates, has been done very, very thoughtfully. Here, I must point out that the funding for this, as the hon. Minister said, is going to come from multiple sources. So far, most of our science and engineering has only received funding from the Government. As Jagdambika Palji said, a lot of it in the State

Governments has been very, very modest. But here, not only are we going to mobilize the resources of the national Government but we are also going to mobilize the resources of the corporate sector, philanthropists, and institutions around the world. All of that can be collected through the National Research Foundation and then, provided to a diverse set of institutions across India. This is a revolution in the making.

We have to understand how important this Bill is. I want everyone to recognise what the hon. Prime Minister and the hon. Minister have done through this. It is to really transform India's engineering and scientific research. ...*(Interruptions)* That is why, I stand in support of this Bill. I wish, my colleagues from the Opposition were here as well. ...*(Interruptions)* आज हम लोग क्रांतिकारी कदम ले रहे हैं, इस क्रांतिकारी कदम से हम भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के इतिहास का कायाकल्प कर रहे हैं। आपने हमें बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस बिल का समर्थन करें।
माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: Hon. Chairperson Sir, I am representing the Opposition. ...*(Interruptions)*

माननीय सभापति : हां, ठीक है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने न केवल इस बिल का समर्थन किया, बल्कि हमारा उत्साहवर्धन भी किया। माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी वरिष्ठ नेता हैं। जाहिर है, जो सीनियर नेता होते हैं, उन्हें इस बात का खेद भी होता है कि विपक्ष के लोग इस अवसर से अपने आपको वंचित कर रहे हैं।

उन्होंने उल्लेख किया कि वर्ष 2018 में भी इसी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। जब वह यह बात कह रहे थे तो मुझे लगा कि बाहर जाकर 2028 के लिए अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने एक सुचारू तरीके से अपनी बात रखी है, उसका स्वागत है और उससे हमारा उत्साहवर्धन भी होता है।

डॉ. टी रंगैया जी ने इक्विटेबल फंडिंग की बात रखी। इस बात का भी उल्लेख किया कि यह लैंग्वेज न्यूट्रल रहेगा। माननीय सदस्य इस बात की दाद देंगे कि इसी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विज्ञान की भाषा का दूसरी भारतीय भाषाओं में भी शिक्षण-प्रशिक्षण हो, इसकी व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेज में हिन्दी में कैरिकुलम प्रारंभ हो चुके हैं। इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि आगे चलकर आठवीं अनुसूची की जितनी भाषाएं हैं, उसमें भी हम so that we are able to provide democratisation and language-neutral curriculum to all the youth and students. श्री मलूक नागर साहब गन्ने की बात करके चले गए। नेशनल रिसर्च फाउन्डेशन में यदि गन्ने को लेकर कोई प्रपोजल आएगा तो उस पर उतना ही कन्सीडर किया जाएगा जितना दूसरे विषयों पर किया जाएगा। यकीनन, जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्गेनिक खेती में बहुत सारा काम हो रहा है और आप उसमें माहिर हैं। सरदार सिमरन जीत सिंह मान साहब ने रेलवे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, मैं इस समय इस विषय पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इस मंत्रालय से उसका सीधा-सीधा संबंध नहीं है।

महोदय, जयंत सिन्हा का जिस प्रकार का अध्ययन रहा है, उन्होंने इस बिल के मूल भाव को समझकर अपने अनुभव से विचार रखे हैं। यदि इस प्रकार का सहयोग रहेगा तो मुझे लगता है कि हमने जिस प्रकार की कल्पना की है, उस ढंग से हम इस बिल को लागू करने में सफल रहेंगे।

महोदय, मैं बहुत लंबी बात न करते हुए कुल मिलाकर इस चर्चा को समेटते हुए कहूंगा कि पिछले आठ-नौ वर्षों में भारत अच्छे स्तर पहुंचा है, यह केवल मैं नहीं कह रहा, यहां बैठे हुए साथी भी कह रहे हैं। हम यह इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम सत्ताधारी पार्टी या किसी पार्टी विशेष

से संबंध रखते हैं। यह भौगोलिक मापदंड है जिसने भारत को मान्यता दी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, लेकिन विश्व में इसकी मान्यता है। हम वर्ष 2014 से पहले 81वें नंबर पर थे, 40 नंबर का जम्प हुआ है, अब हम 42 नंबर पर हैं और दुनिया इस बात को मानती है।

महोदय, वर्ष 2014 से पहले देश में स्टार्टअप ईको सिस्टम में 350-400 स्टार्टअप्स थे। माननीय मोदी जी ने लालकिले से आह्वान किया – 'स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया' और देखते ही देखते अब एक लाख की संख्या पार हो गई है। विश्व के मापदंड पर स्टार्टअप में हम तीसरे दर्जे पर हैं। बायोटेक के स्टार्टअप मात्र 50 थे और अब बढ़कर 6000 हो गए हैं। वैक्सीन की भी हमारी सक्सेस स्टोरी है। वह देश, जिसे देखकर सारा विश्व कतराता था कि 130-140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में अगर कोविड फैल गया तो इनको अपना तो रख-रखाव करना नहीं आता और ये हमें भी ले डूबेंगे। इस देश ने न केवल अपने आप को संभाला बल्कि माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि हमने दूसरे देशों को भी वैक्सीन उपहार के रूप में दी। जयंत जी ने चंद्रयान की कथा सुनाई कि यह घूमता-घूमता चन्द्रमा के नजदीक आ रहा है। यह पहले बड़ा ऑर्बिट फिर छोटा ऑर्बिट तय करेगा और 23 या 24 तारीख के आसपास लैंड करेगा। भारतवासी इसे जितनी उत्सुकता से देख रहे हैं, उतनी ही उत्सुकता से अमरीकन लोग भी देख रहे हैं कि न मालूम वहां से क्या प्रमाण मिलेंगे, क्या इनपुट्स मिलेंगे। हमारी क्षमता की इस तरह की मान्यता हो चुकी है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि माननीय मोदी जी ने हमें बहुत बड़ा सबक दिया कि हम साइलोज से बाहर निकले। वैक्सीन की कथा में सम्पूर्ण भारत सरकार का कन्सेप्ट है। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय का योगदान रहा, विज्ञान मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों ने भी योगदान किया। मार्केटिंग के लिए कॉमर्स मंत्रालय आया, विदेश मंत्रालय भी आया। वैक्सीन मैत्री का अभियान भी शुरू किया गया। इस प्रकार से इंटीग्रेटेड एप्रोच और साथ ही साथ एक्सटेंडेड इंटीग्रेशन के माध्यम से, न केवल सरकार के विभागों तक सीमित न रहकर समाज के दूसरे वर्गों, भले ही इंडस्ट्री हो, रिसर्च हो या उद्योग जगत हो, साथ लेकर चलें ताकि अगले 25 वर्षों के अमृत काल को उस रूप में

ढाल सकें, जिसकी हमने कल्पना की है। This Bill spells out democratisation of human resource as well as democratisation of funding. जैसे रंगैय्या जी ने स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में कहा और जगदम्बिका पाल जी ने भी इशारा किया। जो लोग दुहाई देते हैं कि प्रदेशों के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं होता, शायद उन्हें यह बात मालूम ही नहीं है, उनको अनुमान ही नहीं है कि उनके अपने नियंत्रण में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां मात्र दस प्रतिशत रिसर्च के लिए फंडिंग दी जाती थी। फंडिंग स्पर्द्धा के आधार पर दी जाती थी और स्पर्द्धा में बड़े संस्थान आगे बढ़ जाते हैं। मैं यह बात साझा करना चाहता हूं कि There will be competition of State universities within State universities, excluding IITs and other institutions ताकि उनके लिए निर्धारित की गई राशि उन तक ही रहे और वे धीरे-धीरे अपना स्तर बढ़ा सकें। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों की अधिकतर संख्या इन्हीं विश्वविद्यालयों में रहती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि विज्ञान के क्षेत्र में और कुल मिलाकर दूसरे क्षेत्रों में रही है।

16.00 hrs

उसको जगदम्बिका जी ने एक इशारे में कहा कि 'Today, the world looks up to us with seriousness.' क्या पहले कभी किसी ने सोचा था कि हमारे यहां से क्लाइमेट की बात होगी, क्लीन एनर्जी की बात होगी? वे तो समझते थे कि ये सांप-सपेरों की बात कर लेते हैं, क्लाइमेट चेंज इनके दिमाग के ऊपर से उड़ जाता है। आज प्रधान मंत्री जी ने कॉप की मीटिंग में साहस करके यह बात कही कि सन् 2070 तक we will be net-zero. That is, we have taken a lead in the global issues which earlier were believed to be the exclusive domain of some of the so-called developed countries. आज हम भी उसी स्तर पर हैं। हम उनको लीड दे रहे हैं और वे हमें देख रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में कोई संदेह नहीं कि जितनी भी प्रगति होगी, जितना विकास होगा तथा अर्थव्यवस्था में जितनी वृद्धि होगी That will be entirely technology-driven. सभापति महोदय, इतनी तीव्र गति से इस समय टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है कि रात को हम जो सोचकर सोते हैं कि सुबह यह होगा, वह रात

तक हो गया होता है। उस दिन मैंने सोचा कि 31 तारीख को चंद्रयान सुबह आर्बिट से निकलकर दूसरी तरफ जाएगा, तो मैं भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि हम उसको फॉलो कर रहे थे। रात को 12 बजे जैसे ही मैं सोया, साढ़े 12 बजे वह चला गया। जब मैं उठा, तो पता चला कि 4 घंटे पहले ही वह जा चुका था। इतनी तेज गति से टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है। Not only the technology is constantly moving forward but the pace is also increasing. आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की आगे चलकर चुनौती रहेगी, the optimum synergy between artificial intelligence and human intelligence. भारत ने जो कल्पना की है, जिसका जिक्र मोदी जी अक्सर करते हैं यानी '2047 का भारत-शताब्दी भारत'। भारत अपनी आजादी की जब सौवीं सालगिरह मनाएगा, तो उस शिखर पर पहुंचने के लिए और अपनी मान्यता कायम करने के लिए हमें भौगोलिक मापदंडों पर पूरा उतरना होगा। Our parameters have to be global. Our challenges have to be global. Our strategies have to be global. And our competitiveness has to be global. उसके लिए जैसा कि जयंत जी ने कहा कि अमेरिका की नैशनल रिसर्च सोसायटी आज हमसे पूछ रही है कि आपने नैशनल रिसर्च फाउंडेशन में क्या-क्या ड्राफ्ट किया? मुझे विश्वास है कि अगर हम इसे उस तरह से जमीन पर उतारने में कामयाब हुए, तो हमारी संस्था भी दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक तरह का रोल मॉडल रहेगी। महोदय, बहुत बात न करते हुए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि This is going to be an arrangement which will enable democratic pooling of scientific resources. जैसा कि मैंने कहा कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास अपनी प्रतिभा इनवेस्ट करने के मौके नहीं थे। हमने इसमें यह भी प्रावधान किया कि हमारे जो एनआरआई युवा बाहर चले गए हैं, उनको भी वापस लाया जा सके। चूंकि उनको यहां अवसर नहीं मिलता था, इसलिए वे बाहर जाते थे। इसमें उस चीज का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ democratisation of the funding में हमारे पास ऐसी युवा प्रतिभाएं हैं, we have young brains who are ready to put in their talent, and we also have the industry which is ready to invest. But

we were constraining ourselves because of self-made barriers. आज मोदी जी ने हमें उन बाधाओं से मुक्ति दिलाने का काम किया है, ताकि हम खुली हवा में, खुली फिजा में तेज गति से 25 साल आगे बढ़ सकें। नैशनल रिसर्च फाउंडेशन का बिल केवल साइंस, नवाचार तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। अतः मुझे लगता है कि हर भारतवासी को गर्व के साथ इस बिल का अनुमोदन करना चाहिए।

HON. CHAIRPERSON: Shri Ritesh Pandey, do you want to make a brief intervention? If so, kindly make it very brief.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सर, मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा बिल सामने आया है, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, जैसे कि ब्लॉक चेन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गई, जिसके ऊपर सरकार की एक नकारात्मक सोच रहती है कि इससे हो सकता है कि अवाम को बहुत नुकसान हो सकता है। अन्य देशों में देखा जाता है कि उनको एक साइलोज में रखकर उन पर अनुसंधान होता है। क्या यह होगा?

दूसरा, जो 50 हजार करोड़ रुपये की आप बात कर रहे हैं, उसमें 35 हजार करोड़ रुपये अन्य जगहों से आएगा, इस संबंध में ठोस जवाब क्या है? एक हिसाब से ऐसा लगता है कि हमारे पास 35 हजार करोड़ रुपये आ जाएगा। इस पर कोई ठोस जवाब दें कि यह पैसा कहां से आएगा? धन्यवाद।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: सभापति महोदय, यह बिल इस प्रकार का है कि इसको समझना आवश्यक है। इसलिए, मैंने सभापति महोदय से अनुमति ली है, वरना यह बिल दो मिनट में पास किया जा सकता है। मैं दो-तीन मिनट लूंगा, क्योंकि उन्होंने एक विषय रखा है, जो शायद समझने के लायक है। आप जो कह रहे हैं, वह बिल्कुल ठीक है। आपके प्रश्न में ही उत्तर था। पहले जो ब्लॉकचेन और क्वांटम को लेकर बाधाएं थीं, उससे मुक्ति प्राप्त करने का ही यह प्रोसेस है। इसके लिए इस दिशा में काम पहले से ही आरंभ हो चुका था। जैसे unlocking of the space sector हुआ और

जियो स्पेशल पॉलिसी हुई, क्या कभी इसके बारे में किसी ने सोचा था। श्रीहरिकोटा से जिस दिन चंद्रयान की लांचिंग हुई, उस दिन पत्रकार आकर मुझसे पूछने लगे कि साहब पहले और अब में क्या फर्क पड़ा है? कांग्रेस वालों ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। ये ऐसे ही ढोल बजा रहे हैं। आज क्या फर्क पड़ा है? मैंने कहा कि आप मुझे बताइए कि आप यहां पहले कभी आए थे? तो उन्होंने कहा नहीं। एक हजार मीडिया के मित्र वहां स्थान पर खड़े थे, क्योंकि वह फाटक आज तक बंद था। श्रीहरिकोटा का वह फाटक मोदी जी ने खोला है। We are already into that direction.

दूसरा, जैसे आपने कहा कि वह 36 हजार करोड़ रुपये हैं, जो बाहर से आएगा। वह देखने में फिगर लगता है कि कैसे आएगा। अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे तो ये 36 हजार करोड़ रुपये पाँच साल के लिए हैं। एक साल के लिए लगभग 7 हजार करोड़ रुपये हैं। अब 7 हजार करोड़ रुपये में से हमारे पास इनोवेशन फंडिंग हुआ करती है। मैं इसको बड़ी बारीकी से बताऊंगा, क्योंकि यह बहुत फिजिबल है और यह उससे ज्यादा आएगा।...(व्यवधान) हमें सिर्फ 7 हजार करोड़ रुपये रोज करने हैं और वह रोज करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पिछले ही वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत जो सीएसआर होता है, उसमें आर एंड डी भी शामिल कर लिया गया है। यदि कोई 10 प्रतिशत भी आर एंड डी में देता है तो दो-तीन हजार करोड़ रुपये तो वही दे देगा। अगर उसको यह संकोच रहे कि मैं दो-तीन हजार करोड़ रुपये दूंगा तो वह वापस नहीं आएगा, तो मैं उसको कहूंगा इनोवेशन फंड से मैं भी दो-तीन हजार करोड़ रुपये देता हूँ। हम इक्वल पीपीपी मॉडल कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास भी तो 14 हजार करोड़ रुपये हैं। उसमें से 10वें आप उसको तकसीम कीजिए। 10,000 करोड़ रुपये प्लस 4,000 करोड़ रुपये, जब हम 14,000 करोड़ रुपये का दस बार करेंगे तो उतना मेरे पास भी है, लगभग 150-200 हजार करोड़ रुपये होंगे। जब मैं बराबर की फंडिंग करूंगा तो एक पीपीपी मॉडल डेवलप हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इसको थोड़ा-सा स्ट्रैटेजाइज करने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि मानो 36,000 करोड़ रुपये कहां से आएंगे, जैसे किसी को 36,000 करोड़ रुपये वहां पर सहयोग करने हैं तो ऐसा नहीं है। यह एक

बड़ा बिजनेस मॉडल बनेगा। निश्चय ही हम इसमें सबका सुझाव लेंगे। आप जैसे मित्रों ने, जिन्होंने इसका अध्ययन किया है। आपके इनपुट्स भी समय-समय पर स्वागतयोग्य होंगे।

माननीय सभापति: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रश्न यह है:

“कि प्राकृतिक विज्ञान जिसमें गणितीय विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि और मानवीय और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस शामिल हैं, के क्षेत्र में अनुसंधान, नवपरिवर्तन और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय नीतिगत निदेश प्रदान करने, ऐसे अनुसंधान के लिए यथा अपेक्षित निगरानी प्रोन्नत और सहायता प्रदान करने और उससे संबंधित मामलों या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान स्थापित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय सभापति: डॉ. आलोक कुमार सुमन – उपस्थित नहीं।

माननीय सदस्यगण, इस विधेयक पर डॉ. आलोक कुमार सुमन जी ने ही अपने संशोधन दिए हैं। लेकिन, अभी वे इस सभा में उपस्थित नहीं हैं।

अतः मैं इस विधेयक के सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ रख रहा हूँ।

“कि खंड 3 से 27 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 से 27 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

DR. JITENDRA SINGH: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed”.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

माननीय सभापति: आइटम नंबर 18, भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023.

माननीय मंत्री जी ।

16.10 hrs

PHARMACY (AMENDMENT) BILL, 2023

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. MANSUKH MANDAVIYA): Sir, I rise to move:

“That the Bill further to amend the Pharmacy Act, 1948, be taken into consideration.”

माननीय सभापति जी, यह जम्मू-कश्मीर से जुड़ा हुआ अमेंडमेंट है। वैसे तो फार्मसी एक्ट, 1948 से है। जब वर्ष 2020 में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और उस वक्त से देश के सभी कानून जम्मू-कश्मीर में लागू हो गए। इस तरह फार्मसी एक्ट भी जम्मू-कश्मीर में लागू हुआ, लेकिन उसमें दो परिस्थितियां थीं। जब यूटी के रूप में जम्मू-कश्मीर में फार्मसी एक्ट लागू हुआ, तब जम्मू-कश्मीर में सन् 1955 में बना हुआ फार्मसी एक्ट अमल में था, तो वह अबॉलिश हो गया। इस एक्ट के तहत जो फार्मासिस्ट्स रजिस्टर हुए थे, उनको डीम्ड रूप में नए फार्मसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। लेकिन स्थिति यह हुई कि सभी जगहों पर फार्मसी एक्ट के मुताबिक उनको रजिस्ट्रेशन मिलता था, जो बी.फार्मा हों, जो एम.फार्मा हों, जो फार्म.डी हों, इन सब लोगों का इसमें रजिस्ट्रेशन होता था। लेकिन जम्मू-कश्मीर में एक अलग व्यवस्था थी, वहां दो साल का एक कोर्स चलता था, उसको मेडिकल असिस्टेंस कोर्स कहते थे।

मेडिकल असिस्टेंस कोर्स में भी उनको फार्मसी का रजिस्ट्रेशन मिलता था। जिसको फार्मसी का रजिस्ट्रेशन मिला था, वह तो डीम्ड के रूप में न्यू फार्मसी एक्ट के मुताबिक रजिस्टर हो गया। उनको एक साल के भीतर एक फार्म फिल करना था और रजिस्ट्रेशन ले लेना था। लेकिन स्थिति यह बनी कि जो मेडिकल असिस्टेंस के लिए, यह एक तरह से दो साल का स्किल

डेवलेपमेंट कोर्स था, वह चलता था। जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, इंडियन फार्मसी एक्ट के मुताबिक अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यह एक्ट तो लागू हो गया है, लेकिन दो साल के बाद अर्थात् आज जिन्होंने एडमिशन लिया है, दो साल के बाद उनकी एजुकेशन पूरी होगी और वे बाद में मेडिकल असिस्टेंट के रूप आएंगे, इसलिए उनको तो जॉब अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी। उनको तो फार्मसी में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा।

16.13 hrs

(Shri P.V. Midhun Reddy *in the Chair*)

इस अमेंडमेंट के द्वारा हम फार्मसी एक्ट के 32(सी) में अमेंड कर रहे हैं कि जिन्होंने मेडिकल असिस्टेंट्स का कोर्स किया है और जिन्होंने एडमिशन लिया है, जब से एक्ट लागू हुआ है, उसके पहले जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, उन सभी को फार्मसी एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन दे दिया जाए। केवल इतना ही संशोधन है, ताकि जम्मू-कश्मीर के जो हमारे युवा हैं, उनको जॉब की अपॉर्च्युनिटी मिले। उनको फार्मसी एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन मिले। इसलिए मैं एक छोटा-सा अमेंडमेंट लेकर आया हूँ। मैं सदन के सामने इस अमेंडमेंट को रखता हूँ। मेरी ऐसी अपेक्षा है कि सभी सदस्य उस पर विचार करें और इसको सर्वसम्मति पास करें।

HON. CHAIRPERSON : Motion moved:

“That the Bill further to amend the Pharmacy Act, 1948, be taken into consideration.”

Dr. Dhal Singh Bisen.

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): सभापति महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं इस सदन के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि धारा 370 को हटाने का भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का जो सपना था, वह पूरा हुआ और जम्मू-कश्मीर स्वतंत्र हुआ। धारा 370 हटने के बाद से एक नया यूटी लद्दाख और जम्मू-कश्मीर बना, जिस कारण उस समय का प्रचलित फार्मसी एक्ट निरस्त हुआ।

जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है। उसके निरस्त होने के कारण यूटी की अलग से फार्मैसी काउंसिल बनाई गई, जिस कारणवश थोड़ी-सी समस्या आई है।

सभापति महोदय, मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वहां पर जो चिकित्सक बनते थे, सन् 1991 में जो कंपाउंडर होते थे, उन्होंने उनको फार्मासिस्ट का दर्जा दे दिया था। बाद में वर्ष 1993 में एक अमेंडमेंट करके उन्होंने उसे डिप्लोमा कोर्स कर दिया। जो हमारे फार्मासिस्ट थे और जो जम्मू-कश्मीर के फार्मासिस्ट थे, उनमें अन्तर था। इसीलिए जब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग यूटी बने, उसके बाद जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए फार्मासिस्ट्स की जो काउंसिल बनी, उसमें यह देखा गया कि इस कानून से उनको लाभ नहीं मिल रहा था। वर्ष 1948 का जो कानून था, उसको निरस्त नहीं किया गया और इसीलिए 5.10.2020 को गृह मंत्रालय ने एक वैधानिक आदेश निकाल दिया। जब यह देखा गया कि वहां पर पिछले कानून में जिन लोगों को यह कहा गया था कि वहां जितने लोग पुराने कानून के अनुसार रजिस्टर्ड हैं, वे सभी रजिस्टर्ड माने जाएंगे, लेकिन जैसा अभी मंत्री जी ने कहा है, जो पुराने लोग थे, उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन कराया, उसकी समय सीमा केवल एक साल दी गई थी और उसे वर्ष 2020 में उनको करना था। इसमें कतिपय कारणों से विलम्ब होने और वहां काउंसिल न बनने के कारण उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए।

इसका परिणाम यह रहा कि जम्मू-कश्मीर में इस कानून से पहले जो पुराने 25 हजार रजिस्टर्ड लोग थे, उनमें से केवल 12 हजार लोग इसमें रजिस्टर्ड हो पाए। इसी तरह से लद्दाख में 1200 लोग रजिस्टर्ड थे, अब वहां केवल 75 लोग रजिस्टर्ड हो पाए। इसलिए इनको मुख्यधारा में लाकर प्रैक्टिस करने के लिए और जब एक साल का समय बढ़ाया गया, तो इन सबको समाहित करने के लिए सरकार यह कानून लेकर आई है, ताकि आने वाले समय में हमारे छात्रों का नुकसान न हो और जो लोग छूट गए हैं, ऐसे सारे लोगों को भी उस कानून के तहत, जो सेक्शन 32सी में अमेंडमेंट की गई है, जोड़ने का काम किया जाए। अब जो नए प्रशिक्षण लेने वाले हमारे छात्र हैं, उनको इसका लाभ मिल सके और जो लोग छूट गए हैं, उनको भी लाभ मिल सके। इसीलिए जम्मू-

कश्मीर के हमारे भाइयों के लिए, हमारे फार्मासिस्ट्स के बीच एकरूपता लाने के लिए यह एक छोटा सा बिल लाया गया है।

मैं इस बिल का समर्थन करते हुए सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा करूंगा कि इस बिल को वहां की जनता के हक, वहां के फार्मासिस्ट्स के हक में पास किया जाए। धन्यवाद।

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Thank you, hon. Chairperson, for giving me this opportunity to speak on the Pharmacy (Amendment) Bill, 2023 on behalf of YSRCP. My sincere thanks to our beloved leader, *Jan Hridaya Neta*, Shri YS Jagan Mohan Reddy, for encouraging me at all levels. Sir, with your kind permission, I would like to speak in Telugu now and then. The Bill proposes to amend the principal Act called the Pharmacy Act, 1948.

As we know, the principal Act was enacted to curb the unethical pharmacy practice which was in vogue in 1948. The Bill is a welcome step as it aims to benefit the Union Territory of Jammu and Kashmir, and the Union Territory of Ladakh. This is one more step towards realising the dream of 'Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas'. So, I congratulate the Government of India and the hon. Minister for taking care for all parts of India equally and implementing the Reorganisation Act of Jammu and Kashmir.

Sir, I would like to highlight two important points of the Bill. The Bill amends the principal Act by introducing Section 32(c) wherein thousands of pharmacists who are co-registered with the erstwhile Jammu and Kashmir Paramedical Council will have an opportunity to register with the Pharmacy Council of India again within one year of time period. Similarly, an opportunity

will be given to students who were pursuing their courses at the time of introduction of the Reorganisation Act in 2019.

There is a cause of concern regarding biodiversity of Jammu and Kashmir in this regard. With the scheme launched called Jammu and Kashmir Industrial Development Scheme, dozens of companies have come to Jammu and Kashmir. Now, they are trying to do over harvesting in medicinal plants wherein biodiversity of Jammu and Kashmir will be at risk. So, I would like to ask the hon. Minister what is the blueprint of Government of India in this regard. Since this is a very small Bill, I would like to take the opportunity to stress on a few points and challenges faced by the pharma industry and pharmacists in particular. The first challenge faced by the pharma industry in India is over-dependence on China for Active Pharmaceutical Ingredients, APIs. It is very astonishing to note that nearly 60 per cent of APIs were imported from China in 2022. This import dependency needs to be addressed. I request the hon. Minister to let the House know about the blueprint in this regard from Government of India.

The second challenge is, there is a risk of e-pharmacy. It is a two-fold risk. One is, lives of the patients in e-pharmacies are at risk. That has to be addressed by a separate legislation by Government of India.

Secondly, the risk of e-pharmacy is the privacy of patient data. It would be very astonishing if it goes into unscrupulous hands.

Sir, one important point which we should think as a nation, is that the people are calling India as the Pharmacy of the World. As a doctor when I

scrutinised all the data from the internet, I noted that we are supplying medicines to nearly 140 countries. The medicines which we are supplying are very cheaply priced. For example, we are supplying one lakh tablets and getting just Rs. 10,000. It indicates that we are a labour-driven economy rather than a knowledge-driven economy.

So, in this situation, can we call ourselves as the Pharmacy of the World since we are supplying only cheap drugs, only labour-intensive drugs? We are not supplying quality drugs. We are concentrating more on the quantity rather than on the quality.

Sir, for seven decades, we concentrated on pharmaceuticals and we neglected pharmacists and pharmacy practice in India. As we know, our doctor' population ratio is 1:834 when we include all the systems of medicines like Allopathy, Ayurveda, Unani and other specialities, whereas the WHO has recommended 1:1000. Similarly, about nurses, the ratio is 1:70 whereas the WHO norm is 1:300. About pharmacists, their ratio is 1:1785 in India whereas the WHO has recommended 1:2000. Despite having such good numbers of doctors and good numbers of pharmacists, why are we in a very dismal situation with regard to health indices?

Here, I would just mention a few health indices worldwide, which are considered to be very important for assessing the quality of healthcare in any country. For example, in Human Development Index, India ranks 131st out of 189 countries. In the World Happiness Index, India ranks 136th out of 146 countries. In Health System Performance Index, India ranks 112th out of 191

countries. In Physical Quality of Life Index, India ranks 90th out of 160 countries. Then, out-of-pocket expenditure in India is the highest in the world. It is nearly 50 per cent.

Sir, it is very sad to note that every day, one lakh Indians are becoming poor due to poor healthcare services. Every day, nearly 50,000 Indians are becoming bankrupt. Every day, 80 Indians are committing suicide because of health issues. It is very painful to note that 23 per cent of Indian patients are suffering silently due to lack of healthcare.

Sir, coming back to the pharmacy situation and healthcare of India, we are facing nearly six challenges. We have never concentrated on pharmacy practice in India. Pharmacists can play a very huge role in healthcare of our country. Though we have a very good number of doctors and pharmacists, yet the indices are low. In that juncture, we can use the services of pharmacists. For example, we can use the services of pharmacists for explaining to the patients, counselling the patients about the mode of drug administration and other points to be taken care of in the recovery period.

So, we need to train the teachers. But we do not have appropriate numbers of teachers to train the pharmacy graduates. The pharmacy practice needs to be concentrated upon now. There is no real-time training of students in hospitals and medical colleges. We are training our nurses, we are training our doctors, but we are not training our pharmacy students in medical colleges. So, this area also needs to be taken care of.

Sir, there is a lack of networking among pharmacy institutions. For example, these days, it is an upcoming subject in India. So, we need to have good networking among different pharmacy institutions so that their faculty and the students can be exchanged, and the pharmacy practice can be implemented in the shortest possible time in India.

Sir, for MBBS students, we do not have community training programmes for pharmacy students. This is being done in many countries but in India, we are not doing it. Likewise, there is no interaction between the pharmacy students and clinicians at OP level or at hospital level. We also need to sensitize our students who are moving abroad looking for good pharmacy jobs.

*Those who do not know the history cannot create the history. When India got independence in 1947, our life expectancy was just 32 years. Today Indian life expectancy is more than 70 years. We gradually improved our life expectancy, but life expectancy in Japan is 84 years in comparison to 70 years in India. I ask this Government “by when will we be number one in life expectancy?” We have Ayurveda for many generations; still our life expectancy is only 70 years. By when can we achieve life expectancy of 84 or 87 years? I request the Government to take immediate actions in this direction.

Good government should provide three basic amenities to the public – Health, Education and Justice. Though we are far from giving Justice, we can provide health and education to our people. I request you to kindly study the schemes that are being implemented by our Chief Minister in our State of

* * This part of the Speech was originally delivered in Telugu.

Andhra Pradesh. You will know how we are progressing in Health and Education Sectors. If such schemes are implemented throughout our Country, we will be healthy and prosperous. With this request, I thank my floor leader and our hon. Chief Minister. Thank You for giving me this opportunity.*

डॉ. मनसुख मांडविया: सभापति महोदय, फार्मसी (अमेंडमेंट) बिल में दो सम्मानीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है। विषय यह है कि हमारे जम्मू-कश्मीर के युवाओं को ऑपर्ट्युनिटी मिले। जम्मू-कश्मीर से जब से धारा-370 हटी है, तब से वहां विकास की गति बढ़ी है। पहले युवा अपने हाथ में पत्थर लेते थे। अभी युवाओं के हाथ में रोजगार है, युवाओं के हाथ में टैबलेट्स है, युवाओं के हाथ में कंप्यूटर्स हैं। वहां आज युवाओं को टूरिज्म की दृष्टि से जॉब ऑपर्ट्युनिटी मिल रही है। पिछले सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। न केवल अमरनाथ यात्रा के लिए, बल्कि टूरिज्म परपज़ से फिर से एक बार हिन्दुस्तान और विश्व का स्वर्ग माना जाने वाला जम्मू और कश्मीर आज खिलने लगा है। वहां पर रोजगार के कई ऑपर्ट्युनिटी ओपन हो रहे हैं। एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कितने सालों तक जम्मू और कश्मीर को बंद रखा गया। जम्मू और कश्मीर में अपनी निजी राजनीति चलाने के लिए कई राजनितिक फैमलीज ने उसमें राज करने हेतु देश के विकास की जो गति है, उसके साथ उसको जुड़ने नहीं दिया। उसका नतीजा यह निकला है। जब जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटी, तब से आपने देखा होगा, वहां के किसान एप्पल पैदा करते हैं, तो भारत सरकार एप्पल खरीद लेती है और उनको उसका सही दाम मिलता है। वहां के युवा पढ़ते हैं। वे पढ़ने के बाद सारे देश में जाते हैं, इतना ही नहीं बल्कि आज जम्मू-कश्मीर का इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होने लगा है। आज एफडीआई की बात होती है। पहले जम्मू-कश्मीर में एफडीआई आए, ऐसी बात नहीं होती थी। आज फॉरेन कंपनीज जम्मू-कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही हैं। जम्मू-कश्मीर में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं। जम्मू-कश्मीर में वहां के यूथ्स को ऑपर्ट्युनिटी मिल रही है। वहां हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगा है। जम्मू-कश्मीर में हाइवेज बनने लगे हैं, रेल नेटवर्क आगे बढ़ रहा है। पहले वहां कैसी स्थिति थी? वहां टेररिज्म के कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गति से नहीं चलता था, उसमें

बाधाएं उत्पन्न हुआ करती थीं, लोगों में डर था। वहां बाहर के लोग जा कर काम करें, उनको भी डर लगता था। जम्मू-कश्मीर के लोगों को भी बाहर निकल कर काम करने में डर लगता था। लेकिन मोदी जी ने जब से धारा-370 हटाई है, तब से हम वहां आमूल-चूल परिवर्तन देख रहे हैं। मैं वहां एज ए हेल्थ मिनिस्टर देख रहा हूं। जिस तरह की वहां स्थिति थी, वहां के लोगों को इलाज के लिए दूर-सुदूर जाना पड़ता था। जम्मू-कश्मीर की जनता को प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाने की आदत थी। लेकिन वहां हॉस्पिटल्स नजदीक नहीं थे, हॉस्पिटल्स दूर थे। लोगों को दूर जाना पड़ता था। उनको उसमें भी कठिनाई होती थी। उनको टर्शरी केयर के लिए जाना हो, वहां कफर्यू लगी हो, तो वहां लोग जा नहीं सकते थे। वहां लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल रही थी। लेकिन जब से धारा-370 हटी है और भारत के सारे कानून वहां लागू हो गए हैं। सारे भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स जम्मू-कश्मीर यूटी में कार्यरत हो गए हैं, आज मैं केवल जम्मू-कश्मीर के बारे में कहूँ, तो थोड़े दिनों पहले मुझे पुलवामा में समाचार दिया गया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पहला ऑपरेशन किया गया। वहां कोई हार्ट का ऑपरेशन नहीं होता था। आयुष्मान भारत योजना के पहले वहां सुविधा ही नहीं थी। आज भारत आयुष्मान योजना का इम्प्लिमेंटेशन दूर-सुदूर जिलों में होने लगा है। वहां आयुष्मान भारत कार्ड सैचुरेशन मोड में आगे बढ़ रहा है। लोगों को भारत आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। वहां यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा बहुत अच्छी तरह से उसका इम्प्लिमेंटेशन किया जा रहा है। आज वहां हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ओपेन हो रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। दूर-सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में बसने वाले मेरे जम्मू कश्मीर के भाइयों को डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर ही उसका डायग्नोसिस हो जाए और जम्मू या श्रीनगर जाने की बाद में आवश्यकता होती है। जम्मू कश्मीर में टेली कंसल्टेशन के द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्पोक के रूप में तैयार किया गया है। हमारे दो एम्स एक जम्मू में बन रहा है और दूसरा श्रीनगर में एम्स बन रहा है। दो एम्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हब एवं स्पोक के रूप में तैयार किया गया है। हब और स्पोक के द्वारा टेली कंसल्टेशन का क्या नतीजा निकला है?

महोदय, आज मेरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में गांव से एक गरीब व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे इस टाइप का दर्द है तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में डॉक्टर होता है या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है। जब वह अपनी बात रखता है और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ऐसा लगे कि उसे टर्शियरी केयर की आवश्यकता है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर डायग्नोसिस के लिए जाने की आवश्यकता है या तो उसे जम्मू भेजना पड़ेगा या उसे श्रीनगर भेजना पड़ेगा। एक किसान करने वाले मजदूर, खेत में काम करने वाला किसान वहां से 200-300 किलोमीटर दूर पहाड़ों में अपने गांव में रहता है, वहां से 5-10 किलोमीटर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर वह पहुंच गया, लेकिन जब उसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहता है कि आपको श्रीनगर जाना पड़ेगा तो उसकी जेब में पैसा नहीं होता है, उसके पास सुविधा नहीं होती है और उसे दूर जाने के लिए अपनी एक-दो दिन की मजदूरी भी छोड़नी पड़ती है। एक मजदूरी करने वाला मजदूर सीएससी तो पहुंच गया और वहां के डॉक्टर साहब ने उसे अवंतीपुर जाने के लिए बोल दिया तो उसके पास व्यवस्था नहीं होने के कारण वह टर्शियरी केयर से वंचित रह जाता था। लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्पोक के रूप में टेली कंसल्टेशन से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है।

मैं आपको एक एग्जापल देना चाहता हूं कि दिल्ली एम्स से एक कैंसर की नई यूनिट झज्जर में बनी है। मैं एक बार झज्जर जा रहा था तो मैंने रास्ते में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देखा। मैंने राव साहब से कुछ पूछा नहीं था। मैंने गाड़ी रोकी और मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में चला गया। उसको पता नहीं था कि मिनिस्टर आकर मेरे पास बैठ गया है। वहां एक पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा था और मैं बगल में जाकर बैठ गया। वहां हमारे डॉक्टर पीजीआई, चंडीगढ़ के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ गरीब पेशेंट का टेली कंसल्टेशन करवा रहे थे। डॉक्टर टू डॉक्टर बात करते थे। डॉक्टर टू डॉक्टर बात करके उन्होंने कहा कि आप मेरी पेशेंट से बात करवाइये। उन्होंने कंप्यूटर को थोड़ा डाइवर्ट किया तो पेशेंट उसको दिखने लगा। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने पेशेंट से दो-तीन क्वेश्चन्स पूछे। दो-तीन क्वेश्चन्स पूछने के बाद उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डॉक्टर को कहा कि आप उसे इस टाइप की मेडिसिन लिख दीजिए और एक सप्ताह के बाद बता देना।

मैंने पूछा कि आप कहां से आ रहे हो तो उन्होंने कहा कि यहां ड्रेनेज का काम चल रहा है। मैं दूसरे स्टेट से हूं और यहां लेबर के रूप में काम कर रहा हूं। मुझे बुखार आया तो मैं यहां आ गया। मैंने कहा कि आपको पता है कि आपने एक बहुत बड़े सर्जन के साथ बातचीत की है। अगर यह फैसिलिटी वहां नहीं होती तो डॉक्टर साहब उसे बोल देते कि आप दिल्ली एम्स में जाओ या दिल्ली में कहीं जाओ। वहां से वह दिल्ली आता। उसके पास जेब में पैसे नहीं हैं, वह गरीब व्यक्ति अपने फैमिली मैम्बर को साथ में लेकर आता तो उसकी भी मजदूरी चली जाती। इस 'संजीवनी प्लेटफार्म' के द्वारा टेली कंसल्टेशन से डेली 3 से 4 लाख लोगों को एडवाइज दी जाती है, सलाह दी जाती है। उसका उपचार सुनिश्चित किया जाता है। आज यह सुविधा मेरे जम्मू कश्मीर में दूर-सुदूर बैठे हुए किसान परिवार को भी मिल रही है, मजदूरों को भी मिल रही है। मेरे युवाओं के लिए भी अपॉर्च्युनिटी ओपन हो रही है। आज वहां से युवा यूपीएससी का एग्जाम पास करके देश के कई राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहां के युवा आगे बढ़ने की तरफ जा रहे हैं।

दोस्तो, जम्मू और कश्मीर बदल रहा है। आज हम नए जम्मू और कश्मीर का ऑर्डर देख रहे हैं। बदली परिस्थिति में जम्मू कश्मीर और आगे बढ़े, इस बिल को लाने का उद्देश्य यही था कि जम्मू और कश्मीर के किसी युवा को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी अपॉर्च्युनिटी पर कोई असर हो रहा है। हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। आप छूट गए हैं, हम आपको एक साल देते हैं, आप एक साल में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाइये। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को भी अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए, उसको भी नहीं लगना चाहिए कि मैं अपॉर्च्युनिटी से वंचित रह गया। आपको भी अब इसका फायदा मिलेगा।

सम्मानित सदस्य, मिथुन रेड्डी जी कह रहे थे।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: He was Dr. Sanjeev Kumar Singari.

श्री मनसुख मांडविया: माफ कीजिएगा।

डॉ. संजीव कुमार जी ने अपनी बात बताते हुए देश में एपीआई के बारे में चिन्ता जाहिर की।

API is the raw material of the pharmaceutical industry. एपीआई का मतलब है- रॉ मैटेरियल। आज हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि आज हम मेडिसीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री हैं। आज दुनिया जो पाँच टैबलेट्स खाती है, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसीन है। यह हमारी क्षमता है। लेकिन यह मेडिसीन बनाने के लिए, यह फॉर्मूलेशन बनाने के लिए हमें जो रॉ-मैटेरियल चाहिए, वह हमें दुनिया के देशों से लाना पड़ता है। इस रॉ-मैटेरियल के लिए हम आत्मनिर्भर कैसे बनें? ग्लोबलाइजेशन के समय में, हम कुछ इम्पोर्ट न करें, हम सब कुछ एक्सपोर्ट ही करें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें इम्पोर्ट भी करना होगा, हमें एक्सपोर्ट भी करना होगा, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना होगा, लेकिन उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं, जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट की होती हैं। मोदी जी ने तय किया है। What is the definition of Aatmanirbhar Bharat? आत्मनिर्भर भारत के तहत हम कुछ भी इम्पोर्ट न करें और सारा कुछ एक्सपोर्ट करें, ऐसी बात नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि देश की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट के लिए हमारी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जब वर्ष 2014 में शासन संभाला, तब से देश में एपीआई सेक्टर में, मैं सात साल तक फार्मास्युटिकल मिनिस्टर रहा। मैं पहले एमओएस हुआ, बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बना। मैंने देखा है, एक ऐसा समय था, देश की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट यानी 52 एपीआईज ऐसे थे, यदि एक कंट्री भी इंडिया को देना बंद कर दे, तो इंडिया में जीवन के लिए जरूरी मेडिसीन की जरूरतों को भी पूरा करने में हमें दिक्कत हो जाएगी, एक्सपोर्ट की तो बाद की बात है। जब एक ही कंट्री बल्क में बनाता हो, वह सारी दुनिया को सप्लाई करता हो, उसके सबसे बड़े खरीददार हम हों और हमारे देश में एपीआई न बनता हो और वह हमें देना बंद कर दे, तो हमारे हेल्थ सेक्टर पर भी इसका निगेटिव इफेक्ट होगा और हमारे फार्मा इंडस्ट्री पर भी निगेटिव इफेक्ट होगा।

दोस्तों, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि कोई भी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट के लिए हमें किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। इसके लिए क्या करना होगा? हमने ऐसे 52 एपीआईज आइडेंटिफाई किए। देश में ही उसे बनाने के लिए क्या

करना चाहिए, क्यों देश में नहीं बनता है? इस देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, न ही कमी है। यह एक सामर्थ्यवान देश है। इस देश को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जब देश के युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को आप अपॉर्चुनिटी दे दो, तो वे सारा कुछ यहाँ पैदा कर देंगे। उसका बेस्ट एग्जाम्पल पीएलआई स्कीम है।

हम लोग पहले एपीआई इम्पोर्ट करते थे, पहले यहाँ दुनिया के देशों से मोबाइल्स आते थे, एलईडी दुनिया के देशों से इंडिया में इम्पोर्ट होती थी, ऐसे कई इक्विप्मेंट्स थे, कई एपीआईज थे, हम दुनिया के देशों पर डिपेंडेंट थे, लेकिन मोदी जी ने तय किया और 14 सेक्टर्स में पीएलआई(प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव) स्कीम लाए। What is Production Linked Incentive Scheme? हमने प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव में आइडेंटिफाई किया कि कौन-से एपीआईज ऐसे हैं, जो हमें बाहर से लाने पड़ते हैं। अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग हम यहाँ करें तो? हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने कहा, उसके लिए कंसल्टेशन बहुत आवश्यक होता है।

माननीय सभापति जी, हमारी सरकार पॉलिसी केवल ऑफिस में बैठकर नहीं बनाती है। हमारी सरकार कंसल्टेशन करती है। स्टैकहोल्डर्स से कंसल्टेशन करना हमारी प्रायोरिटी होती है। हमने स्टैकहोल्डर्स से कंसल्टेशन किया, इंडस्ट्रीज से हमने कहा कि आप 52 एपीआईज बना पाएंगे? उन्होंने कहा, हाँ, हम बना पाएंगे। लेकिन उनमें कई एपीआईज ऐसे हैं, जिनमें इंडिया में 20 परसेंट सस्ता मिलता है। हमने कहा, यदि हम 20 परसेंट आपको इंसेंटिव के रूप में दे दें, तो? हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने कहा कि हम बनाएंगे। कई ने कहा कि दुनिया में हमसे 10 परसेंट सस्ता मिलता है। हम जिस कंट्री से ला रहे हैं, वहाँ 10 परसेंट सस्ता मिल रहा है, इसलिए यहाँ से कोई खरीददार नहीं है, हम वहाँ से इम्पोर्ट कर लेते हैं। हमने उसमें 10 परसेंट इंसेंटिव दिया। हमने कहा कि यह देश में ही बने, उसके लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि उसके लिए एक इको-सिस्टम बनानी होगी। इको-सिस्टम बनाने के लिए बल्क ड्रग पार्क बनाना होगा। बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए एक हजार करोड़ रुपए चाहिए। इस तरह से, हमने देश में तीन बल्क ड्रग पार्क बनाना शुरू कर दिया है।

हमने पीएलआई-1 के लिए 15,000 करोड़ रुपए और पीएलआई-2 के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए। हमने कहा कि नहीं, हमें केवल आत्मनिर्भर नहीं बनना है, हमें आत्मनिर्भर बनकर, जैसे दुनिया इंडिया में बिजनेस करती थी, सस्ता माल बनाकर इंडिया में भेजती थी, वैसे ही हमें सस्ता माल बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना है।

हम देश में एपीआई बनाने के लिए पीएलआई-1 लाए। उसमें 52 एपीआई के लिए हमने सपोर्ट दिया, पीएलआई स्कीम लाए। बाद में हमने तय किया कि हमें 'फार्मसी ऑफ दि वर्ल्ड' बनने के लिए पूरी दुनिया में अपना माल भेजना है और स्ट्रॉन्गली दुनिया के कॉम्पिटिशन में हमें टिकना है। इसके लिए हम 15,000 करोड़ रुपए की दूसरी पीएलआई-2 इंसेटिव स्कीम लाए। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 38 प्रकार के एपीआई कहीं प्रोडक्शन में आ गए हैं, तो कहीं प्रोडक्शन में आने की लाइन में हैं। वे एक साल में या डेढ़ साल में प्रोडक्शन में आ जाएंगे। हम किसी भी क्रिटिकल एपीआई के लिए दुनिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ...(व्यवधान) यह मोदी गवर्नमेंट है। देश की ड्रग सिक्योरिटी हमारी प्राथमिकता है।

एक दूसरी चिंता जताई कि हम गुणवत्ता के बारे में क्या कर रहे हैं? दोस्तों, मैं आपको सदन के द्वारा एश्योर करना चाहता हूँ कि देश में क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग हो, देश में सस्ती-एफॉर्डेबल मेडिसिन भी मिले और क्वालिटी मेडिसिन भी मिले। हमने दुनिया के बहुत से देशों से ब्रांडेड मेडिसिन्स लाकर इंडिया में खिलाई और बहुत हमने भी खाई।

हम ऐसा मानते थे कि ब्रांडेड मेडिसिन्स ही क्वालिटी मेडिसिन्स होती हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। What is the difference between branded and generic medicines? दोस्तों, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम ब्रांडेड ही लिखते गए। दुनिया हमारी जेनरिक मेडिसिन खाती है। सारी दुनिया इंडिया से इम्पोर्ट करके जेनरिक मेडिसिन खाती है। What is a generic medicine? पैरासिटामॉल - 500 एमजी क्या है? Paracetamol is a drug, salt name और 500 एमजी उसकी क्षमता है। अतः 500 एमजी की यह पैरासिटामॉल टैबलेट है। किसी कंपनी ने उसका नाम कैलपॉल - 500 रख दिया, तो वह ब्रांडेड हो गई और अगर सीधे पैरासिटामॉल -

500 लिख दिया, तो वह दवा जेनरिक हो गई। जेनरिक और ब्रांडेड में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब कैलपॉल लिखा जाता है, तो उसकी एमआरपी 20 रुपए हो जाती है और आप जब सॉल्ट नेम से उसे लेने जाएंगे, जब जेनरिक लेने जाएंगे, तो उसकी कॉस्ट तीन या चार रुपए होती है।

अतः क्यों हम महंगी दवाई खिलाएं? जेनरिक मेडिसिन के प्रति ट्रस्ट बढ़े, इसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने काम किया और आज 9,500 से अधिक जन औषधि केंद्र चल रहे हैं। ... (व्यवधान) आज जन औषधि केंद्रों को पूरे देश में लोग 'मोदी की दुकान' कहते हैं, 'मोदी की दवाई की दुकान' कहते हैं। आप एक बार जन औषधि केंद्र पर जाकर खड़े होकर देखिए।

मैं थोड़े दिन पहले कोलकाता गया था। वहां एक छोटी सी गली में एक जन औषधि केंद्र था। मैंने कहा कि चलो भाई, मुझे वहां लेकर चलो। मैं वहां गया। मैंने उसको बताया नहीं था कि एज-ए-मिनिस्टर मैं उसके जन औषधि केंद्र को देखने के लिए आ रहा हूं। मैं ऐसे ही वहां चला गया था। जब मैं वहां गया, तो मैंने देखा कि एक ऑटो वाला वहां से जेनरिक मेडिसिन खरीदकर उसका पैसा दे रहा था। मैं उसके पीछे खड़ा हो गया। मैंने उससे कहा, नमस्ते जी, आप यहां क्यों आए हैं? इस पर उन्होंने कहा कि मोदी जी ने यह सस्ती दवाई की दुकान खोली है, तो मैं यहां से सस्ती दवाई लेने आया हूं। मैंने पूछा कि आपको किसने बताया? उन्होंने अपनी कथा बताते हुए कहा कि मैं रिक्शा चलाता हूं, मेरे परिवार में तीन लोगों को रोजाना मेडिसिन लेनी पड़ती है। मैं हर महीने 10-12 हजार रुपए कमा रहा हूं। मेरे परिवार में दो-तीन लोग डायबेटिक पेशेंट्स हैं, बीपी के पेशेंट्स हैं, इसलिए मुझे दो-तीन टाइप की मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, जिनमें मेरा तीन – साढ़े तीन हजार रुपए चले जाते हैं। किसी ने मुझे बताया कि मोदी जी ने सस्ती दवाई की दुकान खोली है, इसलिए मैं यहां आने लगा और अब मेरे तीन – साढ़े तीन हजार रुपए की जगह केवल 300 – 400 रुपए खर्च होते हैं। पहले उसके तीन – साढ़े तीन हजार रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब जन औषधि केंद्र पर 300 – 400 रुपए में उसे सस्ती मेडिसिन मिल जाती है।

उन्होंने मुझे दूसरी बात भी बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर कोई मेरे ऑटो में बैठता है और अस्पताल जाता है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मोदी जी की दवाई की दुकान पर जाइए, वहां सस्ती मेडिसिन मिलती है। ... (व्यवधान)

दोस्तों, लोगों को सस्ती दवाई मिले, अच्छी क्वालिटी की दवाई मिले। देश में 10,000 फार्मा इंडस्ट्रीज हैं। उनमें से 8,000 फार्मा इंडस्ट्रीज एमएसएमईज हैं। देश में क्वालिटी के साथ कोई बार्गेनिंग न हो, उसके लिए व्यापक तौर पर हमने शेड्यूल – एम के इंप्लिमेंटेशन के लिए फोर्स किया है। उस पर अमल कराने के लिए हमने गतिविधि चालू कर दी है, यानी कि बेस्ट क्वालिटी कैसे एश्योर की जाए, इसके लिए एक स्कॉड बनाई है। ऐसी गलत, स्पिरियरिस, फेक मेडिसिन्स के बारे में आप हर दिन न्यूजपेपर्स में पढ़ते होंगे कि एक फैक्ट्री पर स्कॉड गई और उन लोगों को पकड़ लिया। जो लोग फेक मेडिसिन बनाकर, क्यूरियस मेडिसिन बनाकर मेरे देश के लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करेंगे, उसे मोदी गवर्नमेंट नहीं बर्खशेगी। उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आप हर दिन ऐसा कोई न कोई एक्शन देखते होंगे। जो अच्छा करेंगे, उनको हम हमेशा सपोर्ट करते हैं और जो अच्छा नहीं करेंगे, देश के लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर एक्शन होता है। देश में एफोर्डेबल हेल्थ केयर कैसे उपलब्ध हो? मैंने आपको एक बात जन औषधि केन्द्र की बताई है। आप बड़े अस्पताल में जाइए, वहाँ फार्मसी सेंटर चला हुआ है। वहाँ अमृत सेंटर चला हुआ है। अमृत सेंटर पर भी सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन मिलती है। लोगों में ऐसी धारणा थी कि सरकार की मेडिसिन या सरकार की तरफ से मिलने वाली मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, इतिहास को समझना और परिस्थिति को बदलना मोदी गवर्नमेंट की कार्य नीति रही है। आज देश मानता है कि सरकारी फार्मसी से मिलने वाली मेडिसिन अच्छी होती है।

दूसरा, लोगों को एफोर्डेबल हेल्थ केयर मिले। आज आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो गई है। दोस्तों, मैं सभी माननीय सांसद महोदय को बताना चाहता हूँ कि आपके लोक सभा क्षेत्र में कई सरकारी अस्पतालों में, कई प्राइवेट अस्पतालों

में आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। कई राज्यों में परिस्थिति के अनुसार गति थोड़ी धीमी थी। मैं थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र में भी एक विजिट करके आया हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में भी जाकर आया हूँ। जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की गति कम थी, वहाँ भी अभी तेजी से आयुष्मान भारत कार्ड बन रहे हैं। आपके लोक सभा क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एम्पैनल्ड अस्पताल हैं। वहाँ कियॉस्क लगा हुआ है। कोई भी मरीज हो, आपके पास कोई मरीज आये, पहले उसे वहाँ भेज देना, उसके पास कार्ड हो, न हो, यह बाद में पूछना। आप पहले आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हुए अस्पताल में जाओ। वहाँ एक कियॉस्क लगा हुआ है। वहाँ जाकर कहेंगे कि मैं एक्स, वाई, जेड व्यक्ति हूँ, आप देखिए कि क्या मैं आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी हूँ? वे कम्प्यूटर में तुरन्त ही देख लेंगे, वेबसाइट पर जाकर देख लेंगे, आप अपने कार्यालय पर भी देख सकते हैं, अगर वह आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी है तो वे तुरन्त ही वहीं उसको कार्ड बनाकर दे देंगे। इससे उनको 5 लाख रुपये तक के इलाज की गारंटी मिलेगी। 5 लाख रुपये तक का कोई इलाज कराना है, ट्रीटमेंट कराना है, ऑपरेशन कराना है, तो वह उसके माध्यम से वहाँ हो रहा है।

महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज 5 करोड़ से अधिक लोगों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेकर अपना ऑपरेशन आदि कराया है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनन्दन करना इसलिए चाहूँगा क्योंकि बीमारी कभी भी किसी को पूछकर नहीं आती है। बीमारी गरीब के यहाँ भी आती है और अमीर के यहाँ भी आती है। कोई अमीर व्यक्ति होता है, उसकी जेब में पैसा रहता है, वह अच्छे, बड़े प्राइवेट अस्पताल में चला जाता है। जाना चाहिए, उसमें मेरा कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि किसी गरीब परिवार के यहाँ कोई बीमारी आ गई और तीन लाख, चार लाख, पाँच लाख रुपये का खर्च होगा, उसे ऑपरेशन कराना है तो जिस अस्पताल में एक अमीर परिवार के सदस्य का इलाज होता हो, उसी अस्पताल में एक गरीब परिवार के व्यक्ति का भी इलाज होता हुआ देखकर संतोष होता है। जो मोदी जी ने करके दिखाया है, वह विश्व के लिए आज एक मिसाल के रूप में है।

महोदय, आपने इस अमेंडमेंट के लिए मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जम्मू-कश्मीर के युवाओं को अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैंने फार्मसी एक्ट में 32सी को अमेंड करने के लिए इस सभाग्रह के सामने यह बिल रखा था, जिसमें सब लोगों ने अपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। मैंने अपनी ओर से अपनी बात रखी है। मैं चाहता हूँ कि यह कोई ऐसा विषय नहीं है, जिस पर किन्तु, परन्तु हो। सब लोग सर्वसम्मति से इसे पास करें, यही मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill further to amend the Pharmacy Act, 1948, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

Dr. Alok Kumar Suman is not present.

The question is:

“That Clause 2 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. CHAIRPERSON: The Minister may now move the Motion for the Bill to be passed.

DR. MANSUKH MANDAVIYA: Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

16.52 hrs

MEDIATION BILL, 2023

As Passed by Rajya Sabha

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up item No. 19, the Mediation Bill, 2023.

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE,
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN**

RAM MEGHWAL): Sir, I beg to move:*

“That the Bill to promote and facilitate mediation, especially institutional mediation, for resolution of disputes, commercial or otherwise, enforce mediated settlement agreements, provide for a body for registration of mediators, to encourage community mediation and to make online mediation as acceptable and cost effective process and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

महोदय, यह मीडिएशन बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल है। जैसे भारतीय ज्ञान की परम्परा रही है कि भारतीय पुरातन ज्ञान के अनुसार ग्राम पंचायतें पहले पंच परमेश्वर होते थे और उनका जो फैसला होता था, वह मान्य होता था। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि यह बिल लाने की क्या जरूरत है। इसमें लीगल बैकग्राउंड या लीगल सपोर्ट नहीं था। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सोचा कि वर्तमान में सिविल प्रोसीजर कोड के सैक्शन 89 के तहत जो मीडिएशन सेंटर्स खुले हुए हैं, उन्हें लीगल सपोर्ट मिले। हम लीगल सपोर्ट देने के लिए, लीगल बैक बोन बनने के लिए मीडिएशन

* Moved with the recommendation of the President.

बिल लेकर आए हैं। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि इससे ईज ऑफ लीविंग होगा। जब मुकदमा होता है, तो पैसा भी खर्च होता है और समय भी लगता है तथा दुश्मनी भी दोगुनी हो जाती है। हम चाहते हैं कि पहले ही क्यों नहीं मीडिएशन के माध्यम से ऐसे मामलों को सैटल करें, जिससे कि मुकदमों की जो भरमार है, उसमें भी कमी आए और ईज ऑफ लीविंग भी बढ़े, इसलिए यह बिल सभा के समक्ष लेकर आया हूँ।

महोदय, मैं चाहता हूँ कि इस बिल पर चर्चा हो और बाद में जैसा आपका निर्देश हो, इसे पारित करने की प्रक्रिया हो। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That the Bill to promote and facilitate mediation, especially institutional mediation, for resolution of disputes, commercial or otherwise, enforce mediated settlement agreements, provide for a body for registration of mediators, to encourage community mediation and to make online mediation as acceptable and cost effective process and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): सभापति जी, मीडिएशन बिल, 2023 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जैसा माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि हमारी पुरातन परम्परा है, पुराने जमाने में जब भी गांव में या कहीं भी डिस्प्यूट होते थे, तो उन्हें वहां के लोग आपस में मिलकर, पार्टियों को समझाकर सैटलमेंट करवा देते थे। यह परम्परा बहुत पुरानी है। जैसा मंत्री जी ने बताया कि कानूनी जामा, लीगल फ्रेम वर्क बनाने के लिए यह बिल लाया गया है। इसे कानूनी जामा पहनाने की प्रक्रिया वर्ष 1999 से शुरू हुई, जबकि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट 1990 के द्वारा सैक्शन 89 में अमेंडमेंट किया गया, और उसके बाद 1 जुलाई, 2002 से उस अमेंडमेंट के हिसाब से मीडिएशन शुरू हुआ। इसे आगे बढ़ाने के लिए एक

कमेटी जस्टिस आर.सी. लहोटी जी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे, उन्होंने मीडिएशन एंड कांसीलेशन प्रोजेक्ट कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की अनुशंसा पर एक पायलेट प्रोजेक्ट ऑन मीडिएशन दिल्ली में अगस्त, 2005 में इनीशिएटेड किया गया। उस समय उसमें केवल जजों के द्वारा ही मेडिएशन शुरू हुआ। जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्हें 40-40 घंटे की ट्रेनिंग दी गयी कि वे अपने चैम्बर में मेडिएशन शुरू करें। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसके जो पक्षकार हैं, उन्हें कोर्ट की सुनवाई करके नहीं, बल्कि अपने चैम्बर में बुलाकर इसके आधार पर कुछ कर सकें। इस तरह यह प्रोसीजर शुरू हुआ और उसके बाद धीरे-धीरे यह आगे बढ़ता गया।

पहले काफी दिक्कतें थीं कि अगर कोई निर्णय हो गया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। कितने समय में निर्णय होगा, निर्णय करने वाले कौन हैं, उनका क्या रजिस्ट्रेशन है, उनकी क्या योग्यता है, इन सबको देखने के हिसाब से यह बिल लाया गया। यह एक सकारात्मक पहल है क्योंकि आज कोर्ट के ऊपर केसेज का भार बहुत बढ़ गया है। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, जिन्हें आपस में बैठ कर सुलझा सकते हैं। इसमें कोर्ट का समय भी बर्बाद न हो और दोनों डिस्प्यूटेड पक्षों का धन भी बर्बाद न हो और उन्हें सही समय पर सही निर्णय भी मिल जाए, सही सलाह भी मिल जाए, इस हिसाब से मेडिएशन हो। पर, इसमें कुछ प्रतिबंध किया गया कि काम की लिस्ट फर्स्ट शिड्यूल में दी गयी है कि ये डिस्प्यूट मेडिएशन के द्वारा सॉल्व नहीं हो सकते, जैसे कोई आपराधिक मामला हो, जिसमें कोर्ट के नियमों के हिसाब से फैसला हो। इसके अलावा, जिन-जिन एक्ट में डिस्प्यूट के सॉल्यूशन का प्रावधान है, तो इसमें यह प्रावधान भी जोड़ा गया कि मेडिएशन एक्ट को लागू कर सकते हैं। इसमें आपसी समझ से, किसी समझदार व्यक्ति को बिठाकर वे अपना डिस्प्यूट सेटल कर सकें। इसकी शुरुआत इस बिल के द्वारा होगी क्योंकि उसको कानूनी जामा पहनाया गया है। अगर उनका मेडिएशन एग्रीमेंट होगा, तो पहले यह स्थिति है कि आपस में मिल लिए, लिखित में भी तय हो गया, लेकिन मान लीजिए कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर कोई पक्ष मना कर देता था, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन संभव नहीं था। इसी चीज को

रोकने के लिए मेडिएशन एग्रीमेंट की शुरुआत हुई और मेडिएशन एग्रीमेंट बन गए। उस मेडिएशन एग्रीमेंट के आधार पर जैसे ही यह हो गया कि उस एग्रीमेंट पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर हो गए और अगर उसके बाद कोई पक्ष उससे पलट जाता है या उल्टी बात करता है या उस एग्रीमेंट को नहीं मानता है तो उसमें फिर सिविल प्रोसीजर के सेक्शन के हिसाब से दूसरे पक्ष कार्रवाई कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रावधान है। इसको कानूनी जामा मिल गया। अब यह एक तरह से कानून बन गया। अब अगर कोई इसमें डिफॉल्ट करता है तो उस पर कोर्ट में केस चलेगा। इसके लिए पूरी सावधानियां रखी गयीं। अगर कोई मेडिएशन एग्रीमेंट बना और वह किसी गलती से, किसी फ्रॉड से या किसी चीज से प्रभावित होकर बना तो वह रद्द भी हो सकता है। उसमें भी कुछ नियम हैं। ये नियम विस्तार से इस बिल में लाए गए हैं। इसके अलावा, इसमें एक टाइम लिमिट भी दी हुई है। अगर किसी मेडिएशन की शुरुआत होती है तो उसे 180 दिनों के भीतर पूरा करना होता है। अगर वह 180 दिनों में पूरी नहीं होती है तो उसके बाद अगर दोनों पक्षकार कहें कि इसे और 180 दिनों के लिए बढ़ाया जाए तो वह और 180 दिनों के लिए बढ़ सकता है। यह एक अच्छा प्रावधान है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा 'ईज-ऑफ-डूइंग-बिजनेस' में है। जो झगड़े होते हैं, कभी लेन-देन के झगड़े होते हैं तो मेडिएशन के द्वारा आराम से, बिना किसी दिक्कत के इसे सुलझा सकते हैं। इन सारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक मेडिएशन परिषद् बनाई गयी है। इसमें प्रावधान है कि वह मेडिएशन परिषद् यह तय करेगी कि इनके क्या नियम होंगे, मेडिएटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या ग्रेड होंगे, किस लेवल के मेडिएटर इस काम को कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल मेडिएशन के लिए और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी इन्हें मान्यता देने का काम परिषद् करेगी, जो सरकार द्वारा बनाई जा रही है। इस बिल में इसका प्रावधान है।

17.00 hrs

सभापित महोदय, सबसे अहम बात है कि अगर किसी को दिक्कत हुई और उसने कहा कि मीडिएशन हो गया, एग्रीमेंट हो गया, लेकिन इसमें दिक्कत है तब केवल 4 पॉइंट के आधार पर ही वह उस एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर सकता है, अदरवाइज़ उसको वह एग्रीमेंट मानना पड़ेगा। यह

उसके ऊपर कानूनी रूप से बाध्य है। ऐसी बढ़िया व्यवस्था इसके माध्यम से हो रही है। इसके अलावा जो प्रावधान है और जो परिषद् है, आज-कल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मीडिएशन का काम चल रहा है। भारत इसका हब बने, इसके हिसाब से जो काउंसिल बनाई गई है, वह भी इसमें सहयोग करेगी और उनको गाइड करना है, नियम वगैरह बनाने के लिए। इसी आधार पर यह सरकार का एक सकारात्मक कदम है। यह इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है। मैं इसका समर्थन करता हूँ।

धन्यवाद।

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Mediation Bill, 2021.

Being familiar with the Indian Judiciary System, we are cognizant of the fact that it takes so much time to resolve cases. The number of cases pending in Indian courts has only climbed over the previous decade. As of August, 2023, a total of 4.44 crore cases are pending in the courts of our country with an average case lasting 13 years. In such cases, Alternative Dispute Resolution Procedures such as mediation come into play.

The Mediation Bill, 2021, will be a standalone legislation on mediation although few mediation-related provisions are mentioned in the Code of Civil Procedure, 1908, the Arbitration and Conciliation Act, 1996, the Companies Act, 2013, the Commercial Courts Act, 2015, and the Consumer Protection Act, 2019.

This Bill is a welcome legislation and I would like to highlight some of its aspects. There are some positives of the Bill. It addresses some legal loopholes. The Bill makes successful attempt to alleviate the workload of the

Indian Judiciary System. It addresses the gap in the existing legal framework by encouraging private, online, and community mediation as acceptable practises, enforcing a successful medium of mediation in the form of 'Mediation Settlement Agreements', and so on. It provides a uniform procedure to be followed for mediation in the country.

As far as domestic legislation on Singapore Convention is concerned, India is a signatory to the United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, also known as the Singapore Convention on Mediation. This smoothens the enforcement of International Mediation Settlement Agreements amongst the signatory nations. This Bill includes the domestic measures required for the Convention's international mediation settlements to be enforced. India has progressed from being an observer in foreign affairs to a frontrunner and pioneer by enacting domestic laws to implement the Singapore Convention.

It also strengthens India's Alternate Dispute Resolution Mechanism. Between 2016 to 2022, there was a 16 per cent increase in the strength of judiciary as compared to 54.6 per cent increase in pendency of cases.

On an average, there is just one Judge for 73,000 people in India. There is a shortage of Judges to decide cases. In the High Courts, 42 per cent of the total sanctioned posts for Judges are vacant and 41 per cent of the cases have been pending for the last five years. A total of almost 50 lakh cases have been pending before the Subordinate Courts and High Courts. Therefore, an alternate dispute resolution mechanism such as mediation has become an

important tool in increasing the access to justice by providing redressal and settlement of disputes.

Mandating pre-litigation mediation would require availability of sufficient trained mediators. Establishing of more training centres and institutes for mediation would definitely lead to a rise in the employment rate in both skilled and unskilled employment. Therefore, I request the hon. Minister to make similar provisions in the Mediation Bill, distinguishing domestic and foreign residents of India, which would ultimately fulfil the objective of this Bill.

Not only this, mandatory pre-litigation would also require the availability of sufficiently trained mediators. NITI Aayog, in 2021, noted that a framework for mandatory pre-litigation mediation in India must be planned, keeping in mind the number of mediators available and the ecosystem's ability to provide a large number of mediators. Hence, it is recommended that mandatory pre-litigation mediation be carried out in a phased manner – first for certain categories of disputes and then, eventually, for a wide range of disputes. Expansion in the classes of such disputes would also see a corresponding increase in capacity, in terms of mediation and ADR centres.

Now, I come to the issue of community mediation. The Bill provides to establish 'community mediation' to ensure peace and harmony among the people or the families in a community, at local level. This move is appreciated. However, such community mediation may prove to be diametrically opposed to individual rights in general and women's rights in particular. Community

mediation may meet the same criticism as informal associations have met in the past.

In circumstances where an Indian party is involved in mediation outside India, the issue of enforcing settlement agreements emerges. The Bill states that mediated settlement agreements shall be enforceable in the same manner as a court's judgment or decree. In this particular regard, the Bill is not in accordance with the Singapore Convention on Mediation as it allows international mediation agreements to be enforced in other nations.

In conclusion, I would say that for India, the Mediation Bill, 2021 came in the right direction, following the footsteps of the Convention. It would improve India's Ease of Doing Business credentials by allowing for quick mediated resolutions of corporate conflicts. It would also boost confidence expressed through India's commitment to following international practice in Alternative Dispute Resolution. However, all of this would only be fully realised if the shortcomings of the Bill are taken care of. Hence, I hope, the Minister addresses the issues raised and also provide reasonable solutions. Thank you.

श्री मलूक नागर (बिजनौर): सभापति जी, आपने मुझे मीडिएशन बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना महामारी के पहले अदालतों में बहुत बड़ी संख्या में केस पेंडिंग थे। कोरोना के बाद केस बड़ी संख्या में बढ़े हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तीन स्टेजेज़ पर करोड़ों केस पेंडिंग हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लाखों केस पेंडिंग हैं। मीडिएशन का यह बिल लाना बहुत जरूरी था। मीडिएशन व्यावहारिकता में पहले भी था। कोर्ट में जो केस हियरिंग पर आता था, उसे मीडिएशन के लिए भेज देते थे। मीडिएशन के बाद उसकी रिपोर्ट बनकर कोर्ट में आती थी। पहले उसमें कोई बाध्यता नहीं थी। दो-चार महीने का प्रोसेस

कंप्लीट होने के अगर कोई हटना चाहे, तो फिर बैंक टू स्कवायर वन पर आकर खड़े हो जाते थे। इस बिल के बाद अगर किसी कोर्ट में रिपोर्ट जाती है और 6-7 साल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलने के बाद जिस जगह पहुंचती है, मीडिएशन का एग्रीमेंट साइन होने के बाद केस सीधा वहां पहुंच जाएगा। इससे एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। करोड़ों की संख्या में कोर्ट केसेज की जो पेंडेंसी है, उसको कम करने के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यह बहुत बढ़िया बात है। इसमें कम्पटीटेंट अथॉरिटीज मीडिएशन करने के लिए डिप्यूट होंगी। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि हमारे देश के सिस्टम में वे तेजी से आगे बढ़ें। इंटरनेशनल लेवल पर मीडिएशन को मंत्री जी तराशें और देखें कि इसमें और क्या कर सकते हैं। आज देश की विदेशों में साख बढ़ रही है और इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। मीडिएशन बिल पर भी पूरे वर्ल्ड के लोग अट्रैक्ट हों, वे इंडिया में आएँ और मीडिएशन के केसेज यहां पर करायें। इससे कहीं न कहीं हमारी इकोनॉमी भी मजबूत होगी और हमारे देश की साख भी बढ़ेगी।

मैं मंत्री जी से एक रिक्वैस्ट करना चाहता हूँ। इसमें आपका और हमारा बढ़िया साथ है। जो डीओपीटी, लॉ एंड जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें मेरी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है। सम्भावना यह है कि इसमें दो चीजें छूट सकती हैं। इस प्रोसेस में हम आगे जाएंगे और बहुत ज्यादा हाई टेक्निक, ई-सिस्टम, इंटरनेट की मदद लेकर करेंगे तो गांव, देहात के जो लोग हैं, वे इसमें छूट सकते हैं। मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूँ कि कांस्टीट्यूट असेम्बली के बाद देश का पहला कानून मंत्री जिस समाज से लिया, यह सरकार भी लॉ मिनिस्टर को उसी समाज से लेकर आई है। आपके समाज के लोग और हमारे पिछड़े समाज के लोग जहां रहते हैं, वहां पर इंटरनेट नहीं है। वे कहीं न कहीं सरकार की इस सुविधा से महरूम न रह जाएं, तो इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए।

दूसरा, जो हमारा ग्राम पंचायत स्तर है, उस स्तर पर ज्यादा शक्तियां दी जाएं। तहसील स्तर पर कुछ शक्तियां दी जाएं और जिला स्तर पर कुछ शक्तियां दी जाएं, जिससे जिला स्तर पर फिल्टर होकर सब चीज आ जाए। जिला स्तर पर आकर एग्रीमेंट बने तो उसमें बहुत सारी चीजें

ऐसी हो जाएं, जिससे केस जल्दी से जल्दी खत्म हों। डीओपीटी, लॉ एंड जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी ने स्टेट्स के ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेज़, इवेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल बाकी जजेज़ से मुलाकातों की हैं, बातें की हैं। इसमें कन्वर्सेशन हुआ है कि पेंडेंसी को कैसे कम करें। कहीं बिल्डिंग्स की कमी है, कहीं जजेज़ की कमी है, कहीं स्टाफ की कमी है। ये इससे ही संबंधित हैं। कोरोना महामारी के बाद की जो पेंडेंसी है, उनकी तरफ भी सोचें। पूरे देश में कई जगह सीट्स खाली पड़ी हैं। जो जजेज़ अपनी ड्यूटी पर हैं, कहीं उनके रहने की दिक्कत है, कहीं उनके ऑफिस की दिक्कत है। उन दिक्कतों को भी दूर करें। जिससे हमारी पेन्डेन्सी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, जैसे देश कोरोना महामारी के कार्यकाल से पहले चल रहा था। कोर्ट केसेज की जो पेन्डेन्सीज हैं, उससे संबंधित पहले की तरह कोर्ट चल सकें, केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। जो लोग लड़ाई झगड़े में कोर्ट में फंसे हुए हैं, मिडिएशन के बहाने से बहुत सारे लोग जल्दी से निकल कर अपने काम पर लगेंगे, अपने बिजनेस में तरक्की करेंगे, जिले में तरक्की करेंगे, प्रदेश में तरक्की करेंगे और देश में तरक्की करेंगे और इससे देश भी तरक्की करेगा। देश तरक्की करेगा तो वर्ल्ड में इस देश का मुकाम बनेगा और हम पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): सभापति महोदय, भारत सरकार के कानून मंत्री समझौते का कानून लेकर आए हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री जी के भविष्य के प्रति भारत की दूरदृष्टि है। संविधान सभा में इस बात की कल्पना की गई थी कि जो कानून बन रहे हैं, उस कानून को विशेष तौर पर एक अलग दृष्टि से देखा जाना चाहिए। मैं गांव से आता हूं, गांव की एक बहुत बड़ी आबादी जमीन और पशु के विवाद में तहसील से लेकर जनपद, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के मुकदमों में फंसी हुई है।

कुछ लोग मुकदमा लड़ना और लड़ाना भी एक सिम्बल समझते हैं। पहले भी अपने गांव में न्याय पंचायत की एक व्यवस्था होती थी। न्याय पंचायत में एक सरपंच होता था, सरपंच चुना जाता था।...(व्यवधान) न्याय पंचायत स्तर पर सरपंच का चुनाव होता था, वह एक अलग विवाद

का कारण बन जाता था। सरपंच सजा भी सुनाता था। मेरी समझ से कानून मंत्री जी उस पर जरूर विचार किए होंगे। सरपंच वाली व्यवस्था पूरे देश में किस तरह से लागू है, कहां लागू है और कहां लागू नहीं है?

आजादी के बाद बापू से लोगों ने पूछा कि गांधी जी, आजाद भारत कैसा होगा? उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज होगा। ग्राम स्वराज में विवाद के जो विषय होंगे उनका समाधान गांव के स्तर पर किया जाएगा। मैं लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी के गांव से आता हूं। जय प्रकाश नारायण जी और बिनोव भावे जी ने गांव-गांव में मुकदमों के समाधान के लिए अभियान चलाया था और सरकार से भी निवेदन किया था कि समझौता के लिए एक वैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। उस व्यवस्था को मेरे समझ से उस समय की सरकार ने नहीं माना।

मैं कानून मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जितने मुकदमे गांव-तहसील में चलते हैं, जिला न्यायालय में चलते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं। मेरे समझ से इस कानून में एक प्रावधान लागू कर दीजिए कि मुकदमों को वापस लेकर समझौते के इस न्यायालय में उस मुकदमे का समझौता करा देंगे तो यह बहुत बड़ा काम हो जाएगा।

अगर भविष्य के लिए कानून बनेंगे और बीते हुए मुकदमों में चलते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि और भी समस्याएं खड़ी होती रहेंगी। इस कानून में अगर यह सब प्रावधान हो जाए कि जो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली कोर्ट तक चलते हैं उसे वापस मंगाकर हम कैसे समझौता करा सकते हैं। उसकी कानूनी मान्यता इस समझौते के कानून में देने जा रहे हैं तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा काम होगा। ग्राम स्वराज का सपना भी तभी साकार होगा। उधर के लोग चले गए, उनको तो ग्राम स्वराज से कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो अपना स्वराज चाहिए कि यहां की कुर्सी कैसे मिले? पेटबथी भोजपुरी में कहा जाता है, वही पेटबथी उन लोगों को है। हमारे महेन्द्र बाबा पेटबथी बूझते हैं।...(व्यवधान) इन लोगों को पेटबथी की दवा दे दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री जी, न्याय मंत्री जी, पेरसिटामोल बंटवा दें ताकि उनकी पेटबथी दूर हो जाए। ये लोग ग्राम स्वराज को जानते ही नहीं हैं तो ग्राम स्वराज कैसे आएगा? अब 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने का सपना, लोकनायक जय

प्रकाश नारायण के सपनों का भारत बनाने का सपना, गांधी जी के सपनों का भारत बनाने का सपना और विनोबा जी के सपनों का भारत बनाने का सपना साकार हो रहा है। मैं समझता हूँ कि न्याय मंत्री जी उन्हीं सपनों को साकार करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी 'आत्मनिर्भर भारत' बना रहे हैं, यह ग्राम स्वराज के सपने को साकार करता है। हमें देखना चाहिए कि न्याय पंचायत पूरे देश में कैसे काम करे ताकि वे मुकदमे, जो अभी छोटी अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट में हैं, गांव, जमीन, पशुओं, आपसी विवाद, गलियों आदि के झगड़े हैं, उन मुकदमों को वापिस ग्रामीण न्यायालय में लाकर समझौता कराया जा सके।

मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि समझौता कराने के लिए समय का ध्यान रखा जाए और देखा जाए कि ये कितने समय तक चलेंगे। अगर अनंत काल तक चलेंगे तो समझौता बिगड़ता जाएगा इसलिए समय का ध्यान रहना चाहिए। इसे कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके। समाज के हर वर्ग के लोगों की अलग-अलग प्रकार की समस्याएं हैं। मैं किसान हूँ, मैं जानता हूँ कि किसानों की समस्याएं छोटी अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती हैं। मैं किसानों की समस्याओं के बारे में जानता हूँ इसलिए कहता हूँ कि पशु, खेत, जमीन, गली, सड़क, आवास की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इनके कारण कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हो रही है। इस कानून के बनने से ही 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने का सपना साकार होगा। कानून मंत्री जी, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में ग्राम स्वराज का सपना साकार कर रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी, गांधी जी, विनोबा भावे जी के सपनों का भारत बना रहे हैं और आप उसे एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सभापति जी, मीडिएशन बिल पर चार माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे हैं। सुभाष बहेड़िया जी ने चर्चा की शुरुआत की फिर एन. रेड्डप्प जी ने अपनी बात रखी। मलूक नागर साहब जी ने गांव और गरीबों का लाभ इस बिल से कैसे हो, इस पर अपने विचार रखे।

वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि गांव में मुकदमों की भरमार में कमी कैसे लाई जाए। चर्चा के दौरान इस तरह के सुझाव आए हैं।

मैंने पहले भी कहा कि भारतीय इतिहास में बहुत पुराने समय से मध्यस्थता के माध्यम के प्रसंग आए हैं। अगर मैं रामायण काल की बात करूं तो अंगद जी भी मध्यस्थता के लिए लंका गए थे और शांति प्रस्ताव भी रखा था जिसे रावण ने नहीं माना और वह विनाश को प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए मध्यस्था का कन्सेप्ट नया है। जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं तो वे समझते हैं कि मीडिएशन लॉ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत में मीडिएशन लॉ तो हमारी रगों में है, हमारे खून में है। अगर हम महाभारत काल की बात करें तो श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए थे, वह मीडिएटर ही तो थे। पांच गांव ही मांगे थे, लेकिन सुई की नोक जितना भी नहीं देंगे, इस बात पर महाभारत का झगड़ा हुआ। मीडिएशन और मीडिएटर हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में, हमारी सभ्यता-संस्कृति में रचे-बसे हैं। हम उनको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन मीडिएशन बिल लाने के लिए किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया, जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि वह गांवों की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, गरीबों की समस्या का भी समाधान करना चाहते हैं।

महोदय, कभी-कभी हम मीडिएशन के माध्यम से विपक्ष को भी समझाते हैं कि ऐसा कर लें। ये मान भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये मध्यस्थता से गायब हो जाते हैं। मध्यस्थता जीवन का सार भी है, इसलिए प्रधान मंत्री मोदी जी ने सोचा कि यह जो काल-खंड है, वह काफी महत्वपूर्ण है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हमने विश्लेषण किया कि यह देश कैसे चला, कहां तक चला? इसका विश्लेषण करना हमारा काम है, लेकिन वर्ष 2047 तक विकसित भारत बने, इसके लिए क्या-क्या कदम उठाने हैं, हमारे क्या-क्या रोडमैप होने चाहिए, मीडिएशन भी उसी रोडमैप का हिस्सा है, क्योंकि भारत को विकसित भारत बनाना है।

महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना, जिसका जिक्र वीरेन्द्र सिंह जी कर रहे थे, उसमें भी हमारे संविधान निर्माताओं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सच्चिदानन्द जी, राजेन्द्र प्रसाद जी तथा अन्य ने लिखा- 'सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय', तो फिर इतने मुकदमे क्यों? न्याय

कैसे जल्दी सुलभ हो, यह विषय भारतीय ज्ञान की परंपरा के अनुसार प्रस्तावना में डाल दिया कि हमें आगे आने वाले समय में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की ओर बढ़ना होगा।

महोदय, मैं मुकदमों की बात कर रहा हूँ, जिनके संबंध में जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि बहुत-से मुकदमे पेंडिंग हो गए हैं। अगर मैं डेटा दूँ, तो सुप्रीम कोर्ट में करीब 69,766 मुकदमे, यानी 70 हजार मुकदमे पेंडिंग हैं। अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूँ, तो उसमें 60 लाख 63 हजार मुकदमे पेंडिंग हैं। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सब-ऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करूँ, तो 4 करोड़ 43 लाख मुकदमे पेंडिंग हैं। अतः मुकदमों की भरमार है। हम कैसे इनको कम करें, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसका एक माध्यम ए.डी.आर. है। ए.डी.आर. यानी Alternate dispute resolution mechanism. इसमें आर्बिट्रेशन भी आता है, मीडिएशन भी आता है और कन्सीलिएशन भी आता है। आज मैं आपके समक्ष मीडिएशन का बिल लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से लंबित मुकदमों की भरमार भी कम होगी और आने वाले समय में जब इसको लीगल बैकग्राउंड मिलेगा, लीगल बैकबोन मिलेगा, तो लोग मीडिएशन की ओर आकर्षित भी होंगे। अतः हमें मीडिएटर भी चाहिए।

महोदय, अभी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि कौन इसको करेगा? ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अभी कोई काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है, लेकिन गति बहुत धीमी है। अगर मैं इसके इतिहास में जाऊँ, जिसका जिक्र सुभाष जी कर रहे थे, तो आर. सी. लाहोटी नामक एक कमेटी बनी थी और वर्ष 2005 में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वह आगे तेजी से नहीं बढ़ पाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में Mediation and Conciliation Project Committee भी आई, फिर भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद सरकार को एक पत्र भी लिखा गया। तत्पश्चात मोदी जी के पीरियड में एक बिल हमने बनाया और उसे राज्य सभा में इंट्रोड्यूस किया। राज्य सभा में इंट्रोड्यूस करने पर वहाँ यह विषय उठा कि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है, इसको कमेटी में जाना चाहिए। अतः हमने उसे कमेटी में भेज दिया। कमेटी के चेयरमैन राज्य सभा के माननीय सदस्य, श्री सुशील मोदी जी थे। कमेटी ने बहुत विस्तार में अपने सुझाव

दिए। करीब 52 सुझाव कमेटी ने दिए। मैं कमेटी के चेयरमैन और सभी सदस्यों को इस अवसर पर बधाई देता हूँ कि बहुत ही अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं। मलूक नागर साहब, हमने 27 सुझावों को छोड़कर बाकी सभी सुझाव या तो मान लिए हैं या फिर ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आए हैं। अतः हमने इसको बहुत अच्छा बिल बनाने का प्रयास किया है। मैं एक और बात का जिक्र करना चाहता हूँ। जैसा कि वीरेंद्र सिंह जी हमारी न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली के बारे में कह रहे थे, जो बिल्कुल ठीक थी। जब ब्रिटिशर्स आए, तब उन्होंने इसको समाप्त किया। आईपीसी, सीआरपीसी के बारे में जैसा कि इन्होंने कहा कि जो मुकदमा लड़ रहा है, तो बड़ा आदमी होगा। ऐसे स्टेटस सिंबल के माध्यम से जब एडवर्सियल लिटिगेशन शुरू हुआ, तो हमारी पुरातन मध्यस्थता प्रणाली समाप्त हो गयी। उसके बाद, लोग मुकदमों की ओर बढ़ गए। छोटे-छोटे विवाद, नाली का विवाद भी कोर्ट तक जा रहा है। भाई-भाई भी लड़ रहे हैं। गन्ना तोड़ने का विवाद भी बहुत आगे तक जा रहा है। प्रधान मंत्री जी ने सोचा कि इस पर कोई काम होना चाहिए। इस पर काम हुआ। जब हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र किया तो इस पर एम. आर. कृष्णामूर्ति बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केस में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता अधिनियम बनाने की सख्त जरूरत है। इसका वह जिक्र करते हैं। फिर, के. श्रीनिवासन राव बनाम डी.ए. दीपा केस में भी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जिसके बारे में हमारे पूर्व के एमओएस लॉ एंड जस्टिस बघेल साहब कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट इसी के बारे में कह रहे हैं। वैवाहिक विवादों का 10-15 परसेंट मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से निबटारा हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि मुकदमों में पूर्व की मध्यस्थता का विचार जोर पकड़ रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र में कई वैवाहिक विवादों का निपटारा किया जाता है। पूर्व मध्यस्थता केंद्रों की सफलता दर अच्छी है और सुझाव दिया कि यदि मध्यस्थता केंद्र फ्री लिटिगेशन डेस्क स्थापित करें और पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें तो वैवाहिक विवादों का निपटारा जल्दी किया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। इसका मतलब है कि परिवार में विवाद है। लोग हैपीनेस के लिए शादी करते हैं और शादी के बाद हैपी नहीं रहते हैं, इसका कारण ढूंढना

पड़ेगा। इसे समाज को ढूँढना पड़ेगा, क्योंकि हम हैपीनेस के लिए ही शादी करते हैं। फिर, शादी के बाद हैपी क्यों नहीं रहते हैं? हैपी रहने की भारतीय परंपरा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब तक जो गति थी, उसकी स्पीड बहुत धीमी थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कालखंड की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसा नहीं था कि योजनाएं नहीं थीं। योजनाएं थीं, लेकिन उन्होंने उसकी स्पीड और स्केल बढ़ाया। अगर आप इसे मध्यस्थता में भी देखेंगे तो अप्रैल 2021 और मार्च 2022 के दौरान 52,968 मामले निबटाए गए हैं। अभी पाँच करोड़ मामले पेंडिंग हैं और कई छोटे-छोटे मामले पेंडिंग हैं। आप जो कह रहे हैं, वह सुझाव हमने ले लिया है। ऐसे कई पुराने मामले मेडिएटर के पास आएंगे। दोनों पार्टियों के एग्री होने पर मामला निबट जाएगा। जो मुकदमें लंबे चल रहे हैं, उनकी संख्या में भी कमी आएगी। यह जो प्रक्रिया है, उसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ। हम जो मिडिएशन वाली बिल लेकर आ रहे हैं, वह एक लचीली और अनौपचारिक प्रक्रिया है। यह एक वॉलेंटरी प्रोसेस है। इसको हमने मेनडेटरी नहीं किया है। पहले हमने मेनडेटरी किया था। जब बिल कमेटी के पास गया तो कमेटी ने कहा कि हमने इसके स्टैक होल्डर से बात की है। आप इसको शुरुआत में वॉलेंटरी रखिए। हमने इसको वॉलेंटरी रखा। इसमें कानूनी पूर्वाग्रह के बिना मध्यस्थता से हटने की भी स्वतंत्रता है। अगर कोई बीच में कहे कि मैं तो इससे हटना चाहता हूँ तो वह हट सकता है। इसमें बातचीत में सीधा जुड़ाव है। मध्यस्थ तो मीडिएटर होगा, लेकिन एक तटस्थ तृतीय पक्ष भी होगा। जो मध्यस्थ होगा, उसके लिए नियुक्तियां होंगी, उसके लिए हम ट्रेनिंग देंगे और उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। मीडिएटर लीगल बैकग्राउंड का होगा, सामाजिक आदमी भी होगा, कई तरह के लोग मीडिएटर होंगे। यह एक बहुत बड़ा उपक्रम बनने वाला है। उसके बाद, इससे लागत कम करने और न्यायिक मुकदमों को कम करने में भी मदद मिलेगी। यह विधेयक मध्यस्थता को एक समयबद्ध प्रक्रिया में बनाता है। सुभाष बहेड़िया जी 180-180 के बारे में जिक्र कर रहे थे। हमने इसको 120 और 60 कर दिया है। हमने समय और कम कर दिया है। हमने कहा कि आप कम समय में निपटारा कीजिए। इससे धन की भी बचत होगी। यह हमारे बिल में भी कहा

गया है। विवाद समाधान कार्रवाई के दौरान और उसके बाद पार्टियों द्वारा अपने रिश्तों को भी जारी रखने की संभावना बढ़ जाती है। आज भाई-भाई लड़ रहे हैं और पति-पत्नी लड़ रहे हैं। पति-पत्नी, जिसका संजय सेठ जी जिक्र कर रहे थे कि जो महत्वपूर्ण समय होता है, वह लड़ाई में बीत जाता है। इस बिल के आने के बाद अब वह समय नहीं बीतेगा। कई बार फर्जी केस भी गड़बड़ होता है। सास, ससुर, ननद, पता नहीं किस-किस को डाल देते हैं, वे सब परेशान हो जाते हैं। इससे बहुत आसानी हो जाएगी और जो परिवार के झगड़े हैं, उसमें भी बहुत तेजी से कमी आएगी। इस मीडिएशन बिल के बाद अब परिवार नहीं टूटेंगे। इसमें हमने एक जोड़ने वाला प्रक्रम दे दिया है कि परिवार जुड़ें, टूटे नहीं। यह बिल इसी के लिए है।

कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे? ये पक्ष क्या कह रहा है? हम इसकी गोपनीयता बनाकर रखेंगे। किसी दूसरे को नहीं बताएंगे। गोपनीयता का भी विषय रखा है। हमने ऑनलाइन मीडिएशन की भी व्यवस्था दी है। अगर कोई कहता है कि मैं तो मीडिएटर के पास नहीं जाता। आप अपना प्रपोजल मीडिएटर के पास दीजिए। वह उधर से भी प्रपोजल मांगेगा, तो उस पक्ष से प्रपोजल आएगा। ऐसा नहीं है कि ये खाली परिवार और जमीन के झगड़ों को ही सुलझाएगा। परिवार के जमीन के झगड़ों को तो सुलझाएगा ही, यदि पति-पत्नी के मध्य कोई विवाद है, तो यह मीडिएशन बिल उनमें भी मध्यस्थता करेगा। अगर कोई कॉमर्शियल विवाद भी है, तो मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाएगा।

यदि मैं कोई रॉ मैटेरियल बनाता हूँ। मैंने किसी को माल सप्लाई किया और आपने एक-दो बार पेमेंट दिया, लेकिन थोड़े दिनों बाद पेमेंट नहीं दिया, तो वह कॉमर्शियल कोर्ट जाएगा। आपके पास भी ऐसे बहुत से मामले आते होंगे कि मैंने रॉ मैटेरियल सप्लाई किया और ये आदमी मेरा पैसा ही नहीं दे रहा है। मीडिएशन बिल के माध्यम से इन मामलों का निस्तारण होगा। मैं समझता हूँ कि यह मीडिएशन बिल बहुत ही अच्छा मूव है।...(व्यवधान) बहुत बढ़िया है। मैं एक लाइन और बोलूंगा। आपने सिंगापुर कन्वेंशन का जिक्र किया है। अभी 11 देशों ने ही अभी इस कन्वेंशन को

रेक्टिफाई किया है। वे बहुत ही स्मॉल इकोनॉमी वाले लोग हैं। हम इसमें बहुत आगे हैं। आप चिंता मत करिए। जब रूल्स बनाएंगे, तो हम आपके सुझावों को भी इसमें सम्मिलित करेंगे।

सभापति महोदय, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। इस अमृतकाल में मीडिएशन बिल को पास कराइए, भारत चिंतन-मंथन के माध्यम से विकसित राष्ट्र बनेगा और इस सदन के द्वारा जो अमृत निकलेगा, वह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मददगार साबित होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri P.P. Chaudhary, do you have any clarification to seek?

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Please seek just one clarification.

श्री पी. पी. चौधरी: माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपने मीडिएशन लॉ लाकर एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इससे कोर्ट में लिटिगेशन कम होगा। मैं एक और बात बताना चाहूंगा, ताकि आप इसको मजबूत कर सकें। एक तो लिटिगेशन के बाद मीडिएशन है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन को मजबूत करिए, जिससे 75 प्रतिशत केसेज कोर्ट में आएंगे ही नहीं। मेरी यह रिक्वेस्ट है कि आप इसको और भी ज्यादा मजबूत करिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: पी. पी. चौधरी साहब, इसमें ऑलरेडी प्रावधान है।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill to promote and facilitate mediation, especially institutional mediation, for resolution of disputes, commercial or otherwise, enforce mediated settlement agreements, provide for a body for registration of mediators, to encourage community mediation and to make online mediation as acceptable and cost effective process and for matters connected therewith or

incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That clauses 2 to 65 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 65 were added to the Bill.

First to Tenth Schedules were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य अमेंडमेंट की बात कर रहे थे, तो हम उसमें सुधार करके राज्य सभा में ले आए थे।

Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: Now, Item No. 20 – the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Bill, 2003. The hon. Minister.

17.40 hrs

**COASTAL AQUACULTURE AUTHORITY
(AMENDMENT) BILL, 2023**

THE MINISTER OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(SHRI PARSHOTTAM RUPALA): Sir, I beg to move:

“That the Bill to amend the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, be taken into consideration.”

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That the Bill to amend the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, be taken into consideration.”

SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI (BALASORE): Sir, I am thankful to you for having allowed me to participate in this revolutionary Amendment Bill.
...(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, just a minute please.

Hon. Members, if the House agrees, the time of the House may be extended by one hour for discussion of this Bill.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

Yes, hon. Member, please continue.

SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI: Sir, I am thankful to you for having allowed me to participate in this Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Bill, 2023.

Our hon. Prime Minister, Shriman Narendra Modi ji injected new life and spirit, and vigour into the fishery sector and aquaculture sector, which was long forgotten and was not visible during the previous Governments. Probably, it was unimaginable to apply this Department for the economic growth of our country. The Budgetary allocation in the previous Governments for this Department shows how neglected this Department was. Under the able leadership of a great champion like our hon. Prime Minister, Shriman Modi ji, a revolutionary Scheme like Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana has been introduced to enable our fish farmers, fishers and all the stakeholders working in the field to stand on their own feet and contribute for the economic growth of our country.

This Amendment became a necessity and became inevitable. We know that coastal aquaculture is mostly in the form of brackish water, shrimp culture witnessed rapid growth in 1980s and 1990s. This growth was mostly unregulated, which drew widespread concern from environmentalists and the matter went to the Supreme Court. The Supreme Court in its judgement dated 11th December 1996 in Writ Petition Number 561/1994 Shri Jagannath V/s. Union of India held that shrimp aquaculture is an industry and hence covered by the prohibition imposed in paragraph 2 (1) of the CRZ Notification 1991. Accordingly, it ordered, among other things, that no shrimp culture pond can be setup within the Coastal Regulation Zone and that all shrimp culture industries / ponds operating in CRZ are to be demolished before 31/3/1997, and that the Central Government shall constitute an Authority under

Environment Protection Act, 1996 to deal with the situation created by the shrimp culture industry and to regulate it as per precautionary principle and polluter pays.

The operational part of this judgement is very pathetic. Accordingly, many shrimp culture units were closed and to avoid this an Act was formulated and thus the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 came into existence. But this Act was not sufficient. We know how persons engaged in the field of aquaculture suffered. Besides, the definition was so narrow that the modern developments like seaweed culture and others -- which were not known by that time and our hon. Modi ji popularized these concepts -- were not included in the definition. So, this necessitated the Amendment.

The CAA Act has specifically excluded Coastal Aquaculture Zone from the purview of CRZ Notification. The recent NGT judgement has given a different interpretation and has opened the door for more litigations. Unless this is addressed quickly and suitably, it will be difficult to attract new investments. Besides that, simplification of the procedure of registration was inevitable. Many of the provisions with respect to registration are too rigid and need to be reviewed. Similarly, a number of administrative procedures laid-down in the Act need revision. For example, there is a need to clearly define the powers of Member Secretary under the Act for administrative efficiency and accountability.

In the CAA Act, there is a provision of imprisonment for a period up to three years for carrying out coastal aquaculture without registration. For minor

omissions, criminalising it and sending poor people to jail is a very serious harassment for the fish farmers. This appears to be a very harsh punishment for an offence of purely civil nature. Hence, it has been proposed to replace the same with suitable civil instruments such as penalty in line with the principle of decriminalising the civil transgressions.

A recent order of the NGT dated 29th September, 2022, has ruled that hatcheries cannot exist within 200 metres from the HTL citing the provision of CAA Act. Further, they need to be situated mostly within 200 metres from HTL to ensure steady supply of saline water which is now a No-Development Area. Accordingly, relevant provision in CAA Act, 2005 need to be suitably amended to permit continued establishment of hatcheries.

Over the time, definition of coastal aquaculture has broadened beyond shrimp aquaculture which prompted the Government to bring this Amendment. Secondly, the Coastal Aquaculture Act, 2005, addressed the issues arising out of 1991 CRZ Notification. Subsequently, CRZ Notification had been amended in 2011 and then in 2019. So, there is a legal ambiguity whether this Act will override the subsequent CRZ Notification or not. To remove this ambiguity, this amendment has been brought in.

There are some administrative issues like how the coastal aquaculture authority will move forward in certain situations. It was not fully described. So, in order to bring clarity to this, we have tried to create and amend some provisions to bring some definitiveness into the Act so that the Authority runs smoothly. For example, to make its member secretary function like a CEO, it

has been tried to insert some provisions and the Coastal Aquaculture Act was made. It was thought that it is only for shrimp farming but later, it is found that there are ancillary activities such as hatchery where shrimp seeds would get produced without which coastal aquaculture is not possible. Whether hatchery is included in the coastal aquaculture or not, there are certain ambiguities. Through the amendment, this ambiguity is expected to be removed. The main objective of this Coastal Aquaculture Authority will be to harmonise the CAA Act with the CRZ Notification issued from time to time and to treat the registration granted under CAA Act as a valid permission under CRZ Regulations, to keep coastal aquaculture outside the provisions imposed by CRZ Notification, to reduce the regulatory compliances burden without diluting the core principles of environment protection in coastal areas, to remove difficulties and ambiguities in the Act for effective implementation and for promoting ease of doing business, to decriminalise the offences under the Act, and to expand the scope of the Act to bring all coastal aquaculture activities under its ambit.

It is also to cover all verticals and activities of coastal aquaculture including hatcheries and aquaculture inputs, to permit hatcheries, broodstock multiplication centre and nucleus breeding centres within the No-Development Zone synced with the CRZ Notification section 30(8), to permit activities like cage culture and seaweed cultivation in the creeks, rivers, and breakwaters within the CRZ Zone, to replace imprisonment provision under section 14 of the Act with a combination of suitable monetary and other penalties, to make

provisions for authorisation of officers, to impose penalties against use of banned anti-microbial agents to pharmacologically active components in coastal aquaculture, and to provide for recovery of unpaid cost and penalty as arrears of land revenue.

Sir, it is apprehended that this will encroach into the rights of the provinces. This is not a fact. It is clear that up to 12 nautical miles, States will make legislation; and up to 200 nautical miles, Centre will make legislation. But this is question of environmental protection and the protection of the fishers and fish farmers which is the exclusive right of the Union Government. This is in the interest of the States as well. So, this amendment is in the interest of our fishers, fish farmers, our processors.

The major amendments proposed are mostly to decriminalize the offences which are civil in nature. These proposals are - removal of the provision of imprisonment under section 14; substitution of imprisonment with monetary penalties; provision for authorization of officers. Sir, what was the problem? If the Chairperson is not present, for years together, the application for registration and renewals were pending. But here an amendment has been made. The Chairperson may nominate somebody to decide these cases and people will not have to wait. Under Section 13, provisions have been made for authorized officers and adjudicating authorities.

There is a proposed provision of condonation of delay. Earlier if it is not filed on the right time or on the fixed date, that was not considered at all. The case was lost. But condonation of delay in submitting the renewal application

Section 13 is also provided. This will ensure that farmers are not put to undue harassment and difficulty because of minor slips. Provision for providing new certificates in case of mutilation, damage or loss and for effecting changes in ownership etc. is also provided here. There is a provision for validation of the meetings of the Authority during the absence of the regular Chairperson of the Authority.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude your speech.

SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI: Sir, provisions empowering the Authority to appoint Committees for efficient discharge of duties have been made.

Sir, these are the revolutionary amendments which have been brought in through this Bill. I appeal to all to pass this Bill unanimously. Unfortunately, our Congress and other people are not here to discuss this Bill in the interest of the people. They have left. But this is a sorry picture.

I appeal to all to pass this Bill. With these words, I conclude my speech.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, thank you. If the growth story of India has to be discussed, if the success story of India has to be discussed, it has to be the story of aquaculture. In the last eight years, it has grown by leaps and bounds, almost to the extent of 15 per cent per year. In this growth story, Andhra Pradesh has been at the forefront. Every year, we are exporting shrimp to the tune of Rs. 35,000 crore. That means almost 70 per cent of the exports that happen from India are actually happening from Andhra Pradesh. One lakh farmers are dependent on this.

These are not normal farmers. They all pay income tax. These one lakh farmers actually pay income tax. An area of 1.8 lakh hectares is being used for aquaculture. This is the success story that we should all discuss.

Last year, we have seen in Andhra Pradesh that our farmers had to struggle because of countries like Ecuador and Vietnam where they had higher productions. Our hon. Chief Minister Shri Jagan Mohan Reddy Garu had come forward and given some sort of subsidies to the farmers, so that they could survive. But it should not be like that. It should be more sustainable. That is why, when I saw this Bill, when I read this Bill, I was very, very happy. But for it to be moved forward, for the industry to move forward, I think we need to invest more in the technology. At the same time, we need to be more focused on sustainability and traceability. These two should be the *mantras* for going forward.

For this, I have two small suggestions to make. To begin with, PM Matsya Sampada Yojana is a very good Scheme for which you are increasing the allocation year on year. Last year, there was an increase in allocation of almost 25 per cent for this Scheme.

But the issue with this Scheme is that the individual farmers are not getting benefitted. Individual farmers are not able to access Rs. 6000 crore or Rs. 7000 crore which has been allocated for the same. Take the example of drip irrigation in agriculture wherein an individual farmer can actually get the subsidy and utilise the drip irrigation technology in order to decrease the input cost. But here, it is not happening. Therefore, through you, I would like to

request the hon. Minister to look into this matter. At the same time, since the individual farmer is not able to access this fund, he is not able to invest in new technologies. Countries like Ecuador, Vietnam, and others are able to increase their productivity by almost per acre. If they were getting one tonne last year, they are able to take out two tonnes this year. It is almost like hundred per cent improvement in productivity. For that to happen, we need to invest in technology. We cannot expect our farmers to use their ten-year-old technologies and expect their productivity to be competing with other countries. Therefore, through you, I would like to request the hon. Minister to tweak Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana so that individual farmers can take subsidies from the Central Government and invest in smart aerators, smart feeders, and smart meters so as to reduce the energy cost, feeding cost, and all the input costs. So, I would like to request the hon. Minister to look into this matter.

The second matter is with regard to sustainability and traceability. In India, there is one main issue with our industries. When we export to other countries, there is always a question mark -- whether any antibiotic has been used; where such antibiotics have been used; whether such antibiotics have been used at the farm gate level or they are used in the hatcheries itself. We are not able to trace such things. There are four hundred hatcheries in India mainly for the shrimp culture. Let the Coastal Aquaculture Authority register these four hundred hatcheries and let it hold periodical inspections of these four hundred hatcheries. There should also be a very strict adherence to

policy. If they fail to adhere to such things, and if any antibiotic is found at the hatchery level itself, then ban them for six to eight months. Otherwise, this industry would not move forward, and we would not be able to compete.

The third most important thing is that there is a need to increase more testing laboratories mainly across the coastal States. Right now, there are a few testing laboratories which are accessible only to a few farmers and hatcheries. Unless we have one testing laboratory in every three Parliamentary constituencies of the coastal district, farmers would not be able to access them. So, I would like to request the hon. Minister to look into this matter.

The fourth issue is with regard to Coastal Aquaculture Authority which comprises eleven members as of now. Four of them are from Coastal States. But in India, there are nine coastal States -- Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, etc. – and all of them are involved in aquaculture. So, we would like to request that the number of board members be increased so that one member from each coastal State is actually represented. ...*(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Please continue.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: I hope this Act is amended, and nine members can be included in the Board. I hope you will do some aquaculture in Bihar and Jharkhand as well, if possible, and Nishikant Sir can actually invest in that.

Now, I come to the lack of representation of the coastal community. Presently, the Authority comprises eleven members -- a High Court Judge; an expert in the field of coastal ecology; representatives from the Ministry of

Agriculture, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Ministry of Commerce; and four members from the Coastal States. However, no representation has been given to the coastal community. Coastal community comprises the most affected people. Therefore, through you, I would like to request the hon. Minister to involve coastal community also.

With these suggestions, we welcome the present Bill. This whole thing will promote ease of doing business. It is good for the exporters. It is also very beneficial for the farmers. But once again, I would like to request that the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana may be tweaked so that individual farmers can be benefitted.

Thank you very much.

18.00hrs

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, if the House agrees, the time of the House may be extended till the passing of this Bill.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

Shri Malook Nagar Ji.

श्री मलूक नागर (बिजनौर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

मैंने अभी जो सुना और इसके बारे में जितना पढ़ा है, यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह अच्छी बात हुई है कि जो जलकृषि करते हैं, उनके लिए जो सज़ा का प्रावधान था, उसको हटाकर ज़र्माना लगाने की बात इसमें कही गई है। यह बहुत अच्छी बात है। यदि किसान को या जलकृषि से संबंधित किसी व्यापारी को जेल में डाल दिया जाएगा, तो बिज़नेस भी मर जाएगा और वह किसान भी मर जाएगा। इससे कहीं न कहीं देश की इकोनॉमी इफेक्ट होगी, इसलिए यह अमेंडमेंट अच्छा है और हम इसकी सराहना करते हैं।

मैं कुछ बातें आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। जो सीआरज़ेड अधिनियम के अनुसार मूवमेंट पूरी है, इसमें पहले सज़ा का प्रावधान था, लेकिन अभी जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आज भी हम लोग सरकारी तंत्र में पुरानी सड़ी-गली व्यवस्था से संबंधित तंत्र में ऊपर उठकर नहीं आ पाए हैं। जो जलकृषि से संबंधित किसान हैं, उनको चोर क्यों समझा जा रहा है। हमें उनके लिए हमदर्दी के साथ सोचना चाहिए, जिस तरह से विदेशों में सोचा जाता है, उसी तरह से उनके लिए हमदर्दीपूर्वक क्यों नहीं सोचा जाता है कि इनके बिज़नेस को कैसे बढ़ाएं। लगभग एक लाख लोग जलकृषि का काम करते हैं, इससे संबंधित बिज़नेस करते हैं, जिससे देश में भी खपत होती है और इसका फायदा एक्सपोर्ट में भी मिलता है। इसलिए एक लाख लोगों की जगह इनकी संख्या एक करोड़ कैसे हो, इस पर सरकार को रिसर्च करानी चाहिए,

जैसा कि इसके पहले रिसर्च से संबंधित बिल आया था। यदि उनके लिए लोन की सुविधा भी मिल सके, तो उनको यह सुविधा भी देनी चाहिए। पूरे देश में जितने भी तटीय इलाके हैं, जो पानी से संबंधित हैं, कहीं झील हैं, कहीं समुद्र हैं, सभी का सर्वे कराकर किस तरह बड़े-बड़े किसानों को एरिया एलॉट किया जाए, जिससे उनकी संख्या एक लाख के स्थान पर एक करोड़ हो।

हमारे देश में जो लोग फिशरीज़ से संबंधित हैं, चाहे झींगा हो या दूसरी मछलियाँ हों या दूसरे जलीय जीव हों, वे पूरे एक्सपोर्ट हों, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। पिछले 70 सालों में जो व्यवस्था चलती आ रही थी, उससे निकलकर हम बाहर आए। जैसा कि हमारे साथी, श्री सारंगी जी कह रहे थे कि विपक्ष के तो कोई लोग हैं ही नहीं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सारंगी साहब, हम विपक्ष में ही हैं, मुझसे पहले मेरे जो साथी बोल रहे थे, वे भी विपक्ष में ही हैं। आप यह कहें कि कांग्रेसी भाग जाते हैं। हम लोग देश को सबसे पहले रखते हैं, हम देशहित में काम करते हैं, जनहित में काम करते हैं, हम लोग पार्टी-पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करते हैं। हम लोग यह नहीं देखते हैं कि पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है। एमपीज आते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, जाती रहेंगी, कोई पार्टी चुनाव जीतती रहेगी, हारती रहेगी, लेकिन यह देश, जिसे मजबूत करने के लिए आज ताकत लग रही है, अगर उसमें विपक्ष के कुछ लोग भागते हैं, तो विपक्ष के कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो हमेशा सही बात को सपोर्ट करते हैं और वे पॉलिटिक्स की परवाह नहीं करते हैं। हम लोग देश के लिए पार्टी-पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करते हैं।

अभी हमारे एक साथी ने कहा कि वहाँ जलकृषि से संबंधित जो किसान हैं, वे उन उत्पादों पर टैक्स भी देते हैं। अगर यह कृषि मंत्रालय के अधीन आता है और यह तटीय जलकृषि अमेंडमेंट बिल है, तो उन मछुआरों पर टैक्स कैसे लग रहा है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर कहीं गलती है, अगर पहले की सरकारों से कहीं कमी रह गई है, तो यह भी अमेंडमेंट होना चाहिए कि जो कृषि से संबंधित है, कृषि मंत्रालय के अधीन है, जो उत्पाद कृषि की तरह यूज हो रही है, तो मेरे हिसाब से उन पर टैक्स भी नहीं लगना चाहिए।

धन्यवाद।

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): माननीय सभापति महोदय, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी (अमेंडमेंट) बिल में जो अमेंडमेंट हो रहा है, यह एक विज्ञानी अमेंडमेंट है। हमारे जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, वे अपने आप में इसके स्टैकहोल्डर्स हैं, जो इससे संबंधित फार्मर्स हैं, वे एक्सपोर्ट स्टैकहोल्डर्स हैं। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने यह महत्वपूर्ण बिल लाया है। यह एक महत्वपूर्ण बिल है, जो दिखता कम है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत वाइडस्प्रेड है। जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, करीब 13 कोस्टल स्टेट्स के जितने भी फार्मर्स हैं, वे इस बिल से बेनिफिट होंगे, क्योंकि आज कोस्टल एक्वाकल्चर में करीब 45,000 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होता है। आप देखिए कि यह बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इसके और बढ़ने की भी खूब संभावना है। ये कांस्टिट्यूशन-ऑफ-दि-कमेटी का रेगुलेशन लेकर आए हैं। कमेटी में पहले कांस्टिट्यूशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भी फार्मर्स का जो रीज़नेबल रिप्रेजेंटेशन है, स्टैकहोल्डर्स का है, एक्सपोर्ट्स का है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का है, क्योंकि सभी के इनपुट्स बहुत जरूरी हैं। इस अमेंडमेंट को लगभग सभी स्टेट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि यह वहां की रूरल इकोनॉमी को बढ़ोत्तरी देगा और किसानों को फायदा होगा। इन किसानों के ऊपर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मोदी सरकार के टाइम पर इन्हें देखा जा रहा है और इन किसानों को बड़ा फायदा पहुंचाया जा रहा है। अतः यह जो अमेंडमेंट है, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। विश्वास करना एक सबसे बड़ी बात है। देश की 140 करोड़ जनता पर विश्वास करना और मोदी जी के नेतृत्व में आज यह ट्रेंड शुरू हो गया है। जनविश्वास अमेंडमेंट बिल अभी आया था, जिसमें करीब 42 एक्ट्स ऐसे लिए थे, जो प्री-इंडीपेंडेंस इरा के भी थे और पोस्ट-इंडीपेंडेंस इरा के भी थे। उन एक्ट्स में इस तरह के प्रावधान थे, जो अंग्रेजों के टाइम के कई कानून बने हुए थे, जिनमें छोटी-छोटी बात के लिए सजा थी। जैसे अगर किसी किसान की गाय फॉरेस्ट में चली जाए, तो उसको छः महीने की सजा होगी। इस तरह के क्रिमिनल ऑफेंस के प्रावधान थे, मोदी जी ने कमेटी बैठाकर 42 एक्ट्स, जो अभी हाल ही में दोनों सदनों से जन विश्वास बिल पास हुआ। प्रधान मंत्री जी ने आम-जन पर, देश की जनता पर, 140 करोड़ जनता पर विश्वास किया कि हर छोटी-

छोटी चीज के लिए सजा नहीं होनी चाहिए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस बिल में भी किसानों के ऊपर इस तरह की सजा के प्रावधान हटाकर उन पर पैनल्टी करना, यह प्रधान मंत्री जी का पूरे देश की जनता में विश्वास है। हम ज्यादा जनता के ऊपर रेगुलेशंस न लगाएं और जनता स्वयं कानून का पालन करे। उसके लिए कोई फोर्स न हो, उसके लिए कोई deterrent न हो, उसके लिए सजा का प्रावधान न हो, उसके लिए कोई डर न हो, उसे लगे कि यह सरकार हमारी है।

आपने मुझे बोलने की परमीशन दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा (जूनागढ़): माननीय सभापति जी, आपका धन्यवाद।

माननीय मंत्री जी जो बिल लेकर आए हैं, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारे मंत्री जी का तहेदिल से अभिनंदन करता हूँ। देश में कई सरकारें आईं और उन्होंने मछुआरों से कई सारे वादे किए।

जब वर्ष 2019 का इलेक्शन था, तो हमारी एनडीए की सरकार ने मछुआरों से जो वादे किए थे, उनमें से एक वादा यह था कि हमारी सरकार आएगी, तो हम कृषि से मत्स्यपालन विभाग अलग करेंगे। वर्ष 2019 के बाद जब हमारी सरकार आई, तब प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कृषि से मत्स्य विभाग को अलग करके मछुआरों के हित में काम करना शुरू किया।

मत्स्य संपदा योजना बनाई, मत्स्य पालन मंत्रालय अलग किया और साथ ही हमारे कोस्टल एरिया में रहने वाले एक मंत्री को मंत्रालय की जिम्मेदारी दी। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी, हमारे रूपाला साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। वे देश में मत्स्यपालन के पहले ऐसे मंत्री हैं, जिन्होंने पूरे समुद्र के किनारे, समुद्र में जाकर, परिक्रमा करके, मछुआरों के बीच जाकर उनकी कठिनाइयां क्या हैं, आने वाले समय में उनकी मांग क्या है, उसको समझते हुए आज यह बिल लेकर माननीय मंत्री जी आए हैं। मैं पूरे देश के मछुआरों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री श्री रूपाला जी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ और इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदय, धन्यवाद। मुझे बहुत धन्यवाद करना है कि इसके पहले इस मंत्रालय से वर्ष 2005 में इस संदर्भ में कुछ किया गया था और वर्ष 2005 के बाद सीधे वर्ष 2023 में चिंता की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी की भावना दिख रही है। जब-जब खेती की बात आती है तो इस देश में अक्सर दो बातों की चर्चा हो रही है। खेती से जीवन अमृत की तरफ कैसे बढ़ सकता है और खेती करने वाले कैसे अमृतरूपी व्यवसाय में जा सकते हैं। दोनों की पूर्ति इस बिल में हो रही है। मलूक नागर जी ने बहुत अच्छी बात कही। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, आप अच्छा वाला विपक्ष हैं। आप अच्छे विपक्ष हैं और ऐसे ही विपक्ष की कल्पना प्रधानमंत्री जी करते हैं, जो अच्छी बातें कहे और इधर से उसको स्वीकार किया जाता है। हम इस तरफ चल पड़े हैं।

जब हम जल कृषि की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ मत्स्य पालन है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, समुद्री घास, सीप, मोती, झींगा, केकड़ा, ये सारी चीजें ऐसी हैं, जिनकी दुनिया में बहुत डिमांड है। प्रधानमंत्री जी की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक कल्पना के तहत जो कार्य हुआ है, उसकी इस बिल में पूर्ति की गई है। मुझे अक्सर याद आता है, जब हम लोग अपनी दादी या बड़ों को प्रणाम करते थे तो लोग कहते थे कि सौ साल जियो। हमारे यहां गांव में भोजपुरी में कहते थे कि सौ साल जिया, आपके यहां भी ऐसे ही कहते होंगे। सौ साल जियेंगे कैसे? हम अमृतकाल में हैं और जिस प्रकार से कृषि के मार्फत ऐसे अनाज का उत्पादन हो कि लोग उसको खाकर सौ साल जियें। यह हमारा मिलेट ईयर भी चल रहा है। वैसे ही जल कृषि को लेकर यह बिल आया है। जैसे हमारे सांसद साथी ने कहा कि आज जो-जो मछुआरे संसद की गतिविधि को देख रहे होंगे या मीडिया में पढ़ेंगे, वे नरेन्द्र मोदी जी और पुरुषोत्तम रूपाला जी के लिए बहुत धन्यवाद करने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है।

आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पहली बार पीएमएमएसवाई के तहत इस डिपार्टमेंट ने इसके लिए बीस हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। पहली बार एफआईडीएफ के लिए 7,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था हुई है, ब्लू रेवोल्यूशन के लिए 5 हजार करोड़ रुपये की बात

हुई है। मैं थोड़े दिन पहले देश के राष्ट्रपति जी के साथ मॉरीशस गया था और वहां के उनके सम्भाषण में जो हमने कल्पना सुनी थी, उसे आज यह बिल इस देश में पूरा कर रहा है।

मैं एक और बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे साथियों ने बहुत सारी बातें कह दी हैं। सबसे इंपोर्टेंट बात है, हालांकि मलूक जी ने उसे उठाया कि अगर इस व्यवसाय को करते हुए किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसे जेल की सजा का प्रावधान होता था। जैसे कि कई सारे ऐसे कानून रद्द कर दिए गए प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, लगभग ढाई हजार कानून ऐसे थे, जो बिना वजह सिर्फ लोगों को अड़चन पैदा करते थे। वे कानून वही अटकाने, लटकाने, भटकाने की बात करते थे, ऐसे ढाई हजार कानूनों को समाप्त किया। यहां भी एक ऐसा कार्य हो रहा है, जिसमें अगर किसी से गलती भी हुई तो उसको आर्थिक दंड होगा। इसमें जेल के प्रावधान को समाप्त कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरा सदन इसकी सराहना कर रहा होगा।

महोदय, एक बहुत अच्छी बात इस बिल के मार्फत हुई है। योग्य व्यक्ति को योग्य पद पर आना चाहिए। पिछली सरकारों के समय में ऐसा होता था कि अपने परिचित को पद दे दो, चाहे वह योग्य हो या न हो। उसे विभाग की जानकारी हो या न हो, उसे पद दे देते थे। पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया है कि इसमें सदस्य भी वह बनेगा, जिसमें विभाग की विशेषज्ञता हो। पहली बार ऐसा किया गया कि सचिव जैसे पद का प्रावधान किया गया। सदस्यों को ही सचिव रख दिया जाता था। जब तक कोई विभाग को हैड ही नहीं करेगा, तब तक कैसे विभाग आगे बढ़ सकता है। इस बिल के मार्फत सचिव के पद का प्रावधान किया गया। इसके लिए मैं मंत्रालय को पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, एक बात और है जिसे अध्ययन करते हुए मुझे लग रहा था कि बहुत ही अच्छी बात हुई है। वह बात यह है कि पहले ऐसे लोगों को भी ले लिया जाता था, जिनका पिछला समय बेदाग नहीं था। वह दागदार व्यक्ति है, भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति है और ऐसी जगह पर अपने और अपने परिवार का हित देखता है तथा भ्रष्टाचार करता है। ऐसी सारी स्थितियों को स्टैंडिंग कमेटी से

हल किया गया। बार-बार उधर से सवाल उठता है कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दो। क्या केवल स्टैंडिंग कमेटी में भेजने से समस्या हल होगी या कमेटी की अनुशंसाएं मानने से समस्या हल होगा। पहली बार यह बिल स्टैंडिंग कमेटी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को पास भी करता है, उसे नियम भी बनता है। ऐसे बिल का मैं समर्थन भी करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं तथा प्रधान मंत्री जी को भी शुभकामना देता हूं।

श्री परषोत्तम रूपाला: सभापति जी, मैं इस बिल के बारे में कुछ बातें इस सभा गृह के माध्यम से बताना चाहता हूं। इससे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी का इस विभाग के मंत्री के नाते धन्यवाद देना चाहता हूं कि समय की कटो-कटी के बीच में भी इस बिल को खास समय देकर अनुमति दी, इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं।

महोदय, यहां से प्रधान मंत्री जी को और मंत्री के तौर पर मुझे हमारे साथियों ने बधाई देने का प्रयास किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। साथियों, मैं आज इस सम्माननीय हाउस में खड़े होकर एक किसान के नाते आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के आठ हजार किलोमीटर में बसते हुए हमारे मछुआरे भाई आपको धन्यवाद देंगे, जो आज यहां इस बिल का समर्थन करने के लिए बैठे हैं और इस सभा गृह को धन्यवाद देंगे। देश के मछुआरे समाज को पता लगेगा कि हमारे देश की संसद मछुआरे समाज के बारे में भी सोचती है और हमारे काम के बारे में भी सोचती है। कृष्ण गारू जी ने बताया कि आंध्र प्रदेश का इसमें बहुत रुतबा है। मैं आपको बधाई देता हूं और आंध्र के हमारे मछुआरों को आपके माध्यम से बधाई देता हूं। आज इस सदन में आदरणीय श्री सारंगी जी ने, श्री कृष्ण गारू जी ने, आदरणीय मलूक नागर जी ने, हमारे चौधरी साहब ने, राजेश चुड़ासमा जी ने और श्री मनोज तिवारी जी ने हिस्सा लिया, इन सभी सांसदों को मैं बधाई देता हूं और आभार मानता हूं।

आदरणीय महोदय, मैं इस बिल के बारे में बहुत लम्बा भाषण देने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है...(व्यवधान) मुझे पता है कि आप सुनने के पक्ष में हैं और मैं भी कहने के पक्ष में हूं। मैं

आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यह कॉस्टल एक्वाकल्चर अमेंडमेंट बिल, 2023 को लोक सभा में 5 अप्रैल, 2023 को लाया गया था।

महोदय, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी है कि स्टैण्डिंग कमेटी में जाने के बाद स्टैण्डिंग कमेटी ने बहुत पुरुषार्थ करके सभी कोस्टल स्टेट्स के साथ, सभी स्टैकहोल्डर्स के साथ बड़ा डेलिब्रेशन किया, सबके सुझाव लिए और उन्होंने हमें 56 ऑब्जर्वेशन्स के साथ हमें लौटा भी दिया।

माननीय सभापति महोदय, मुझे इस सभा गृह को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कमेटी की ओर से आए हुए 56 में से 45 अमेंडमेंट्स को विभाग ने स्वीकृत कर दिया। एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि स्टैण्डिंग कमेटी ने अपने जो सुझाव दिए थे, इन सारे सुझावों का हमने इस बिल में स्वागत किया।...(व्यवधान)

अभी इससे भी अच्छी एक बात है। बाकी जो 11 अमेंडमेंट्स बच गए, उसमें से 9 रिकमेंडेशन्स ऐसे थे, जो लेजिस्लेटिव नेचर के थे और 4 नॉन-लेजिस्लेटिव नेचर के थे। उन्हें भी रूल्स के माध्यम से स्वीकार ही कर रहे हैं। दो ऐसे रिकमेंडेशन्स थे, जिनका पुराने एक्ट में प्रावधान नहीं था, इनके लिए विधिवत सुधार प्रपोजल लाकर हम इन्हें भी स्वीकृति दे रहे हैं।

सभापति महोदय, अभी कृष्णा गारू बोल रहे थे कि पुराने कानून में ऐसी व्यवस्था थी कि हम चार कोस्टल राज्यों को इसमें प्रतिनिधित्व देते थे और इनका रोटेशन होता रहता था। इस बार ये चार राज्य, दूसरी बार दूसरे राज्य, ऐसा चलता रहता था। मगर, एक कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि सभी कोस्टल स्टेट्स को इसमें प्रतिनिधित्व देना चाहिए, इसकी भी हम स्वीकृति देते हैं और इसमें सुधार के जरिए हम इसे इसमें शामिल करते हैं। आपकी बात को हमने मान लिया है।

महोदय, दूसरा एक अमेंडमेंट वे कर रहे थे, जैसा अभी यहां बताया गया कि इसके जो मेम्बर-सेक्रेट्री हुआ करते थे, उसमें यह होता था कि मेम्बर-सेक्रेट्री के पद पर आने के लिए किसी को अपने पद से त्याग-पत्र देकर यहां आना पड़ता था। इस तरह, मेम्बर-सेक्रेट्री के लिए स्कोप बहुत कम हो जाता था। इसके लिए हमें बहुत ही कम अधिकारी मिलते थे। इसलिए, हमने मेम्बर-

सेक्रेट्री में से 'मेम्बर' शब्द को निकाल दिया और सेक्रेट्री रखने से भारत सरकार के अधिकारियों का जो बड़ा पूल है, उसमें से हमें अधिकारियों को इस पद पर रखने की हमें सुविधा मिलेगी। यह सुझाव भी हम इसमें लेकर आए हैं।

सर, इस बिल के बारे में मुझे एक महत्वपूर्ण बात आपके संज्ञान में लाना है। मलूक जी को और सभी सांसदों को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज़ादी से लेकर वर्ष 2014 तक मत्स्य विभाग के लिए भारत सरकार की ओर से कुल 3,680 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। आज़ादी से लेकर वर्ष 2014 तक यह हुआ। अब तक केवल 3,680 करोड़ रुपये का खर्च हुआ। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा इस विभाग को एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाने के बाद अकेली एक योजना, प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना शुरू की गयी, जिसके अकेले का वॉल्यूम 20,000 करोड़ रुपये है।

एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि इसमें व्यक्तिगत किसानों को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत किसानों को इसका बेनिफिट व्यक्तिगत रूप से देने का प्रावधान है। आप जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे थे, शायद वह टेक्नोलॉजी इसकी गाइडलाइन में नहीं होगी। हम इसमें जरूर से सुधार करके उस टेक्नोलॉजी को भी प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत किसानों को इसका बेनिफिट मिले, इसका प्रावधान जरूर करेंगे।

महोदय, आपकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूँ कि डीप-सी फिशिंग का जो मसला होता है, उसमें हमारे परम्परागत मछुआरे वहां जा नहीं पाते थे। उनके लिए हमने टेक्नोलॉजी के आधार पर बड़े बोट्स बनाकर उन्हें देने का प्रयास किया है। हमने उसे अभी लॉन्च भी कर दिया है और मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी है कि सबसे पहले केरल राज्य ने इसका लाभ लेना शुरू कर दिया है और वहां के मछुआरों ने वह काम शुरू कर भी दिया है।

साथियो, प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में फिशरीज सेक्टर में जो नौ सालों से काम हुआ है, उसके दो-तीन फिगर्स मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

महोदय, इन 9 सालों में खास तौर पर श्रिंप्स का जो प्रोडक्शन हुआ, वह 3.22 लाख टन, वर्ष 2013-14 में था। आप कह सकते हैं कि साढ़े तीन लाख टन था, जो कि अभी बढ़ कर वर्ष 2022-23 में 11.84 लाख टन हो गया है। यदि रुपये में इसका फिगर लेंगे तो पता लगेगा कि उसका वॉल्यूम 30 हजार करोड़ रुपये, वर्ष 2013-14 में बनता था, वहीं आज इसका वॉल्यूम 63 हजार करोड़ रुपये हो गया है। अकेले झींगा का एक्सपोर्ट 43 हजार करोड़ रुपये का है। जब इस विभाग में इसका डेवलपमेंट हो रहा हो और खास कर एक्वाकल्चर का मतलब हमारे यहां ज्यादातर यह माना जाता है कि झींगा है। जैसे हमारे रूडी साहब बता रहे थे। मगर अभी इसके तहत जैसे एक सदस्य ने बताया भी कि इसमें सीवीड के कार्यक्रमों को लागू करने का प्रावधान है। उसी की कोई व्यवस्था और रूल्स नहीं थे। मोती पकाने की क्या व्यवस्था है, उसमें क्या और कैसे किया जाए, उसकी कोई जानकारी नहीं थी। अभी केज कल्चर एक नई टेक्नोलॉजी आई है। उनके जरिए भी अपने फिशरमैन को हम बहुत ही बेनिफिट दे सकते हैं। एक प्रकार से इन सभी चीजों को, जो ब्रैकिश वॉटर में कर सकते हैं, उन सभी को इस कानून के प्रावधान से करने का एक अम्ब्रेला देने का काम आज अगस्त हाऊस में आप मंजूर कर रहे हैं। इसके आप सब साक्षी बन रहे हैं। इसके लिए मैं यहां मौजूद सभी सांसदों को बाधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ।

सर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधान मंत्री बनने के बाद, देश के नागरिकों को डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द एक्ट, जिस कानून के जरिए उनको सज़ाएं होती थीं, उसको निकालने का एक बहुत बड़ा अभियान हाथ में लिया था। मैं तो ऐसे विभाग से था कि मेरे विभाग में ऐसी सज़ा होगी, मुझे ऐसा भी नहीं पता था। बाद में पता चला कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से फिशरमैन को 3 सालों की सज़ा का प्रावधान था। आज इस सभा में आप सबके कारण देश के करोड़ों फिशरमैन को इस सज़ा के प्रावधान से मुक्त करने का निर्णय लिया जा रहा है।

सभापति महोदय, मुझे यह बताना था कि ऐसे कानून जब इस हाऊस में चर्चा में आए और उनको मंजूर करना होता है, जैसे मलूक जी ने अपनी बात यहां पर कही है, मैं ऐसे विपक्ष का स्वागत करता हूँ। ऐसे कानूनों में सरकार का समर्थन करना चाहिए। सरकार का समर्थन नहीं

करना चाहते हो तो देश के मछुआरों के लिए भी इधर खड़ा रहना चाहिए। आपको मैसेज देना चाहिए कि हम इस संसद में बैठ कर करोड़ों देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं।

सर, इस क्षेत्र में जिस प्रकार से युवा आकर्षित हो रहे हैं, जिस प्रकार से टैक्नालॉजी का प्रबंधन किया जा रहा है, जिस प्रकार से सरकार नीतिगत समर्थन दे रही है, जिस प्रकार से राज्य सरकार की ओर से सहयोग मिल रहा है, मुझे यहां यह बात बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी कोस्टल राज्यों ने इसका समर्थन किया है, किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया है। साथ ही, स्टैंडिंग कमिटी के सामने भी राज्य सरकारों ने अपनी सारी बातों का प्रेजेंटेशन भी किया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सदन से अनुरोध करता हूँ कि आप सब इस बिल को पास करें और बिल ही पास न करें, देश के करोड़ों फिशरमेंस को भारत सरकार की ओर से इस प्रकार का संदेश देने का काम करें कि भारत सरकार और यह संसद आपके साथ खड़ी है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill to amend the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amendment of section 2

Amendment made:

Page 3, *after* line 13, *insert*,-

“(iiiia) in clause (e), the words “and the member-secretary” shall be omitted;”. (1)

(Shri Parshottam Rupala)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That clause 2, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 3

Amendment of section 4

Amendments made:

Page 3, for line 38, substitute,--

3. In section 4 of the principal Act,

“(A) in sub-section (3),--”. (2)

Page 4, after line 2, insert,-

“(vi) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:—”

“(g) one member to represent each of the coastal States and Union territories;

(vii) clause (h) shall be omitted.”;

(B) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(3A) When the office of the Chairperson is vacant, the Central Government may, till the appointment of a new incumbent to the said office, nominate any member of the Authority to exercise such of the powers, and perform such of the functions, of the Chairperson as may be prescribed.” (3)

(Shri Parshottam Rupala)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That clause 3, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

**Clause 6 Insertion of new section 9A.
Secretary of Authority**

Amendments made:

Page 4, for lines 18 to 20, *substitute*,-

“Secretary “9A. (1) The Central Government may
of Authority. appoint an officer of such rank, as it
 considers fit, to be a Secretary of the
 Authority, in such manner and subject
 to such terms and conditions as may
 be prescribed.”. (4)

Page 4, line 21,-

for “Member-Secretary”
substitute “Secretary”. (5)

Page 4, line 36,-

for “Member-Secretary”
substitute “Secretary”. (6)

Page 5, line 1,-

for “Member-Secretary”

substitute "Secretary". (7)

Page 5, line 4,-

for "Member-Secretary"

substitute "Secretary". (8)

Page 5, line 6,-

for "Member-Secretary"

substitute "Secretary" (9)

(Shri Parshottam Rupala)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That clause 6, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

Clauses 7 to 13 were added to the Bill.

Clause 14 Amendment of section 24

Amendments made:

Page 10, *after* line 40, *insert*,-

after clause (a), the following clause shall be inserted

namely;-

"(aa) the powers to be exercised and the functions to be performed by the
nominated member under sub-section (3A) of section 4;". (10)

Page 11, line 2,-

for "Member-Secretary"

substitute "Secretary". (11)

(Shri Parshottam Rupala)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That clause 14, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 14, as amended, was added to the Bill.

Clauses 15 to 17 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI PARSHOTTAM RUPALA: Sir, I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed”.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.”

The motion was adopted.

The Bill, as amended, was passed.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, the House stands adjourned to meet on Tuesday, 8 August, 2023 at 11 am.

18.33 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Tuesday, August 08, 2023/Sravana 17, 1945 (Saka)*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

<http://www.loksabha.nic.in>

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)
